बृहस्पतिवार,
२९ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

विषय-सूची

अंक ३—२४ अप्रैल से २१ मई १९५४

पृष्ठ भाग

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २८८३–२९२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९२४–२९२८

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९२९–२९६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९६६–२९७२

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९७३–३०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०१८–३०२४

सोमवार, ३ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०२५–३०६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०६४–३०६८

मंगलवार, ४ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०६९–३११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३११५–३१२२

पृष्ठ भाग

बुधवार, ५ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१२३–३१७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३१७३–३१८२

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१८३–३२१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२१९–३२२२

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२२३–३२६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२६८–३२८०

सोमवार, १० मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२८१–३३२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३२४–३३४०

मंगलवार, ११ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३३४१–३३८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३८६–३३९८

	पृष्ठ भाग
बुधवार, १२ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३३९९–३४४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३४४६–३४७०
बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३४७१–३५१७
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३५१७–३५४२
शुक्रवार, १४ मई, १९५४	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३५४३
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २४९१ से २४९५, २४९७ से २५०८, २५१० से २५११ और २५१३ से २५२१	३५४३–३५९२
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १३	३५९२–३५९६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २४९६ से २५१२ और २५२२ से २५२६	३५९७–३६०१
अतारांकित प्रश्न संख्या ५७७ से ५८९, ५९१ और ५९२	३६०१–३६१०
बुधवार, १९ मई, १९५४	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	३६११
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १४	३६११–३६१४
शुक्रवार, २१ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १५ से १७	३६१५–३६२४

लोक सभा

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : अब सदन प्रश्नों पर विचार करेगा । सरदार हुक्म सिंह ।

सरदार हुक्म सिंह : श्रीमान, प्रश्न संख्या २११८ ।

अध्यक्ष महोदय : निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री यहां नहीं हैं । क्या उन के स्थान पर और कोई व्यक्ति उत्तर नहीं दे सकता है ?

(इसी समय माननीय निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री सदन में प्रविष्ट हुए और अपने स्थान पर बैठे ।)

एक माननीय सदस्य : वह कुछ देरी से आये हैं ।

निर्माण, आवास तथा संभरण, मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मुझे खेद है कि मैं देर से आया हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि अगली बार माननीय मंत्री समय पर आएंगे ।,

सरकारी क्रय संगठन

*२११८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में भारत में क्रय संगठनों द्वारा कुल कितनी राशि का सामान खरीदा गया ; तथा

(ख) इसी समय में (१) डी० जी० आई० एस० डी० लन्दन और (२) आई० एस० एम० वाशिंगटन द्वारा क्या सामान खरीदा गया ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १९५३ में सम्भरण तथा उत्सर्जन महा निदेशालय के द्वारा भारत में ७२·२७ करोड़ रुपये के मूल्य का सामान खरीदा गया था ।

(ख) (१) १९·२३ करोड़ रुपये ।

(२) २५·५४ करोड़ रुपये ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन क्रयों में राज्यों के लिये किये गये क्रय भी सम्मिलित हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी, हां । उन में इन अभिकरणों द्वारा किये गये सभी क्रय सम्मिलित हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : इस राशि में से कितनी राशि का अनाज खरीदा गया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : आई० एस० एम० वाशिंगटन के द्वारा एक करोड़ रुपये का ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सूती कपड़ा सूती वस्त्र आयुक्त बम्बई के द्वारा खरीदा जाता है या इस संगठन के द्वारा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : ये क्रय भी अब संभरण तथा उत्सर्जन महा निदेशालय द्वारा किये जाते हैं ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या इन में रक्षा विभाग का सामान भी सम्मिलित है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी, हां ।

श्री बर्मन : यूरोप और अमरीका से कुल कितना सामान खरीदा गया है और डी० जी० आई० एस० डी० तथा आई० एस० एम० द्वारा किये गये क्रयों में प्रत्येक का क्या अनुपात है ।

सरदार स्वर्ण सिंह : प्रत्येक वस्तु के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, किन्तु सामान्यतया आई० एस० डी० द्वारा किये गये क्रयों में यूरोप से किये गये क्रय सम्मिलित हैं और आई० एस० एम० वाशिंगटन के क्रयों में अमरीका में किये गये क्रय सम्मिलित हैं । ऐसे भी कुछ अनियमित मामले हो सकते हैं, जो अतिछाद हों ।

वस्तुओं का अन्तर्राज्य आवागमन

*२११९. **श्री एस० एन० दास :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिस में खाद्यान्न के अतिरिक्त अन्न वस्तुओं के अन्तर्राज्य आवागमन पर विभिन्न राज्यों में इस समय लागू प्रतिबन्धों का ब्योरा दिया गया हो ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये, परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या ११]

श्री एस० एन० दास : क्या इस समय विभिन्न राज्यों में जो प्रतिबन्ध लगे हुए हैं, वे पहले ही से विभिन्न राज्यों में वर्तमान थे, या उन में से कोई १९५३ में लगाये गये हैं ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि उन में से अधिकतर प्रतिबन्ध पहले से ही वर्तमान थे ।

श्री एस० एन० दास : क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को इन प्रतिबन्धों को जारी न रखने की आवश्यकता और वांछनीयता का संकेत किया है ।

श्री करमरकर : जी हां । हम समय समय पर इस स्थिति पर विचार करते रहते हैं और हम लगातार राज्यों से सलाह ले रहे हैं । वास्तव में बहुत सी राज्य सरकारों ने अधिकांश अन्तर्राज्य प्रतिबन्धों को हटा दिया है और जो बाकी बचे हैं, उन पर लगातार पुनर्विचार किया जा रहा है ।

श्री एस० एन० दास : क्या सामग्री नियंत्रण समिति ने, जो स्थापित की गई थी और संभवतः जिस ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, विभिन्न राज्यों में लगे इन सब प्रतिबन्धों का विचार किया है, और यदि ऐसी बात है, तो उस समिति की क्या सिफारिश है ?

श्री करमरकर : मैं तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता हूं । मैं समझता हूं कि सामग्री नियंत्रण समिति ने इस मामले पर अवश्य विचार किया है ?

श्री अमजद अली : इस से उत्पन्न विषय में मैं जान सकता हूं कि क्या वर्तमान विक्रय कर-नियम भी वस्तुओं के अन्तर्राज्य आवागमन के अर्थों में प्रतिबन्ध हैं ?

श्री करमरकर : मैं तुरन्त इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं, किन्तु हम सोचते हैं कि इस प्रतिबन्ध सम्बन्धी हमारा वादविवाद विक्रय-कर तक विस्तृत नहीं है।

खादी का व्यापार

*२१२०. **श्री बी० के० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा किये जाने वाले खादी के व्यापार कार्य का ब्योरा; तथा

(ख) इन क्रियाओं द्वारा खादी तैयार करने और व्यापार करने वाले केन्द्रों द्वारा क्या लाभ उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १२**]

श्री बी० के० दास : क्या इन संस्थाओं को दी गई यह धन राशियां ऋण आधार पर हैं अथवा अंशतः ऋण आधार पर और अंशतः अनुदान आधार पर हैं ?

श्री करमरकर : मेरी बात में संशोधन किया जा सकता है, मैं समझता हूं कि हमें समस्त ६५ लाख रुपया अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड को सौंप देते हैं। पेशगी के रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से कुछ अनुदान हैं और कुछ ऋण भी हो सकते हैं। इस के अतिरिक्त, खादी केन्द्रों को अनुदान दिये गये हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि यह उन्हें प्रारम्भ करने के लिये दिये गये अनुदान हैं।

श्री बी० के० दास : ये ऋण किन शर्तों पर दिये गये हैं और सूद की दर क्या है ?

श्री करमरकर : इस बिषय में मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री बी० के० दास : क्या इस खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा रूई एकत्रित करने के लिये कुछ सुविधा दी जाती है ?

श्री करमरकर : मुख्यतया यह पेशगी के रूप में दी जाती है। उदाहरणार्थ ये आन्ध्र क्षेत्र के लिये रुई इकट्ठी करने के लिये ४,३५,००० रुपये की पेशगी दी गई थी। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं।

श्री हेडा : खादी उत्पादन के लिये पहले से वर्तमान केन्द्रों पर कितना धन खर्च किया गया है, और जहां बेकारी भयानक रूप से फेली हुई है वहां प्रारम्भ किये गये नये केन्द्रों पर कितना धन खर्च किया जाता है ?

श्री करमरकर : मुझे नये केन्द्रों के विषय में जो प्रारम्भ किये जायेंगे कोई जानकारी नहीं है किन्तु मेरे पास जो सूची है, वह केवल वर्तमान केन्द्रों का ही निर्देश करती है।

विद्युत उपकरण फैक्टरी

*२१२१. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारी विद्युत उपकरण बनाने के लिये एक फैक्टरी स्थापित करने

के विषय में सरकार ने विदेशी सार्थों के विशेषज्ञों का प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया है; तथा

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) दो सार्थों ने अर्थात जर्मनी के सीमनज तथा इंगलैन्ड के असोशियेटिड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज ने प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। अनसालडो-सान जियारगियो इटली के एक सार्थ से टैक्निकल और वित्तीय सहयोग के लिये एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) दोनों प्रतिवेदनों में प्रत्येक सार्थ द्वारा स्वयं अपने आधार पर भारी विद्युत उपकरणों के लिये एक सरकारी एकक स्थापित करने के लिये मुख्य मुख्य बातों के प्रस्ताव रखे हैं। इस समय सिफारिशों को बताना जनहित में नहीं है, क्योंकि अभी इन पर चर्चा की जा रही है।

पंडित डी० एल० तिवारी : यह कहां स्थापित किये जा रहे हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : सारे मामले के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है और इस समय कोई रहस्योद्घाटन करने से सरकारी हित पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

श्री एल० एन० मिश्र : इन उद्योगों को चलाने के लिये वित्त का क्या प्रबन्ध होगा—क्या वित्त सरकार की ओर से दिया जायगा या गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा।

श्री आर० जी० दुबे : यह सरकारी क्षेत्र द्वारा होगा, क्यों कि यह एक सरकारी उपक्रम होगा। किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि इस योजना में विदेशी सार्थों के भी हमारे वित्तीय भागीदार होने की आशा की जाती है।

उद्योगों के लिये विकास समिति

*२१२२. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वर्तमान परिस्थिति में उद्योगों में पूरा उत्पादन करने के निमित्त उद्योग विकास समिति ने सरकार के पास कुछ योजनायें प्रस्तुत की हैं; तथा

(ख) क्या इस प्रकार की किसी योजना को सरकार ने स्वीकार किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). उद्योग विकास समिति, जो दिसम्बर १९५१ में भूतपूर्व उद्योग तथा रसद मंत्रालय के मंत्री के प्रभार में स्थापित की गई थी मई १९५२ में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन स्थापित की गई केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद के बनने के पश्चात निर्जीव हो गई। विकास समिति ने सरकार के पास कोई योजना प्रस्तुत नहीं की, अपितु कुछ सुझाव दिये थे, अर्थात कुछ उद्योगों में उत्पादन शक्ति का अध्ययन करने के लिये, इत्यादि। इन सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और जहां भी आवश्यक होता है, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति

*२१२३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिहार राज्य में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई है; तथा

(ख) यदि हो, तो ३१ दिसम्बर, १९५३ तक कितनी राशि दी गई थी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्री विभूति मिश्र : कब तक सरकार इस को तै करेगी ? कब तक सरकार इन को मुआवजा देगी ?

श्री जे० के० भोंसले : दस ऐसी औरतें हैं, जिन को सरकार जल्दी से जल्दी पैसा देगी, और दूसरों को भी जल्दी ही देने की कोशिश करेगी।

श्री विभूति मिश्र : जल्दी से जल्दी की क्या परिभाषा है ? एक बरस, दो बरस, तीन बरस ? सात बरस तो हो गये।

स्टालिन शान्ति पुरस्कार

*२१२४. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि हाल में ही मेजर जनरल एस० एस० सोरली को एक स्टालिन शान्ति पुरस्कार दिया गया था, तथा

(ख) यदि ऐसी बात है, तो क्या पुरस्कार देने से पूर्व हमारी सरकार को सूचना दी गई थी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या एक देश के अ-राष्ट्रजनों द्वारा इस प्रकार के पुरस्कार के स्वीकार किये जाने का नियंत्रण करने वाली कोई अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे ऐसी किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा का पता नहीं है।

श्री बी० आर० नरसिंहन् : क्या मैं जान सकता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। उन्हें अपने अनुपूरक रखने का अवसर दीजिये।

श्री डी० सी० शर्मा : अब तक भारत में कितने व्यक्तियों को स्टालिन शान्ति पुरस्कार मिला है और भारतीय रुपयों में प्रत्येक पुरस्कार कितने मूल्य का होता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : स्टालिन शान्ति पुरस्कार १,००,००० रुबल्स का होता है जो १,१९,००० भारतीय रुपयों के बराबर होते हैं। १९५२ में डा० सैफुद्दीन किचलू को यह पुरस्कार मिला था और १९५३ में डा० एम० एस० सोखी को मिला।

श्री सी० डी० पांडे : क्या सरकार को विदित है कि हमारे राष्ट्रजनों द्वारा इस प्रकार के पुरस्कारों को स्वीकार करने से हमारी किसी गुट में सम्मिलित न होने की विदेशी नीति को धक्का पहुंचता है और विश्व में खिंचाव बढ़ता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान्, हम ने अभी तक इस प्रकार नहीं सोचा है।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या संविधान के अन्तर्गत भारतीय नागरिकों को विदेशी राज्यों से सम्मान तथा मान-देय स्वीकार करने की स्वतंत्रता है।

श्री अनिल के० चन्दा : संविधान के अनुच्छेद १८ के अन्तर्गत हमारे नागरिकों को किसी अन्य देश से कोई उपाधि लेने का निषेध है। सरकारी नौकर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अन्य देशों से कोई

उपहार तथा पुरस्कार नहीं ले सकते हैं।

नदी घाटी परियोणजाओं में श्रमिक

*२१२४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि (१) दामोदर घाटी निगम तथा (२) हीराकुद परियोजना में कितने श्रमिक काम पर लगे हुए हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : दामोदर घाटी निगम तथा हीराकुद परियोजना के अधिकारियों ने क्रमशः १६०४१ तथा ७७४२ श्रमिकों को काम पर लगाया हुआ है।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय उपमंत्री ने जो आंकड़े बताये हैं क्या वह केवल स्थायी कर्मचारियों की संख्या को बताते हैं अथवा उन में अस्थायी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं ?

श्री हाथी : इन में काम के लिये अस्थायी रूप से रखे गये अर्थात अस्थायी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इन दोनों परियोजनाओं में श्रमिकों के वेतन स्तर एक ही हैं ?

श्री हाथी : ये एक से नहीं हैं।

डा० राम सुभग सिंह : इन में मूल अन्तर क्या है ?

श्री हाथी : हीराकुद में उन्हें १ रुपया ८ आने प्रति दिन या ४० रुपये प्रति मास मिलते हैं। दामोदर घाटी निगम में ४५ रुपये दिये जाते हैं। कुशल तथा अकुशल श्रमिकों में एक अन्तर है। दामोदर घाटी निगम में कुशल श्रमिकों को प्रतिमास न्यूनतम ६० रुपये से ५०० रुपये तक मिलते हैं, और हीराकूंद में कुशल श्रमिकों को न्यूनतम ४८ रूपये मिलते हैं और ये ३०० रूपये से ५०० रुपये तक जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब अगला प्रश्न लेता हूं, क्योंकि वह विस्तार में जा रहे हैं।

शंखों का आयात

*२१२६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्रीलंका से शंखों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सत्य है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिये कहा है ;

(घ) यदि हां, तो कब और किस आधार पर ; तथा

(ङ) सरकार ने इस विषय में क्या निश्चय किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) क्योंकि हमारी आवश्यकतायें हमारे अपने ही उत्पादन से पर्याप्त रूप से पूरी की जा सकती हैं, अतः शंखों का बाहर से आयात करने की कोई अवश्यकता नहीं है।

(ग) हां, श्रीमान्।

(घ) अक्तूबर १९५३ मे पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस आधार पर प्रतिबन्ध उठाने के लिये कहा था कि मद्रास के शंखों के मूल्य बहुत अधिक थे।

(ङ) मद्रास सरकार से यह प्रार्थना की गई है कि वह इस बात का ध्यान

रख कि मद्रास के शंखों के मूल्य इतने रहें कि पश्चिमी बंगाल के शिल्पी उन्हें खरीद सकें।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य नहीं है कि पश्चिमी बंगाल के शंखारियों की अपने काम के लिये शंख न मिलने के कारण अवस्था बहुत बुरी हो गई थी ?

श्री करमरकर : पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाया था कि कुछ उद्योग बड़े परिमाण में इन शंखों का प्रयोग कर रहे हैं और यह कह कर कि मद्रास के शंख कुछ महंगे पड़ते हैं उन का बाहर से आयात करने का अनुरोध किया था। परन्तु इस बात को ध्यान में रख कर कि मद्रास में स्वदेशी हितों को हानि पहुंचेगी हम ने श्रीलंका से शंखों के आयात की अनुमति देना ठीक नहीं समझा।

श्री एस० सी० सामन्त : इस का कारण क्या था---क्या मद्रास से शंख कम आते थे अथवा क्या कोई अन्य कारण था ?

श्री करमरकर : शिकायत तो यह थी कि मूल्य अधिक थे और हमने मद्रास सरकार से यह अभ्यावेदन किया है कि इन का मूल्य घटाया जाना चाहिये।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य नहीं है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से शंखों का व्यापार करने वाले मध्य-जनों को हटा कर सीधे पश्चिमी बंगाल सरकार को आयात करने की आज्ञा देने के लिये कहा था?

श्री करमरकर : मेरे पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीलंका के शखों और मद्रास के शंखों के मूल्य में क्या अन्तर है ?

श्री करमरकर : इस बात को देखते हुए कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने हम से अभ्यावेदन किया था, मूल्यों में काफ़ी अन्तर होना चाहिए, किन्तु मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं।

अभ्रक उद्योग

*२१२७. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १४ अगस्त १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २८१ के भाग (च) के उत्तर को निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ तथा १९५३ में अभ्रक उद्योग को कौन सी विशिष्ट सुविधायें दी गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : क्योंकि यह उद्योग इस समय मुख्यतया निर्यात की मांग पर निर्भर रहता है अतः १९५२ तथा १९५३ में चैकोस्लोवाकिया, जर्मनी के फेडरल गणतंत्र, इटली, पोलैन्ड तथा यूगोस्लाविया के साथ भारत से निर्यात के लिये किये गये व्यापार करारों में अभ्रक को सम्मिलित करके इस उद्योग को सहायता दी गई थी। अभ्रक के निक्षेपों के प्रकार, अभ्रक के गुणों, खान से निकालने के ढंग, अभ्रक के चूरे का प्रयोग, माईकेनाइट के निर्माण इत्यादि के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए १९५२ में एक अभ्रक गवेषणा संगठन भी खोला गया था। इस्पात और सीमेंट जैसी नियंत्रित वस्तुओं के आवंटन और खान सम्बन्धी तथा अन्य उपकरणों के क्रय के विषय में भी सहायता दी गई थी।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या उद्योग यह समझता है कि सरकार जो

सुविधायें दे सकती है उन में से सब से अच्छी सुविधा अभ्रक का मानदण्ड निश्चित करने की होगी और क्या इस उद्योग ने पहले कभी इस विषय में अभ्यावेदन किये हैं कि भारतीय प्रमाप संस्था को अभ्रक का मानदण्ड निश्चित करने का काम अपने हाथ में ले कर निर्यात में प्रतिद्वन्द्विता करने में उस की सहायता करनी चाहिये ?

श्री करमरकर : हां, श्रीमान्, मानदण्ड निश्चित करना हमारे निर्यातों को बढ़ाने का एक साधन समझा जाता है, और हाल ही में भारतीय प्रमाप संस्था ने मानदण्ड निश्चित करने का प्रयत्न किया है। अन्तर्राष्ट्रीय पमाने पर जो एक जांच हो रही है उस का यह भी विषय है, और हमें आशा है कि इस विषय में शीघ्र ही कोई निश्चय हो जायेगा ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या सरकार ने अब भारतीय प्रमापीकरण अधिनियम के अन्तर्गत नियम बना लिये हैं या नहीं ?

श्री करमरकर : नहीं, श्रीमान । स्वयं मानदण्ड की ही परीक्षा की जा रही है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कितने प्रतिशत अभ्रक उद्योग पर विदेशी पूंजी का नियंत्रण है और कितने प्रतिशत पर हमारा अपना नियंत्रण है ?

श्री करमरकर : पूंजी के विभाजन के सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । परन्तु एक यह शिकायत की गई थी कि निर्यात के विषय में इस पर एकाधिपत्य है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : घरेलु प्रयोग के लिये कितने अभ्रक की खपत होती है

श्री करमरकर : लगभग शून्य ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन में सरकारी संग्रह के मुक्त कर दिये जाने से भारत के निर्यात व्यापार पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ?

श्री करमरकर : हमारे निर्यात व्यापार में १९५२ में कुछ वृद्धि होने के अतिरिक्त सामान्यतया निर्यात की मात्रा पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है ।

उड़ीसा में विस्थापित व्यक्ति

*२१२८. **डा० नटवर पांडे** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उड़ीसा में कितने विस्थापित व्यक्तियों को बसाया गया है; और

(ख) उन्हें कितनी भूमि दी गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) तथा (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय पटल पर रख दी जायेगी ।

डा० नटवर पांडे : क्या सरकार को यह विदित है कि विस्थापित व्यक्तियों को जो मकान दिये गये हैं वे लगभग सब के सब टूटे फूटे और बहुत बुरी अवस्था में हैं, और क्या सरकार का उन की मरम्मत करवाने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री जे० के० भोंसले : यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: उड़ीसा में कितने किसानों को बसाया गया है और कितने नगरीय लोगों को बसाया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं यह जानकारी तुरन्त नहीं दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने से कोई लाभ नहीं है । वह जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं।

मैसूर कुटीर उद्योग

*२१३०. **श्री एन० राचय्या :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मैसूर राज्य में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में कितनी धन राशि दी गई; तथा

(ख) इस में से कितना सहायता के रूप में था और कितना ऋण के रूप में ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख).

वर्ष	अनुदान रुपये	ऋण रुपये	कुल योग रुपये
१९५२-५३	१,२१,२००	—	१,२१,२००
१९५३-५४	८,१७,५५९	२,८७,०००	११,०४,५५९

श्री एन० राचय्या : मैसूर के कुटीर उद्योगों की किन किन महत्वपूर्ण वस्तुओं पर गत दो वर्षों में यह राशि व्यय की गई है ?

श्री करमरकर : १९५२-५३ में जिन मुख्य मुख्य चीजों पर यह राशि व्यय की गई थी उन में सर्वप्रथम श्री एम० विशेश्वरय्या ग्राम औद्योगीकरण योजना को सहायता देने; दूसरे हाथ से कागज़ बनाना; तीसरे रैतन उद्योग का विकास था ।

श्री एन० राचय्या : क्या यह सत्य है कि मैसूर सरकार ने कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में एक योजना भेजी है और यह प्रार्थना की है कि उस का सारा खर्च केन्द्रीय सरकार पूरा करे ?

श्री करमरकर : मैं पिछले प्रश्न के सम्बन्ध में इतना और कहना चाहता हूं कि जिन चीजों पर वह राशि व्यय की गई थी वे ये हैं : चमड़ा तथा चमड़ा रंगने का उद्योग, प्रतिदिन काम में आने वाले कांच की निर्माण योजना और साधारण गणित सम्बन्धी उपकरणों का निर्माण ।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हाल ही में सरकार ने राज्यों को अनुदान देने की नीति उदार बना ली है । पहले हम ५० प्रति शत अनावर्त्तक तथा शून्य आवर्त्तक व्यय उठाते थे, किन्तु अब हम लगभग ७५ प्रति शत अनावर्त्तक और ५० प्रति शत आवर्त्तक व्यय उठाने को तैयार हैं। हम ने राज्यों को अनुदान देने में भी उदारता से काम लिया है।

केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् बोर्ड

*२१३२. **श्री एम० गस० गुरुपादस्वामी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड के संविधान की एक प्रति सदन पटल पर रखने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि सन १९४७ से लेकर केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक वर्ष इस बोर्ड के व्यय में कितना अंशदान दिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड के संविधान की एक प्रति तथा एक विवरण, जिसमें सन् १९४७ के बाद के प्रत्येक वर्ष में इस के व्यय म केन्द्रीय सरकार के अंशदान का विवरण दिया गया है, सदन-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस–१३७।५४]**

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : बोर्ड का एक उद्देश्य यह है कि प्रकाशनों तथा सूचना के विनिमय के विचार से भारत तथा विदेशों की संस्थाओं तथा व्यक्तियों से सम्पर्क किया जाय। क्या भारत के अतिरिक्त इस बोर्ड ने किन्हीं दूसरी संस्थाओं से सम्पर्क किया है?

श्री हाथी : हां, श्रीमान। जैसा कि देखा जायगा, इस बोर्ड के सदस्य दूसरे देश भी हैं जैसे ब्रह्मा तथा लंका हैं, तथा हो सकता है कि वहां की संस्थाएं भी बोर्ड के सम्पर्क में हों।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या बोर्ड की गवेषणा समिति ने जल विद्युत परियोजनाओं तथा इस प्रकार की सरकार द्वारा आरम्भ की गईं अन्य परियोजनाओं में कोई सहायता दी है, तथा यदि ऐसा है, तो क्या राज्य सरकारें इस गवेषण समिति का लाभ उठाती रही हैं?

श्री हाथी : राज्य सरकारें समय समय पर इसमें रुचि प्रकट करती रही हैं। बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित की गई गोष्ठियों में प्रश्नों तथा समस्याओं पर चर्चा की गई है।

सेठ अचल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के वास्ते सन १९५४ में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की तरफ से कितना रुपया रखा या है?

श्री हाथी : यह प्रश्न नहीं उठता है। यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को दिय गये अंशदान से सम्बन्ध नहीं रखता है क्योंकि राज्य सरकार बोर्ड को अशंदान देती है।

केसर

***२१३४. श्री रघुनाथ सिंह:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग :

(क) भारत में प्रतिवर्ष कितने केसर की खपत हुई है ; तथा

(ख) भारत में प्रति वर्ष कितना केसर उत्पन्न होता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : भारत में केसर की कितनी मात्रा का आयात किया जाता है ?

श्री करमरकर : मैं केवल दो वर्षों के आंकड़े दे सकता हूं :

१९५२-५३	आयात की गई मात्रा १५,१०३ पौंड थी तथा मूल्य १५,८७,००० रुपये था।
१९५३-५४ (अप्रैल १९५३ से फरवरी १९५४ तक)	आयात की गई मात्रा ९,४८५ पौंड थी तथा मूल्य १०,४२,००० रुपये था।

श्री रघुनाथ सिंह : केवल स्पेन से ही केसर की कितनी मात्रा का आयात किया जाता है ?

श्री करमरकर : मेरा विचार है कि अधिकांश मात्रा स्पेन से आती है क्योंकि

सारे विश्व में स्पेन ही एक ऐसा देश है जिसमें केसर सब से अधिक पैदा होता है।

तम्बाकू का आयात

*२१३५. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३-५४ में आयात किए गये तम्बाकू तथा तम्बाकू की वस्तुओं का कुल कितना मूल्य था ; तथा

(ख) (१) तम्बाकू तथा (२) इसकी वस्तुओं पर आयात शुल्क की दर कितनी थी?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ५२,३१,००० रुपये (अप्रैल ११५३ से फरवरी १९५४ तक) ।

(ख) यह विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १३**]

श्री के० सी० सोधिया : सिगार तथा सिगरेटों में इस आयात किये गये तम्बाकू की कितनी मात्रा का प्रयोग होता है ?

श्री करमरकर : इस समय सिगार तथा सिगरेट के सम्बन्ध में मेरे पास पृथक पृथक आंकड़े नहीं हैं।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इस तम्बाकू से तैयार की गई सिगरेटों पर कोई छूट दी जाती है ?

श्री करमरकर : मेरे विचार से नहीं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि स्वयं हमारे देश में तम्बाकू की काफी मात्रा बच रहती है, तथा यदि ऐसा है तो इस आयात की अनुमति देने के क्या कारण हैं ? क्या यह किसी विशेष प्रकार का है ?

श्री करमरकर : वस्तुतः स्वयं अपने उत्पादन की तुलना में हम बहुत थोड़ी मात्रा का आयात करते हैं। अपने सिगार तथा सिगरेट के उद्योग की सहायता करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है क्योंकि मुझे बताया गया है कि इस मिश्रण से भारतीय तम्बाकू से बने सिगरेटों से अधिक अच्छे प्रकार का सिग्रेट बनता है।

लेखन सामग्री कार्यालय, कलकत्ता

*२१३८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (क) क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कलकत्ता के लेखन सामग्री कार्यालय में पुनः रीम बनाने वाले कर्मचारी हाल में फालतू हो गये थे ?

(ख) क्या उसी कार्यालय में माल बन्द करने के लिए नई भर्ती की गई थी ?

(ग) माल बन्द करने वालों की नई भर्ती के समय पुनः रीम बनाने वाले कितने फालतू कर्मचारियों को लिया गया था ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (श्री सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) हां, श्रीमान ।

(ग) तीन क्लर्कों तथा १२ गिनने वालों में से, तीन क्लर्कों को प्रधान कार्यालय में ले लिया गया है तथा ६ गिनने वालों को माल बन्द करने वाले विभाग में ले लिया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि फालतू व्यक्तियों को पहले सेवायुक्त करना सरकार का स्वीकृत सिद्धान्त है, तथा यदि ऐसा है, तो शेष के छः फालतू व्यक्तियों को सेवायुक्त न

करने तथा बाहर से प्रत्यक्ष भर्ती करने का क्या कारण है ?

सरदार स्वर्ण सिंह: सामान्यत: फालतू कर्मचारियों को सेवायुक्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इस मामले में मैं इतना बता दूं कि जिन तीन क्लर्कों तथा १२ गिनने वालों को फालतू पाया गया था, उन्हें केवल दस मास की अस्थायी कालावधि के लिए भर्ती किया गया था। इस पर भी हमने तीन क्लर्कों तथा १२ में से छ: गिनने वालों को सेवायुक्त कर लिया है। जिन छ: को सेवायुक्त नहीं किया जा सका, वे उन नौकरियों के लिये थे जिन के सम्बन्ध में मनोनयन करना उन स्टोरकीपरों के हाथ में था जो माल के लिए उत्तरदायी थे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या यह सच है कि स्टोरकीपरों ने प्रत्यक्ष भर्ती के लिए उपनियन्त्रक के बावर्ची का मनोनयन किया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह: मुझे इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है, परन्तु उपनियंत्रक का बावर्ची होना कोई अनर्हता नहीं है।

श्री साधन गुप्त: क्या यह अर्हता है।

विस्थापित व्यक्तियों को शिक्षा सम्बन्धी ऋण

*२१४०. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) वर्ष १९५३–५४ में भारत सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों को शिक्षा के अनुदान के दिये जाने के लिये विभिन्न राज्यों को कुल कितनी राशि दी थी;

(ख) प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई थी; तथा

(ग) क्या विस्थापित विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये किन्हीं संस्थाओं को कोई अनुदान दिये गये थे ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) विस्थापित विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी ऋण दिये जाने के लिए पृथक रूप से कोई आवंटन नहीं किये गये थे। व्यय नागरिक ऋणों में से किया जाता है।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १४]

सरदार हुक्म सिंह: किन विचारों के आधार पर सरकार ने राज्यों को ये अनुदान और ऋण दिये ?

श्री जे० के० भोंसले: इस संस्था का बहुत व्यापक अधिकार होना चाहिये ; उनमें अधिकांशत: विस्थापित विद्यार्थी और विस्थापित शिक्षक हों, और राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई राशि का भी हम ध्यान रखते हैं। हम एक अधिकतम राशि भी निश्चित करते हैं अर्थात् कालेजों के लिये १,००,००० रुपये से अधिक नहीं, हाई स्कूलों के लिये ५०,००० रुपये और प्राथमिक स्कूलों के लिये १५,००० रुपये दिये जायेंगे।

सरदार हुक्म सिंह: यदि विस्थापित विद्यार्थियों की संख्या ही एक ऐसी बात थी जिसके आधार पर सरकार ने ये अनुदान और ऋण दिये हैं, तो फिर इसका क्या कारण है कि विवरण में यह दिया गया है कि उत्तर प्रदेश को १०,००० रुपये, राजस्थान को ४६,००० रुपये, बम्बई

को ३४,३१० रुपये मिले हैं, जबकि पश्चिम बंगाल को ३,५०० रुपये और पंजाब को केवल ६,००० रुपये ही मिले हैं ? यह आशा की जाती है कि इन दो राज्यों में विस्थापित विद्यार्थियों की संख्या सब से अधिक होगी ।

श्री जे० के० भोंसले : मैं समझता हूं कि इन दोनों ही राज्यों के विद्यार्थी अन्य राज्यों के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक चतुर हैं। सरकार ने ऋण योजना १९४७-४८ से १९४९-५० तक चालू की और उसके बाद एक छात्रवृत्ति योजना चालू की गई थी जो अभी तक चालू है। यह विद्यार्थियों की इच्छा पर छोड़ दिया गया था कि वे चाहे ऋण लें अथवा छात्रवृत्तियां और जिन्होंने छात्रवृत्तियां लेना स्वीकार किया उन्हें कोई ऋण नहीं दिया जाता है।

सरदार हुक्म सिंह : जहां तक विभिन्न राज्यों का संबंध है, क्या सूद की दर और ऋणों के लौटाये जाने की शर्तों में कोई एक समानता है, अथवा यह राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, कि वे जो शर्तें चाहें निश्चित कर लें ?

श्री जे० के० भोंसले : जी नहीं, श्रीमान् । ऋणों के रूप में दी जाने वाली ठीक ठीक राशि हमने निश्चित कर दी है। 'छात्रावास में रहने वाले' और छात्रावास में न रहने वाले, विद्यार्थियों को क्रमशः ६६० से १२०० रुपये तक और ५४० से १०८० रुपये तक के ऋण दिये जाते हैं। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह भी बता दूं कि जो शिक्षा संबंधी ऋण ऐसे विस्थापित विद्यार्थियों को दिये गये हैं, जिनके माता पिता और अभिभावकों के कोई दावे नहीं हैं, वे बट्टे खाते में डाल दिये जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सूद की दर जानना चाहते थे।

श्री जे० के० भोंसले : वह दो प्रतिशत है। [पहले वर्ष वह मुफ्त होता है और उसके बाद सूद की दर दो प्रतिशत है]

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो नई टाउनशिप्स बनाई गई हैं, खासकर मध्य-प्रदेश के बिलासपुर जिले में, वहां के बच्चों को किसी किस्म की मदद सरकार के जरिये नहीं मिलती है, यह सच है ?

श्री जे० के० भोंसले : यह गलत बात है ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि वहां की टाउनशिप के रहने वाले जो लोग हैं खासकर आपके सिंधी भाई, वह खुद पैसा कलेक्ट करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ।

श्री जे० के० भोंसले : जहां तक हिन्दुस्तान सरकार का सवाल है, हम लोग तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को हर साल जितना पैसा देना है, उतना पैसा दे देते हैं। उसके बाद वह क्या करते हैं, मुझे मालूम नहीं।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ; श्री बी० के० दास ।

सरदार ए० एस० सहगल : श्रीमान्, एक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय : अब कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता ।

श्री बी० के० दास: इन व्यक्तियों ने जो ऋण लिये हैं, क्या उन में से कोई लौटाया जा चुका है, और यदि हां, तो कितना ?

श्री जे० के० भोंसले: जैसा कि मैं कह चुका हूं ऋणों को अनुदानों के रूप में बदल दिया गया है, और वापसी का कोई प्रश्न नहीं है ।

रासायनिक उद्योग

*२१४१. **श्री एस० एन० दास:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में रासायनिक उद्योगों के विकास में किन मुख्य मुख्य कठिनाइयों का अनुभव किया गया है; तथा

(ख) उन को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख). प्रश्न से यह पता नहीं चलता कि किस प्रकार का उत्तर मांगा गया है। देश में ऐसे सौ से अधिक कारखाने हैं, जो सभी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उत्पादन करते हैं। उनमें से अधिकांश के सामने कोई न कोई समस्या है । इन कठिनाइयों का वर्गीकरण करना या यह बताना कि उनको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, कठिन है । यदि माननीय सदस्य यह बतायें कि वे किन विशिष्ट रासायनिक उद्योगों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते ह, तो हम उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न कर सकते हैं ।

श्री एस० एन० दास: गंधक, जिसकी कि बहुत से रासायनिक उद्योगों में आवश्यकता पड़ती है, का अभाव कहां तक दूर किया गया है, और यदि हां, तो किन मुख्य साधनों से वह अभाव दूर किया गया है ?

श्री करमरकर: गंधक के संबंध में कठिनाइयां पिछले वर्ष थीं ! इस वर्ष स्थिति अच्छी है । मुख्य सोत अमरीका और कुछ हद तक इटली हैं। संभव है इसमें कोई त्रुटि हो ।

श्री एस० एन० दास : जिप्सम तथा अन्य वस्तुओं से अपने ही देश में गंधक बनाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

श्री करमरकर: मैं कहूंगा.....

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न अक्सर दुहराया गया है, यद्यपि मैं यह नहीं कह सकता यह कब पूछा गया था ।

श्री एस० एन० दास: क्या १९५३ में इन रासानों के निर्माताओं या उनके संगठनों द्वारा कोई अभ्यावेदन दिया गया था ?

श्री करमरकर: इस उद्योग के सामने आने वाली किन्ही छोटी मोटी कठिनाइयों के बारे में जब तब कोई न कोई अभ्यावेदन जरूर प्राप्त हुआ होगा ।

श्री जोकीम आल्वा: क्या हमारे रासायनिक उद्योगों के विकास के मार्ग में अन्य कठिनाइयों मे से एक कठिनाई यह भी है कि किसी कारण से सरकार उन भारतीयों की, जो रासायनिक उद्योगों में विदेशों में खासकर अमरीका और जर्मनी में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, योग्यता एवं प्रशिक्षण का उपयोग नहीं कर सकी है, और इनमें से बहुत से नवयवक अभी तक विदेशों में कारखानों में अच्छे वेतन पर काम कर रहे हैं और वे यहां आने में हिचकते हैं क्यों कि यहां पर उन्हें साधारण जीवन स्तर तक नहीं दिये गये हैं ?

श्री करमरकर: यह बहुत व्यापक प्रश्न है, जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं।

श्री केलप्पन: क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे यहां मूलभूत रासायनिक पदार्थ बनाने वाले उद्योग कौन कौन से हैं और उनका विकास करने से किन कठिनाइयों का अनुभव हुआ है ?

श्री करमरकर: मैं सादर निवेदन करना चाहुंगा कि यह एक बहुत कठिन प्रश्न है, और विशिष्ट उद्योगों के बारे में मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

प्रेस-आयोग

*२१४२. **श्री डी० सी० शर्मा:** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रभावक्षत्र के अन्तर्गत लाने के प्रश्न पर प्रेस आयोग से जनवरी, १९५४ के अंत से पूर्व एक अंतरिम प्रतिवेदन देने का अनुरोध किया था;

(ख) क्या यह सच है कि प्रेस आयोग ने उस समय तक प्रतिवेदन देने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी ; तथा

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) तथा (ख) जी हां श्रीमान।

(ग) प्रेस आयोग नें सूचित किया था कि श्रमजीवी पत्रकारों की नौकरी की शर्तों के सुरक्षाण तथा उनके और उनके नियोजकों के बीच होने वाले विवादों को तय करने के प्रश्न पर एक अंतरिम प्रतिवेदन तैयार करना उसके लिय कदाचित संभव न हो क्यो कि :—

(१) तब तक आयोग न गवाहों का परीक्षण पूरा नहीं किया था; और

(२) ऐसी संभावना थी कि इस विषय पर उसकी सिफारिश कुछ अन्य सिफारिशों के साथ संबद्ध हों जो कि देश में प्रेस के स्वस्थ विकास के उद्देश्य से की गई थी और इस मामले को अन्य मामलो से अलग करना संभव नहीं होगा।

श्री डी० सी० शर्मा: क्या यह सच नहीं है कि प्रेस आयोग के एक सदस्य ने सदन में यह कहा था कि एक अंतरिम प्रतिवेदन देने में प्रेस आयोग को कोई कठिनाई नहीं होगी क्या यह सच नहीं है कि जो नया भाषावार राज्य आयोग नियुक्त किया गया है, उसे अंतरिम प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया है ? अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि आयोग को अंतरिम प्रतिवेदन देने में कौन सी कठिनाईयां थीं !

डा० केसकर: यह आयोग एक संविहित आयोग है। वह एक अंतरिम प्रतिवेदन क्यों नहीं दे सका, इस विषय में उसकी ओर से कुछ नहीं कह सकूगा यह तय करना आयोग का काम है। अन्य मामलों के साथ इस मामले के सबंध में भी मेरे सहयोगी श्रम मंत्री ने आयोग के साथ काफी देर तक बातचीत की है। आयोग के किसी सदस्य ने, जो इस सदन का एक सदस्य है, क्या कहा है, यह म उसकी ओर से नहीं कह सकता। वह स्वयं बता सकते हैं।

श्री रघुरामय्या: यदि सरकार यह समझती है कि श्रमजीबी पत्रकारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रभाव क्षेत्र में रखा जाना चाहिये, तो क्या मैं जान

सकता हूं कि इस विषय पर उसने प्रेस आयोग से एक अंतरिम प्रतिवेदन मांगना क्यों आवश्यक समझा?

डा० केसकर: यह सोचना एक दूसरी बात है कि क्या श्रमजीवी पत्रकारों को ऐसे लोगों की श्रेणी रखना उचित होगा जिन पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होता है उसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जाये यह एक दूसरी बात है। पत्रकारिता उद्योग कपड़ा या लोहा और इस्पात, या रसायन आदि अन्य उद्योगों के समान नहीं है, और उसमें कुछ समस्यायें और पेचीदा बातें हैं और जल्दबाजी में ऐसी कोई चीज अधिनियमित करना बुद्धिमानी नहीं होगी जिससे कठिनाईयां पैदा हों। हमने कोई निश्चय करने से पूर्व इस प्रश्न पर प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार करना अच्छा समझा।

श्री टी० एन० सिंह : शायद मेरा हवाला दिया जा रहा है। मेरी बात को गलत रूप म कहा गया है मैंने यह कभी नहीं कहा था कि आयोग के विचार से कोई भी कठिनाई नहीं थी। कठिनाइयां सदैव रहेंगी। मैंने कठिनाइयो की कभी उपेक्षा नही की। कोई न कोई चीज सदैव की जा सकती है। मैं समझता हूं कि प्रसंग से बाहर हटा कर कुछ कहना और उसका हवाला देना मेरी बात को गलत रूप देना है।

श्री टी० के० चौधरी : क्या इस आयोग से यह ज्ञात कर लिया गया है कि क्या वह मई में इस अतिमहत्वपूर्ण प्रश्न पर जिस से जनता और देश में काफी परेशानी है, किसी प्रकार का प्रतिवेदन दे सकेंगा ?

डा० केसकर: आशा है कि आयोग का प्रतिवेदन जून के आरंभ में प्राप्त हो जायेगा। इस प्रश्न पर श्रम मंत्री एक विधेयक बना रह है। हमारा ख्याल है कि चार से छै सप्ताह के भीतर कोई जानकारी प्राप्त करनें की कोशिश से कोई लाभ नहीं होगा। हम सम्पूर्ण चोज पर हर पहलू से विचार करा सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित कर दू कि हम इस मामले में सक्रिय रूप से कार्यवाही कर रहे है।

श्री के० सी० सोधिया: क्या सरकार यह उचित समझती है कि इस सदन का एक सदस्य, जो आयोग का एक सदस्य है, अपने विचार प्रकट करे.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

*२१४३. **श्री एँन० शनय्या :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्यक राज्यों में रेशम उद्योग का विकास करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड को सन् १९५३ में कुल कितना धन दिया गया है ; तथा

(ख) क्या कुल धन उसी वर्ष व्यय हो गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) विभिन्न राज्यों को वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में जो धन आवंप्ति किया गया था उस को दिखाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १५**]

(ख) विभिन्न राज्यों ने वास्तव में अब तक कितना रुपया व्यय कर दिया है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। सदन की जानकारी के

लिए मैं यह बता देना चाहता हूं कि कुल ,३२,५४५ रुपया है।

श्री एन० राचय्या : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि रेशम उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है, क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड इस उद्योग की सुरक्षा करने में असमर्थ रहा है क्योंकि इसकी बैठक वर्ष में केवल एक ही बार होती है ?

श्री करमरकर : बैठक बुलाने का काम तो केन्द्रीय रेशम बोर्ड का है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसकी अपनी एक स्थायी समिति भी है। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सभी सदस्यों की वर्ष में केवल एक ही बैठक होती है और वे यह समझते हैं कि यह काफ़ी है। मैं माननीय सदस्य की यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि रेशम बोर्ड ने कुछ नहीं किया है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि पहले कार्य की अपेक्षा केन्दीय रेशम बोर्ड ने बहुत अच्छा कार्य किया है।

श्री एन० राचय्या : इस वर्ष यह धन किन बातों के आधार पर व्यय किया गया है ?

श्री करमरकर : उपयुक्तता एवं औचित्य को दृष्टिगत रखकर ही यह व्यय किया गया है। किन्तु माननीय सदस्य देखेंगे कि मुख्यतया यह धन राशि गवेषणा कार्य करने तथा रेशम कीट पोषण में सुधार करने के कार्यों पर व्यय की गई है।

श्री बासप्पा : मुझे ज्ञात हुआ है कि मैसूर को बीज केन्द्र का विकास करने के लिए ४१,००० रुपये का नियतन किया गया है, परन्तु क्योंकि योजना से सम्बन्धित विस्तृत बातें प्रस्तुत नहीं की गईं थीं अतः उस धन की स्वीकृति नहीं मिली है। योजना की विस्तृत बातें प्रस्तुत न करने का दायित्व किस पर है तथा मैसूर सरकार से यह योजना कब मांगी गई थी ?

श्री करमरकर : हमने योजना मांगी थी और मैसूर सरकार को प्रस्तुत करनी है। उसका निष्कर्ष प्रत्यक्ष है।

श्री बलवन्त सिंह महता : राजस्थान को कितनी धन राशि दी गई थी....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति,शान्ति। अगला प्रश्न।

सुधार शुल्क

*२१४५. **श्री एस० एन० दास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किसी राज्य ने अपने यहां उन विकास परियोजनाओं के लिए जो कि वहां चल रही हैं, सुधार शुल्क लगाने के लिए कोई कार्यवाही की है, यदि हां, तो किस राज्य ने ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों में अब तक कुल कितना धन मिल चुका है; तथा

(ग) इस सुधार शुल्क का योजना के वित्तीय पहलू पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) मैसूर, बम्बई, हैदराबाद, पंजाब, राजस्थान, पटियाला तथा पूर्वी राज्य संघ, तथा आसाम राज्य ने सुधार शुल्क लगाने के लिए विधान बना दिये हैं। मद्रास, आंध्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य भारत, सौराष्ट्र, त्रावनकोर-कोचीन, भोपाल, कच्छ तथा विन्ध्य प्रदेश की सरकारों ने कहा है कि वे इस प्रकार का विधान बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं।

(ख) सुधार शुल्क के एकत्रित किये जाने का कार्य अभी तक किसी राज्य में प्रारंभ नहीं हुआ है।

(ग) इस सुधार शुल्क से एकत्रित हुए धन का उपयोग, केन्द्र द्वारा इन परियोजनाओं के लिए जो ऋण दिया गया था, उसे लौटाने के लिए किया जायगा।

श्री एस० एन० दास : क्या उन राज्यों में से किसी राज्य ने भी, जिन्होंने कि अपने यहां सुधार कर लगाने का निश्चय किया है, ऐसा विधान पारित करने के सम्बन्ध में केन्दीय सरकार से परामर्श किया था? यदि हां, तो उन्होंने किस प्रकार का परामर्श मांगा था?

श्री हाथी : उन राज्यों ने योजना आयोग को विधान तो नहीं भेजे थे, किन्तु व्यक्तिगत रूप से विभिन्न बातों के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार योजना आयोग का परामर्श लिया गया था।

श्री एस० एन० दास : क्या योजना अयोग ने इस सम्बन्ध में अर्थात विभिन्न राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए किसी विशेष संगठत को नियुक्त किया है?

श्री हाथी : इसके लिए एक विभाग अलग से है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या इसको लोक प्रिय बनाने तथा मयूराक्षी एंव दामोदर घाटी निगम में कुछ स्वार्थी दलों ने इसके विरूद्ध जो प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया है उस का खंडन करने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की है?

श्री हाथी : यह राज्य सरकार का कार्य है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या नये विकास परियोजना क्षेत्रों में जो सुधार शुल्क की मात्रा रखी गई है उसका कोई सम्बन्ध पुराने परियोजना क्षेत्र की जहां कि नहरें अदि अन्य वस्तुएं पहले से ही थीं, वर्तमान स्थिति से है?

श्री हाथी : सुधार शुल्क की दर परिस्थितियों, भूमि के मूल्य में हुई वृद्धि, फसल, भूमि की स्थिति, तथा इस प्रकार की अन्य बातों के अनुसार विभिन्न होगी।

श्री नानादास : अधिकतम भूमि एवं भूमि के पुनर्विभाजन पर सुधार शुल्क का जो प्रभाव पड़ा है क्या उसका अध्ययन सरकार ने किया है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किये हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह मामला पूर्णतया राज्य सरकार का है।

श्री हाथी : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

मोती तैयार करना

*२१४६. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतवर्ष में मोती तैयार करने के उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) देश में मोती बनाने के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए यह कार्यवाही की गई है :—

(१) मोतियों के कच्चे सामान की आयातित मात्रा को, जो जुलाई–दिसम्बर १९५३ में १० प्रतिशत थी, बढ़ाकर

जनवरी—जून १९५४ में ५० प्रतिशत कर दिया है।

(२) कल्चर मोतियों को छोड़कर कच्चे मोतियों पर से आयात शुल्क हटा लिया गया है।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इस उद्योग में लगे व्यक्तियों की ओर से कोई प्रतिनिधान किये गये थे और क्या सरकार ने उन पर विचार किया था ?

श्री करमरकर : जी हां। कुछ प्रतिनिधान मिले थे और उनका परिणाम उत्तरों में बता दिया गया है।

श्री टी० के० चौधरी : देश में बनाये गये मोतियों की खपत के लिए बाज़ार कैसा है ?

श्री करमरकर : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री डी० सी० शर्मा : पिछले एक वर्ष की अवनति के फलस्वरूप इस उद्योग को कितने की हानि हुई है ?

श्री करमरकर : इसकी हानि अथवा लाभ के बारे में अनुमान लगाना बहुत कठिन है।

श्री डी० सी० शर्मा : इस उद्योग की अवनति का प्रभाव कितने कर्मचारियों पर पड़ा ?

श्री करमरकर : बम्बई के आस-पास मोती बनाने वालों की संख्या लगभग १००० (यदि भूल हो तो सुधारी जाय) है। छोटे तौर पर इसका काम करने वालों तथा लगभग १५० सार्थों ने बम्बई में एक संगठन बनाया है जो बम्बई ज़रिया महासभा के नाम से प्रचलित है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों की सूची तो समाप्त हो गई है।

श्री एम० डी० रामस्वामी : अब प्रश्न संख्या २१३७ लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुनिस्वामी की ओर से माननीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री। माननीय मंत्री संभवतः इस विचार से चले गये हैं कि माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या प्रश्न काल के समाप्त होने से पूर्व ही माननीय मंत्री जा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां। जब कोई प्रश्न विशेष निकल जाता है तो माननीय मंत्री इस विचार से उठ जाते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि अब उनकी यहां आवश्यकता नहीं है क्योंकि आशा नहीं की जाती है कि माननीय सदस्य जिन्हें प्रश्न पूछना था वह देरी से आयेंगे या जिन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार था वह देर से आयेंगे। मैं तो नहीं समझता कि उन्हें ऐसा करना चाहिये था, अच्छा होता यदि वे यहां उपस्थित होते।

श्री राघवय्या खड़े हुए—

(इतने में ही माननीय **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** आ गये)

कुछ सदस्य : वह आ गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अब मैं अगला कार्य प्रारम्भ करता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पारद मिश्रणों का निर्यात

*२१२९. **श्री एच० जी० वैष्णव** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पारद मिश्रणों (मर्करी

के कम्पाउंड्स) के निर्यात पर निषेध लगाने क कारण क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अगस्त १९५३ से पारद के निर्यात पर रोक लगा दी गई है परन्तु पारद लवणों (मर्करी साल्ट्स) तथा उसके मिश्रणों के निर्यात पर अभी तक कोई निषेध नहीं था। सरकार को पता चला कि देश में पारद का जो स्टाक है उस को मर्करी सल्फ़ाइड तथा आक्साइड में, जिनसे पारद प्राप्त कर के निर्यात किया जा सकता है, तेज़ी के साथ बदला जा रहा है, तथा इस प्रकार देश के लिये पर्याप्त स्टाक बनाये रखने के लिये लगाये गये निषेध का उल्लंघन किया जा रहा था। इसलिये ८ मार्च, १९५४ से, मर्करी आक्साइड तथा सल्फ़ाइड, दोनों के निर्यात पर निषेध लगा दिया गया है। मर्करी क्लोराइड के लिये अनुज्ञप्तियां बिना रोक टोक दी जा रही हैं।

जिरानिया सामुदायिक परियोजना

*२१३१. **श्री दशरथ देव** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जिरानिया (त्रिपुरा) के सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में, चुने हुए बांधों का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

राजकीय सहायता पोषित औद्योगिक आवास योजना

*२१३३. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार सरकार तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी जमशेदपुर को संशोधित राजकीय सहायता पोषित औद्योगिक 'आवास योजना' के अन्तर्गत १९५३-५४ में कितना रुपया अनुदान के रूप में दिया गया ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : राजकीय सहायता पोषित औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के लिये ३,३७,५०० रुपये की राजकीय सहायता की मंजूरी दी गई है। राजकीय औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत मालिकों में वितरण करने के लिये बिहार सरकार को १५ लाख रुपये का ऋण दिया गया है।

नमक उपकर

*२१३६. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **उत्पादन मंत्री** ७ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६४९ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में नमक उपकर में से श्रम कल्याण पर व्यय की गई धनराशि ; तथा

(ख) सामान्य निधि में जमा की गई धन राशि ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में श्रम कल्याण पर किये गये व्यय के विस्तृत विवरण, नमक संगठन के प्रादेशिक कार्यालयों से एकत्रित किये जा रहे हैं तथा जल्दी से जल्दी सदन पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ख) १९५२-५३ में एकत्रित की गई नमक उपकर की कुल धनराशि अर्थात् ९६·१ लाख रुपया तथा १९५३-५४ की कुल धन राशि लगभग ९४ लाख रुपया

सायान्य राजस्व के खाते में जमा कर दी गई है।

नमक उपकर की कुल प्राप्ति निरापवाद रूप से सामान्य राजस्व के खाते में जमा कर दी जाती है तथा नमक विकास श्रम कल्याण इत्यादि का कुल खर्चा भी सामान्य राजस्व से किया जाता है।

आल इण्डिया रेडियो के भाषा बुलेटिन

*२१३७. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री ७ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६५१ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रादेशिक भाषा समाचार बुलेटिनों की तालिका में जो प्रादेशिक भाषायें सम्मिलित की गई हैं उन में तामिल भी एक है ; तथा

(ख) मद्रास केन्द्र से प्रसारित होने वाले तामिल समाचार बुलेटिनों के प्रसारण की वर्तमान प्रणाली में तथा नई प्रणाली में जो कि लागू की जाने वाली है क्या अन्तर है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : हां।

(ख) वर्तमान प्रणाली के अनुसार अखिल भारतीय तथा विश्वव्यापी महत्व के तामिल समाचार बुलेटिन दिल्ली से प्रसारित किये जाते हैं तथा आल इण्डिया रेडियो के मद्रास केंद्र द्वारा मिले (पुनः प्रसारित) किये जाते हैं। नई प्रणाली के अनुसार तामिल का प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दिल्ली से प्रसारित किये जाने वाले बुलेटिन के अतिरिक्त होगा तथा उस में स्थानीय रुचि के वह समाचार भी होंगे जिनको दिल्ली से प्रसारित होने वाले बुलेटिन में स्थान नहीं दिया जा सकता है।

कोयला

*२१४४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३ में, कलकत्ते तथा विशाखापटनम् में बुंकर (कोयला लादने वाले जहाज़ों द्वारा काम में लाये जाने वाले) कोयले की खपत कम हो गई थी ; तथा

(ख) यदि हां, तो उसके कारण ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) हां।

(ख) इस के यह कारण हो सकते हैं :

(१) खाद्यों के आयात कम हो जाने के साथ साथ इन बंदरगाहों में आने वाले ऐसे जहाज़ों की संख्या भी कम हो गई है जो दो निश्चित बंदरगाहों के बीच नियमित यात्रा करने के बजाये हर किसी स्थान से हर किसी स्थान के लिये सामान लादते हैं। ऐसे जहाज़ ट्रैम्प जहाज़ कहे जाते हैं तथा अधिकांश रूप से कोयले से चलते हैं। यह जहाज़ खाद्यान्न उतारने के पश्चात आम तौर से बुंकर कोयला लेते रहे हैं।

(२) हमारे कोयले के निर्यात व्यापार के कम हो जाने के साथ साथ कोयला लादने के लिये बहुत कम जहाज़ इन बंदरगाहों में आते हैं।

(३) दुनिया भर में तेल से चलने वाले जहाज़ों के अनुपात में वृद्धि हुई है तथा कोयले से चलने वाले जहाज़ों की संख्या कम हो गई है। इसलिये जो भी जहाज़ बंदरगाह में आते हैं उनमें से ऐसे जहाज़ों की संख्या बहुत कम होती है जिन को बुंकर कोयले की आवश्यकता पड़ती हो।

परियोजना मंत्रणा समिति

४५२. **श्री दशरथ देव** : क्या **योजना** मंत्री ३० मार्च १९५४ को

सामुदायिक परियोजना प्रशासन, त्रिपुरा के सम्बंध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४२९ के उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) परियोजना मंत्रणा समिति के सदस्यों की संख्या तथा उन के नाम ; तथा

(ख) अभी तक इस समिति पर कितना रुपया खर्च किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जायेगी।

महाभिरक्षक निष्क्रान्त सम्पत्ति, दिल्ली का कार्यालय

४५३. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) महाभिरक्षक निष्क्रान्त सम्पत्ति दिल्ली के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या ; तथा

(ख) उपर्युक्त (क) की संख्या में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो विस्थापित व्यक्ति हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री के० के० भोंसले) : (क) १११ ।

(ख) ८१।

बीड़ी का निर्यात

४५४. **श्री संगण्णा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) किन राज्यों ने पूर्वी पाकिस्तान को बीड़ी के पत्तों का निर्यात किया है ;

(ख) १९५१ से ले कर १९५३ तक प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य से होने वाले बीड़ी के निर्यात का परिमाण ; तथा

(ग) उपर्युक्त वर्षों में से प्रत्येक में इस निर्यात से प्राप्त हुए विदेशी विनिमय की राशि ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) पश्चिमी बंगाल तथा बिहार।

(ख) तथा (ग). एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १७]**

ताड़ गुड़

४५५. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३–५४ में भारत सरकार द्वारा ताड़ गुड़ विकास योजना के लिये राजकीय सहायता के रूप में विभिन्न राज्यों को दी गई कुल धन राशि ;

(ख) १९५२–५३ के आंकडों की तुलना में यह आंकड़े कैसे हैं ;

(ग) १९५३ में तैय्यार किये गये ताड़ गुड की कुल मात्रा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ४,२४,६६३ रुपये।

(ख) १९५२–५३ में ४,४३,७८९ रुपये १२ आने । इस से स्पष्ट है कि १९५२–५३ की तुलना में १५५३–५४ में १९,१२६ रुपये १२ आने की कमी हो गई है ।

(ग) लगभग ५९,००० टन।

बृहस्पतिवार,
२९ अप्रैल, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
On
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

अंक ४--१७ अप्रैल से ४ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
शनिवार, १७ अप्रैल, १९५४	
सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग, कोरिया के प्रतिवेदन और चुने हुए दस्तावेज	३४३९
त्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना---	
दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशान्त महा सागर के लिये सामूहिक रक्षा की व्यवस्था	३४३९–३४४३
सदन का कार्यक्रम	३४४३–३४४५
अनुदानों की मांगें---	
मांग संख्या २६–वित्त मंत्रालय	३४४६–३४८७
मांग संख्या २७–सीमा शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २८–संघ उत्पादन शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २९–निगम कर तथा संपत्ति शुल्क समेत आय पर कर	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३०–अफीम	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३१–स्टाम्प्स	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३२–अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा कोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि का भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३३–लेखा-परीक्षा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३४–मुद्रा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३५–टकसाल	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३६–प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेंशनें	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३७–वृद्धावकाश भत्ता तथा निवृत्ति वेतन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३८–वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३९–राज्यों को सहायक अनुदान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४०–संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४१–असाधारण भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४२–विभाजन पूर्व के भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ११५–भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजीव्यय	३४४६–३४८७

	पृष्ठ भाग
मांग संख्या ११६—मुद्रा पर पूंजी व्यय	३४४६—३
मांग संख्या ११७—टकसाल पर पूंजी व्यय	३४४६—३४
मांग संख्या ११८—निवृत्ति वेतनों का परिगत मूल्य	३४४६—३४८७
मांग संख्या ११९—छंटनी किये गये व्यक्तियों को भुगतान	३४४६—३४८७
मांग संख्या १२०—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४४६—३४८७
मांग संख्या १२१—केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ऋण तथा अग्रिम धन	३४४६—३४८७
मांग संख्या ७०—विधि मंत्रालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७१—चाय-व्यवस्था	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७२—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७३—भारतीय भूपरिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७४—वानस्पतिक सर्वेक्षण	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७५—प्राणकीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७६—भूतत्वीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७७—खानें	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७८—वैज्ञानिक गवेषणा	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७९—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ८०—संसद् कार्य विभाग	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०७—संसद्	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०८—संसद् सचिवालय के अधीन विविध व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०९—उपराष्ट्रपति का सचिवालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १३१—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४८७—३४८८
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित	३४८८—३४८९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की छठी रिपोर्ट स्वीकृत	३४८९—३४९०
केन्द्र में प्रशासन-तन्त्र तथा कार्यप्रणाली के विषय में संकल्प—असमाप्त	३४९०—३५३८
सोमवार, १९ अप्रैल, १९५४	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—शकूर बस्ती आर्डिनेन्स डिपो में गड़बड़	३५३९—३५४२
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित	३५४२—३५४३
वित्त विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३५४३—३६१६

	पृष्ठ भाग
मंगलवार, २० अप्रैल, १९५४	
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण	३६१७–३६१८
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में संयुक्त समिति—द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन	३६१७
वित्त विधेयक—असमाप्त	३६१८–३६८८
बुधवार, २१ अप्रैल, १९५४	
राज्य परिषद् से सन्देश—	
शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसात्करण विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया	३६८९
हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया	३६८९
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
भारत भण्डार विभाग द्वारा अस्वीकृत टेण्डरों सम्बन्धी वक्तव्य	३६९०
"भारत में फ्रेंच बस्तियां" नामक दस्तावेज	३६९०
वित्त विधेयक—विचार प्रस्ताव—स्वीकृत	३६९०–३७६२
बृहस्पतिवार, २२ अप्रैल, १९५४	
याचिका समिति—पहली रिपोर्ट का उपस्थापन	३७६३
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिशें	३७६३–३७६४
वित्त विधेयक—संशोधित रूप में पारित	३७६४–३८६८
शुक्रवार, २३ अप्रैल, १९५४	
सदन का कार्य	३८६९–३८७०
सरकारी विधेयकों का क्रम	३८७०–३८७२
न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित	३८७२–३८८४
स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक—पारित	३८८४–३९०४
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	३९०४
अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—वादविवाद स्थगित	३९०५–३९२०
खाद्य पदार्थ अपमिश्रण दंड विधेयक—वादविवाद स्थगित	३९२०–३९३०
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३९३०–३९४६

शनिवार, २४ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद से संदेश ३९४७–३९४८, ४०४२

हिन्दचीन के विषय में वक्तव्य ३९४८–३९५६

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९५६–३९७३

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९७३–४०३९

लुशाई पहाडी जिला (नाम परिवर्तन) विधेयक––पारित ४०४०–४०४२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक– विचार करने का प्रस्ताव––असमाप्त ४०४२–४०४४

सोमवार, २६ अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र— ४०४५–४०४६

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या ९–पी० आई० (२५०) ५३, दिनांक १५–२–५४

कलकत्ता बन्दरगाह आयोग के लिये निर्वाचित आयुक्तों के स्थानों का पुनर्वितरण दिखाने वाला विवरण

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या १३–पी० आई० (१२४) ५३, दिनांक १५–२–५४

मद्रास बन्दरगाह न्यास के लिये निर्वाचित न्यासधारियों के स्थानों का पुनर्वर्गीकरण दिखाने वाला विवरण ४०४६–४०५२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक––पारित ४०५४–४०६९

जनता के लिये तात्कालिक महत्वपूर्ण-विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना ––

माओ-माओ आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के सन्देह में सामूहिक रूप से नैरोबी स्थित भारतीय आयुक्त के कार्यालय की तलाशी ४०५२–४०५४

औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक– पारित ४०६९–४१०५

संघीय प्रयोजनों के लिये भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक–– पारित ४१०५–४१०८

भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक––पारित ४१०९–४११८

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४११९

याचिका-समिति––द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ४११९

खाद्य स्थिति-याचिका प्राप्त ४११९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

उत्तर बिहार को कोयला तथा सीमेंट ले जाने के लिये अपर्याप्त परिवहन सुविधायें ४१२०–४१२२

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित ४१२२

कारखाना (संशोधन) विधेयक—पारित करने के लिये प्रस्ताव–– असमाप्त ४१२२–४१८२

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक–– परिषद् द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४१८२

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली वर्षा ४१८३–४१८४

स्थगन प्रस्ताव—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली-वर्षा ४१८४–४१८९

कारखाना (संशोधन) विधेयक—पारित ४१८६–४१८९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक—पारित ४१८९–४२१४

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करनें का प्रस्ताव—असमाप्त ४२१४–४२६०

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति—

सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४२६१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४२६१–४३३६

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४३३७

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच कोसी परियोजना के सम्बन्ध में हुआ समझौता ४३३७

भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में संशोधन ४३३८

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५१–५२ वर्ष के लिये प्रतिवेदन ४३३९

तारांकित प्रश्न संख्या १२० के उत्तर में शुद्धि ४३३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—

माही में फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा गोली वर्षा ४३३९–४३४१

स्थगन प्रस्ताव—

फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा माही के निकट गोली वर्षा ४३४१

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४३४१–४३६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४३६०–४३६५

केन्द्र में प्रशासन तंत्र तथा कार्य प्रणाली सम्बन्धी संकल्प--अस्वीकृत ४३६६–४३९१

हाथ करघा उद्योग के लिये साड़ियों तथा धोतियों के उत्पादन के संरक्षण संबंधी संकल्प--असमाप्त ४३९१–४४०२

शनिवार, १ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बुलेटिन संख्या १९ ४४०३

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ४४०३–४४०९

समवाय विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४४१०–४४९६

सोमवार, ३ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखे (डाक तथा तार), १९५१–५२ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ ४४९७

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत ४४९७–४५५१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५५१–४५७६

मंगलवार, ४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या १० ४५७७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५७७ ४६४८

GIPD—HS—477 L. S.—3-1-55—285

संसदीय वाद विवाद

(भाग २---प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

वृहस्पतिवार २९ अप्रैल १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

प्रश्नोत्तर

(देखिए भाग १)

८-५६ म० पू०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति

(सातव प्रतिवदन का उपस्थान)

श्री कासलीवाल (कोटा झालावाड़): मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

समवाय विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय। अब सदन, समवाय विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने विषयक माननीय वित्त मंत्री द्वारा कल प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगा।

श्री टी० एन० सिंह (जिला बनारस पूर्व): अध्यक्ष महोदय, इस परिवर्त्तन शील संसार में जहां सभी चीजें अनियत और अनिश्चित मालूम होती हैं, उस संसार में जो चीज़ सबसे पहले निश्चत और नियत है वह यह है कि आज मुझे बोलना है बल्कि यह कल ही तय हो गया था, तो इस वास्ते मैं आप लोगों के सामने उसी नियत द्वारा मजबूर होकर बोल रहा हूं लेकिन फिर भी हमारे एक मित्र ने हमारे साथ बड़ी हमदर्दी जाहिर की। और उन्होंने कहा अखबार में पढ़ा या बुलेटिन लिखा देखा था कि आई वाज आन माई लेग्ज ("I was on my legs") उनको बड़ी तकलीफ हुई कि कल से आज तक मैं लेग्स पर हूं। मैं उनकी सहानुभूति के लिये कृतज्ञ हूं। खैर मैं अब अपने विषय पर आता हूं। तो हां, कल यह कह रहा था कि इस ला में इस कानून में तीन सौ ऐसी चीज़ है जिसके अनुसार हमारी जो पहले शिकायतें रही हैं पहले जमाने की कि कोई आदमी लोगों को धोखा देकर के कम्पनी बना सकता है और दस दस रुपये के शेयर्स ले करके दूसरों के रुपये से जुआ खेल सकता है। उसके लिये इस कम्पनी ला में क्या कोई रुकावट आपने प्रोवाइड की है। यह साधारण कम्पनी की बात है, मैनेजिंग एजेंसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने तो इस महाभारत को भी थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की यह कांस्टीट्यूशन से भी बड़ा है और जैसा मैं पहले भी

[श्री टी० एन० सिंह]

कह चुका हूं मैं वकील नहीं हूं, इस वास्ते यदि कहीं गलती कर रहा हूं तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और ला मिनिस्टर, वह इस समय यहां नहीं हैं, वह उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, फिर भी मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार इसको देखा है और मेरी समझ में नहीं आया कि किस तरह से उसको रोका जा सकता है, अगर हमें गवर्नमेंट को पब्लिक को मालूम हो कि कोई आदमी चार आदमियों का नाम लेकर, एक्सपर्ट्स के दस्तखत तो हो सकते हैं और वह एक्सपर्ट अपना जानबूझ कर कार्य करे, इसके लिए खाली आपने गुजायश कर दी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह काफी हमारे लिये सुरक्षा की चीज़ है। हम जो दस दस और बीस, बीस रुपया करके जिन्दगी भर की कमाई जो इस ख्याल से उसमें लगा देते हैं कि उससे देश का कल्याण होगा और हमें उससे चार पैसे प्राफिट (लाभ) में मिल जायेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे छोटे तबके के शेयर होल्डर्स की रक्षा का इस कम्पनी ला में क्या प्रबन्ध है, यह मेरी समझ में नहीं आया, इस वास्ते मैं चाहता हूं कि यदि यह सेलेक्ट कमेटी में जाय तो वहां पर इस बात पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाय कि गलत और धोखे की जो कम्पनीज चलायी जाती हैं, उसको रोकने के लिये इसमें कोई न कोई प्रावीजन अवश्य होना चाहिये यदि नहीं होगा तो हमारी इतनी मेहनत और इतने दिनों तक हम लोगों का रुकना सब व्यर्थ होगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस कम्पनी ला में कहां पर ऐसी रुकावट है हम सुनते हैं कि इंगलैंड के ढांचे पर हमने यह कम्पनी ला बनाया है, दो पौंड की भी कम्पनी बन सकती है दस सौ, एक हजार और पांच सौ पौंड की भी कम्पनियां बन सकती हैं, उसके लिए क्या रुकावट है और एक छोटी कम्पनी जो यह कहती है कि हम लाखों और करोड़ों का रोजगार करेंगे, उसके लिये इसमें क्या रुकावट है ? बहुत सी कम्पनियां जो बनती हैं वह कमीशन एजेंट्स होती हैं। मेरा यह निश्चित मत है कि हमारे देश में जिन्हें सही मानों में औद्योगिक व्यक्ति कह सकते हैं, ऐसे औद्योगिक व्यक्तियों की संख्या बहुत सीमित है, बहुत थोड़े से लोग हैं जो वाकई उद्योग धंधे में लगना चाहते हैं। ईस्ट इंडिया कम्पनी के ज़माने से जो कमीशन एजेंसी का सिलसिला शुरू हुआ वह अब तक चला जाता है, आखिर यह मैनेजिंग ऐजेंसी सिस्टम है क्या, यह अंग्रेजों की भारत के लोगों को देन है। अंग्रेजों के पहले हमारे देश वाले यह कम्पनी वगैरह के चलाने का तरीका और किस तरह से लोगों को इसमें धोखा दिया जाता है, नहीं जानते थे, हमारे देश की परम्परा इसके बिल्कुल प्रतिकूल रही, लेकिन ऐसे नये नये तरीके बहुत से इस बीसवीं शताब्दी में हम लोगों ने सीख लिये हैं और फिर हम लोगों ने उन तरीकों से जो खराब चीजें हैं, वह सीखना शुरू की, यह मेरी शिकायत बहुत पुरानी बात है।

क्या जरूरत है कि मैनेजिंग एजेन्सी सिस्टम रहे ? इसको प्रश्रय देने का कौन सा कारण है, यह मेरी समझ में नहीं आया। कहा जाता है कि इस से कैपिटल शाई हो जाता है, इससे लोग रुपया नहीं लगावेंगे, नये नये उद्योग धंधे नहीं चलावेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि

इस मुल्क में नये नये उद्योग धंधे लगाने वाले कितने हैं और वह किसके रुपये से नये उद्योग धंधे लगाते हैं। जिसमें कोई भी खतरा हो, जिस में कोई भी जोखिम हो, जिस में कोई भी भय हो कि आगे चल कर इस में हमको फायदा नहीं होगा, तो ऐसे बहुत से कामों के लिये लोग कहते हैं कि शेयर होल्डिंग कम्पनी बना दो। उन से रुपया ले लिया, और साथ साथ यह भी है कि इस लड़ाई के जमाने में लोगों के पास कुछ रुपया हो गया, मुझ को तो पता नहीं, भगवान जाने न्याय से हुआ या अन्याय से हुआ, ब्लैक मार्केट का रुपया आया रेसेज का का रुपया आया या कहां से आया, लेकिन वह रुपया जो है उसके भरोसे पर वह लोग बैंक से केडिट ले लेते हैं। एक शेयर कम्पनी खोली, उसका अन्डर राइट किया और जब वह चली तो दूसरे ही दिन उसके शेयर बेचने शुरू कर दिये। उसे लोगों ने खरीद लिया, उसमें मेरे जैसे बुद्धू और बेवकूफ आदमी नहीं हैं, वह खरीद लेंगे हम लोग तो ला वगैरह कुछ पढ़े नहीं हैं, आपने उन को खरीदवा दिया। उनका शेयर तो बहुत छोटा है। यहां से लेकर उनका जो मुंशी बैठता है, ज्वाइंट स्टाक कम्पनी के रजिस्टार के आफिस तक सब जगह उनके आदमी हैं। उनकी कम्पनी के प्रास्पेक्टस और उनके नियम शुरू से लेकर आखिर तक सब पास होते जाते हैं। उस में कोई बाधा नहीं दिखाई देती, और वह कम्पनी चलाते हैं और हमारा रुपया लेकर जुवा खेलते हैं। जब कम्पनी नुकसान पर चलती है तो उनको भरोसा है कि हमारी मेहरबान गवर्नमेंट उन को नीचे नहीं जाने देगी और उनको किसी ने किसी तरीके से कायम रखेगी, चाहे टैक्सपेयर को भुगतना पड़े उस के लिये, चाहे पालियामेंट को भुगतना पड़े चाहे मिनिस्टर को भुगतनापड़े। वह कहते हैं कि हम ने फैक्ट्री बन्द की और एक हजार आदमी बेकार हुए; हमारा पार्लियामेन्ट में भी उधर के भाई शोर मचाते हैं कि इतने आदमी बेकार हो जायेंगे, इसलिए कम्पनी जारी रखी जाय। गवर्नमेंट उन की मदद करेगी, और जब मदद के बाद उन को फायदा होने लगता है, तो पुराने जिम्मेदार आदमी उस में होते हैं वह अपना पैसा बैंक से लेते हैं, लेकिन जो बेचारा मेरे जैसा आदमी है जिस ने जिन्दगी भर में १० रुपये बचा कर लगाये, उसके १० रुपये १ रुपया ही रह गया। तो मैं पूछता हूं कि इसके लिये हमारे पास क्या इलाज है ? यह जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में शक्स हैं, वह बहुत बढ़ गये हैं। अगर हमारी पापुलेशन बढ़ी है २ परसेन्ट तो उनकी पापुलेशन बढ़ी है १०० परसेन्ट के हिसाब से। इनको रोकने का हमने क्या प्रबन्ध किया, इस कम्पनी ला में मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला। मैं नहीं समझता हूं कि आज के जमाने में अगर हम यह नहीं करेंगे तो हम किस मुंह से अपने भाइयों के सामने जायेंगे इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप यह नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि कम्पनी का ढांचा ही संसार में नहीं रहेगा। इसलिये मैं बहुत अदब के साथ हाउस से अपील करता हूं कि ऐसी चीजों को जिनमें कि एक बड़ा आदमी जिसकी पहुंच चारों तरफ है, वह छोटे आदमी को इस तरह से धोखा दे और चाहे कि गवर्नमेन्ट उस को प्राटेक्ट करे, रुकना चाहिये।

एक बात मैं यहां पर खास तौर से कहना चाहता हूं। एक बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट

[श्री टी० एन० सिंह]

साहब हैं, उन से बात करने का मुझे मौका मिला. वह कहते हैं कि वह नम्बर ३, ४ या १० पर हैं इस बड़ी हायरार्की में बड़े लोगों की । उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाइश है वह नम्बर १ हो जावें । उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडियन पेनल कोड में जितने भी जुर्म हो सकते हैं, सब उन्होंने अपनी जिन्दगी में किये हैं, लेकिन वह ला से प्रोटेक्टेड हैं, हमारा ला उनका कुछ नहीं कर सकता । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह कम्पनी ला ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करेगा मेरा ख्याल है कि जिस तरह का यह ला है वह जरूर उसको प्रोटेक्ट करेगा । हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहा कि इस ला को बनाने में बहुत परिश्रम किया गया कम्पनी ला कमेटी ने और हम सब लोगों ने मिलकर जो इन्डस्ट्रियलिस्ट्स की नीड्स हैं, कन्ट्री की नीड्स हैं, या दूसरी नीड्स हैं, सब का बैलेन्स इस में मैनटेन किया है, संतुलन किया है सारी चीज को वे तोल करके रक्खा है, लेकिन किस तरह से संतुलन किया है ? मेरी समझ में कोई संतुलन नहीं हुआ । कम्पनी ला कमेटी की जो रिपोर्ट आई हम लोगों के सामने उसमें कौन कंसल्ट किया गया ? किस से पूछा गया, किस की राय ली गई, जिसका हवाला फाइनेन्स मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में दिया ? क्या यह बात सच नहीं है कि उन्हीं लोगों की राय उन्हीं लोगों तजवीजें, हमारे पास आई जो कि इन कम्पनियों का काम करते हैं ? मेरे जैसे आदमी गांव के आदमी, जिसने जिन्दगी भर पोस्टआफिस में नौकरी कर के रिटायर होने पर एक या दो हजार रुपया, उस की राय से कितना लाभ उठाया गया । मैं यह जानना चाहता हूं ? मेरे ख्याल में उससे कोई फायदा नहीं उठाया गया और उस के लिये कोई संतुलन नहीं किया गया । जरूरत है कि सेलेक्ट कमेटी में इस का पूरा संतुलन किया जाय, नहीं तो एक बहुत भारी तबका है इस हाउस में और दूसरी जगहों पर भी जो कि इस को बर्दाश्त नहीं करेगा ।

इस के बाद दूसरी चीज जो मेरी नजर में आई है चन्द वर्षों में वह यह है जिसे कि कहते हैं "इन्टरलाकिंग आफ कैपिटल" अंगरेजी में । एक आदमी को किसी कम्पनी में १० परसेन्ट या २० परसेन्ट शेयर है, उस ने एक दूसरी भी कम्पनी खोल ली । लड़ाई के जमाने में लोगों ने खूब पैसा बनाया, भगवान जाने न्याय से बनाया, नकनियती से बनाया या बदनियती से बनाया, लेकिन उन्होंने कुछ रुपया बनाया । इस के बाद तीन कम्पनियों में उन के पास २० परसेन्ट शेयर आ गये, इस के बाद तीन कम्पनी खोल ली । इस तरह से हम देखते हैं कि मैनेजिंग एजेन्टस और मैनेजिंग डाइरेक्टर्स की बपौती चली जा रही है । जिस कम्पनी में उन का ३० या ४० परसेन्ट शेयर है और ६०, ७० परसेन्ट शेयर उस में दूसरों का है, उन सब को उसने ले लिया और एक दूसरी कम्पनी और खोल दी और उसके जरिये वह फिर फायदा उठाने लगा, यानी रुपया गरीब आदमी लगाये और फायदा यह बड़े बड़े लोग उठाते हैं । आप यह देखेंगे कि किसी की जो कई कम्पनियां होतीं हैं उनमें से किसी की बैलेन्स शीट ३१ मार्च को खत्म होती है, किसी की ३० जून को खत्म होती है, और किसी की ३१ दिसम्बर को खत्म होती है और उन सब का रुपया एक दूसरे को ट्रान्सफर

होता रहता है। अगर सरकार को इस का पता है, तो इस के लिये उस ने क्या रुकावट की है? मेरी समझ में उस ने कोई भी रुकावट नहीं की है। वह लोग तो इस तरह से पब्लिक का रुपया ले कर नई कम्पनी खोल कर उस के मालिक बन बैठते हैं, वह तो ५१ परसेन्ट शेयर लेकर भी उस के मालिक बन बैठते हैं या ४० परसेन्ट ही ले कर मालिक बन बैठते हैं। हम लोग अपने कुटुरत में देखते हैं कि कभी ऐसा होता है कि एक का कुल जायदाद में २ पैसा हिस्सा है, लेकिन वह धीरे धीरे सारी जायदाद का मालिक बन बैठता है। हर एक भाई को यह बुरा लगता है पर वह कुछ कर नहीं पाता है। हम आज रोब अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि कोई आदमी जो सिर्फ ४ आ० का हिस्सेदार है, उस हिस्से के जरिये वह हर चीज का मालिक बन बैठता है। यह चीज कहां तक वाजिब है इसको देखना है। हमने देखा कि इंटरलाकिंग में और पब्लिक कारपोरेशन्स में यह सब चीजें जान बूझ कर की जा रही हैं। ६, ७, ८ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों ने मिल कर अपना एक कारपोरेशन बना लिया। इस का फल यह होता कि उनको इनकम टैक्स में बहुत फायदा होता है क्योंकि कम्पनियों के इनकम टैक्स का अलग रेट है और इन्डिविजुअल टैक्स का अलग रेट है। और फिर जिस में इन्टरलाकिंग हो उसमें तो बहुत ही फायदा उठाते हैं। यही नहीं कि इस किस्म से उन को इवेजन का मौका मिलता है बल्कि इस किस्म के ट्रान्सफर से जिसे बोगस इन्ट्रीज कहते हैं इस बात का पूरा क्षेत्र मिल जाता है।

तो वह चीज आपको रोकनी है। उस के लिए मैं ने बहुत देखा, इस ला में कोई रुकावट नहीं है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं। शायद अगर कहीं पता चला और कुछ मेम्बरों ने शिकायत की किसी कम्पनी के बारे में तो गवर्नमेन्ट उस के लिए इनवेस्टीगेटर एपाइंट कर देगी और जांच होगी। कागज वगैरह मुहय्या करने के लिए तो इसमें इंतिज़ाम है। वह सब पेपर मांग सकता है। एलाइड कम्पनीज के पेपर भी मांग सकता है। यह बहुत अच्छी चीज है। इसके बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर इनवेस्टीगेटर ने जांच करने के बाद यह कहा कि साहब इस कम्पनी का इन्तिजाम इस चीज में बहुत खराब है, तो आप क्या कर सकते हैं। इसके सिवा कि आप कम्पनी को वाइंड अप करें, क्या इस कम्पनी ला में कोई तरीका है कि आप उस कम्पनी में कोई सुधार कर सकें। आप वाइंड अप कर सकते हैं लेकिन इसके लिए यह कहा जायगा कि ऐसा करने से दो, चार, दस हज़ार आदमियों की रोज़ी जाती है। इसके मानी यह हैं कि वह वाइंड अप नहीं हो सकती और इसके सिवा इस ला के अन्दर आप कुछ कर नहीं सकते।

[श्रीमती खोंगमेन पीठासीन हुईं]

हर चीज पर स्लेज हेमर नहीं चलाया जा सकता। अगर कहीं कुछ खराबी है तो उसको दूर करने के लिए अधिकार होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि कम्पनी के डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स बैठकर सुधार कर सकते हैं। लेकिन मैं शेयर होल्डर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मेरा थोड़ा बहुत सम्बन्ध एक छोटी सी कम्पनी से रहा है। नेशनल हैराल्ड कम्पनी का एक अखबार निकलता है। मेरा उस कम्पनी से सम्बन्ध है।

[श्री टी० एन० सिंह]

मैं बड़ी कोशिश करता था कि सालाना मीटिंग में शेयर होल्डर्स आवें लेकिन वह नहीं आते थे। कारण यह था कि अगर एक आदमी का किसी कम्पनी में दस रुपये का इंटरेस्ट है और आप उसको बुलाते हैं, तो क्या वह मद्रास से इस दस रुपये के इंटरेस्ट के लिए दो सौ रुपये खर्च कर के आवेगा और वापस जायगा यह मुमकिन नहीं हो सकता। इस वास्ते इस से वस्तुतः कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शेयर होल्डर है उसकी उसमें कोई भी आवाज नहीं हो सकती। तो हमको इस बारे में सोचना है, और यह बड़ा टेढ़ा सवाल है। डेमोक्रेसी का यह तकाजा है कि यह देखा जाय कि जिन लोगों का पैसा लगाया जाता है उसका सदुपयोग होता है या नहीं। एक शेयर होल्डर्स की कम्पनी जनतंत्रात्मक चीज है। इसलिए यह देखना चाहिए कि वह डेमोक्रेसी के उसूल के मुताबिक चलती है या नहीं। लेकिन अगर इसमें जो डेमोक्रेसी का उसूल है वही खत्म हो जाता है तो उस पर सोचने की जरूरत है। खाली यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि यह जरूरी है कि हम उन सब चीजों को मान लें जो अंग्रेजी या फ्रांसीसी या अमरीकी कम्पनी ला में हैं। हमको तो न्याय की बात क्या है यही देखना है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह उचित नहीं है कि जिस आदमी का पैसा लगा है उसको अपनी राय जाहिर करने का मौका मिले। लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि उस को यह मौका नहीं मिलता। कैसे एक दस, बीस या पचास रुपये का शेयरहोल्डर मद्रास से दो सौ रुपया खर्च करके आवेगा। मैनेजिंग एजेंटों को और डायरेक्टरों को तो रेल का किराया मिलता है और डली एलाउंस मिलता है इसलिए वे चले आते हैं। लेकिन एक शेअरहोल्डर तो इस तरह से नहीं आ सकता। आज हम अपने बीच में ही देख लें, कुछ लखपतियों और करोड़पतियों को छोड़ दीजिये, अगर हमको किराया न मिले तो हम कहां तक पार्लियामेंट में आ सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो हजार दो हजार बेचारे शेअरहोल्डर हैं वह कैसे आवें। वह नहीं आ सकते। मैं मानता हूं कि किसी कम्पनी के लिए उन सब को किराया देना भी नामुमकिन है। तो इसका कोई तरीका सोचना चाहिए, कोई उपाय निकालना चाहिए। अगर वह लोग इसका कोई उपाय नहीं निकाल सकते तो इस गवर्नमेंट का और इस पार्लियामेंट का फर्ज हो जाता है कि वह उसका उपाय निकाले।

एक माननीय सदस्य : प्राक्सी का एक उपाय है।

श्री टी० एन० सिंह : तो ऐसी हालत में स्टेट इंटरफियरेंस बहुत जरूरी हो जाती है। और फिर आप प्राइवेट एंटरप्राइज, कैपिटल इंटरेस्ट और गरीब आदमियों के बीच में इतने ज्यादा संतुलन को छोड़ दीजिए। यह तराजू कभी कभी बहुत गलत चलने लगती है और अगर आप इस तराजू के नाम पर डाइरेक्टर को देखेंगे तो हम समझते हैं कि कैपीटलिस्टों का पलड़ा भारी हो जायगा। तो मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस पर सोचने की जरूरत है। यदि नहीं सोचा गया तो हमारे दिल में जो असंतोष है वह दूर नहीं होगा। जब हम देखते हैं कि दूसरों का पैसा लगाकर लोग पैसा बना रहे हैं तो हम

कब तक चुप बैठे रह सकते हैं । हमारे दिल में एक गुबार पैदा हो रहा है । इस इंटरलाकिंग आफ कैपीटल को रोकना चाहिए । अगर शेअरहोल्डर्स एक्टिव नहीं हो सकते तो हमारी पार्लियामेंट का, जो कि आम लोगों की चुनी हुई चीज है, यह फर्ज हो जाता है कि वह दखल दे । लेकिन इस कानून में पार्लियामेंट को या गवर्नमैंट को इंटरफियर करने का अधिकार नहीं है । मेरा ख्याल तो यह है, जैसा कि फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने कहा है, कि इस ला में ओरीजिनल से फ़ेक्शनल के चेंजेज हुए हैं। आपने सिर्फ इसको कैंसालीडेट किया है । और कैंसालीडेट किया है किस की राय से ? उस कमेटी के राय पर, जिस की राय को हम जानते हैं और जिस पर कि मेम्बर साहिबान नज़र डाल सकते हैं । तो क्या हम बिल्कुल उन्हीं के राय पर चलेंगे ? हम को उसको बदलना होगा । हमें दूसरा तरीका अख्तियार करना होगा । इस वास्ते मैं कहता हूं कि इसको सोचना चाहिए ।

फिर मैनेजिंग एजेंट्स क्यों रखे जायं। क्या जरूरत है ? मैं हाउस से डिमान्ड करता हूं कि लड़ाई के बाद से दस वर्षों में जितने मैनेजिंग एजेन्ट्स बने हैं उनकी लिस्ट बनायी जाय और यह देखा जाय कि उन्होंने किस तरह से काम चलाया है । उन्होंने कौनसी बड़ी बात की है । जबानी कहने से काम नहीं चलेगा । कोई मेम्बर साहब यहां खड़े होकर कह सकते हैं कि फलां ने बहुत अच्छा इंतिजाम किया है । लेकिन मैं तो चाहता हूं कि पूरी लिस्ट बनाई जाय और फिर रिकार्ड लिया जाय और मेरी डिमांड है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब एक लिस्ट बनावें कि इस लड़ाई के बाद से अब तक जितने मैनेजिंग एजेंट बने हैं उनका क्या रिकार्ड रहा है । उन्होंने क्या काम किया है । क्या उनके कारनामों पर गवर्नमेन्ट को संतोष है ? इसके बारे में मैं बहुत स्पष्ट उत्तर चाहता हूं । वह हम को यह बात बतावें । मैं कहता हूं कि कम्पनी-ला कमेटी ने इस पहलू से इस मामले को नहीं सोचा । सभानेत्री जी, मैं आप के ज़रिये फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने भी इस पहलू को सोचा है या नहीं । इस हाउस को हक है कि इसके फिगर्स दिये जावें और वह हमको बतावें कि मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम ने कहां तक काम किया है और फिर यह ठेकेदार हर चीज के क्यों बन जाते हैं । हमारे मरने जीने में भी एक तरह की ठेकेदारी चलती है । हो सकता है कि कोई ठेकेदार मरते वक्त गलत संकल्प बोल दे। तो वह ठेकेदारी चल रही है । हो सकता है कि मरने जीने के लिए वह ठेकेदारी हम मंजूर कर लें, लेकिन यहां के बड़े बड़े मेम्बरान मुझे माफ़ करेंगे अगर मैं कहूं कि यह ठेकेदारी का सिस्टम बहुत गलत चीज है । यह जो इंटरमीजियरी बनने की बात है यह मुझे पसन्द नहीं है । जो मोहब्बत असल आदमी को अपनी सम्पत्ति और घरबार से होती है वह मोहब्बत इंटरमीजियरी को नहीं हो सकती । जब हम अपना घर बनवाते हैं तो २४ घंटे हम उसमें लगे रहते हैं और देखते हैं कि मकान कैसे बन रहा है, एक एक ईंट देखते हैं । लेकिन वह मोहब्बत एक इंटरमीजियरी को नहीं हो सकती और मैनेजिंग एजेंटस हैं जो वह इंटरमीजियरी के अलावा कोई चीज नहीं हैं। कहा जाता है कि उन्होंने भी तो रुपया लगाया है । लेकिन मैं सिवाय इसके और कुछ नहीं मानता कि ये इंटरमीजियरी हैं, वे दूसरे के रुपये पर जुआ खेलने वाले हैं।

[श्री टी० एन० सिंह]

यह मेरा निश्चित मत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस ला में जितने क्लाजेज मैनेजिंग एजेन्ट्स के बारे में हैं उनको गिन गिन कर खत्म कर दिया जाय और यह नामुमकिन कर दिया जाय कि इस जगह कोई मैनेजिंग एजेन्ट रहे। अगर कम्पनियों को और कम्पनी ला को बदनाम करने का सब से भारी श्रेय किसी चीज को है तो वह मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम को है। मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स्टाइल मिलों के बारे में जो इन्क्वायरी की है उसका क्या नतीजा हुआ। इंडिया यूनाइटेड मिल्स और शोलापुर मिल्स की जांच हुई। उसकी रिपोर्ट पढ़ी हुई है। उस पर गवर्नमेंट ने क्या किया है। उस जांच की रिपोर्ट को अब उन्हीं की जाति के लोग समझ रहे हैं।

तो साहब फिर कैसे न्याय हो, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो इनवेस्टिगेशन के तरीके निकाले हैं, अगर उनका भी यही नतीजा होने वाला है, तो उस से भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कोई भी अपने पास ताकत लीजिए, मगर वह तभी चलेगी जब इन में सुधार होगा, प्राइवेट सेक्टर कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है और चूंकि वेज ऊंची है इसलिए उनको एक ऐसे ऊंचे तख्ते पर रख दिया जाय कि जहां हम उनको छू ही नहीं सकते, तो इस तरह तो हमारा काम चलने वाला है नहीं। मैं चौथी बात पूछना चाहता हूं। कम्पनी बनी, मैनेजिंग एजेंट आया या मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आये, उन्होंने काम किया और बिगाड़ दिया, इसके बाद कम्पनी वाइट आफ हुई और बन्द की गयी, मेम्बरों ने कहा कि यह गवर्नमेंट की तरफ से इनिशियेटिव हुआ कि कम्पनी बन्द कर दी गयी, तो जो लोग उसमें मेहनत करते थे उनके बारे में क्या होगा? कहा जाता है कि जो कम्पनी के एसेट्स हों उसमें से पहले गवर्नमेंट के सारे लोकल टैक्सेज और दूसरी सब चीजें ले ली जायेंगी, उसके बाद जो छोटे २ क्लासेज वगैरह हैं उनको 'अपटुए लिमिट आफ वन थाउजेंड' उसमें से हिसाब होगा। यह उसका दूसरा हिस्सा है। यह चार महीने की लाइबेलिटी उनके लिये रक्खी जायगी और उसके अनुसार उनको दिया जायगा। मैं पूछता हूं कि उन गरीबों ने क्या दोष किया है, और उनका हक हमारे किसी और हक से कैसे कम है? वरकर्स के लिये भी कहा जाता है कि उनके लिये भी यही रखा गया है। वरकर्स के लिये तो आपका कहना कारण वश है क्योंकि वर्कमेन्स पेमेंट आफ़ वेजेज़ ऐक्ट के मातहत किसी वर्कर की तनख्वाह का पेमेंट सात तारीख से आगे नहीं जा सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बेचारे उन क्लर्कों को इससे क्यों महरूम रखा है? मुझे अखबारों में छोटे मोटे काम करने का अवसर मिला है और मैं जानता हूं कि वहां पर काम करने वालों की कितनी दयनीय अवस्था रहती है और उनको ६,६ महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती और मैं खुद अनुभव कर चुका हूं कि जब तनख्वाह लेने के लिये वह व्यक्ति जाता है तो कह दिया जाता है कि फिलहाल यह दस रुपये ले जाओ, इससे कल तुम्हारे राशन का इन्तजाम हो जायेगा। मैं ने इस तरह का भी जीवन निर्वाह किया है और मैं तजुर्बे से कह सकता हूं कि ऐसे लोगों की एक, एक और दो-दो वर्ष की तनख्वाह बाकी रहती है। आपने कह दिया

कि जो बेचारे १५० और २०० रुपया पाते हैं तो उसको एक हजार से ज्यादा पेमेंट नहीं हो सकता लेकिन गवर्नमेंट का और म्युनिसिपैलिटी का जितना रुपया उस कम्पनी पर ड्यू है वह सब उनको मिल जायगा भले ही उन बेचारे लोगों को खाना मिले या न मिले । मैं कहता हूं कि यह कहां का न्याय है जो आपने एक हजार की लिमिट फिक्स कर दी है २५० रुपये कंटमप्लेटेड है इसके मुताबिक चार महीने की तनख्वाह हुई। इस वाइन्डिंग अप प्रासेस में मैं सेलेक्ट कमेटी से इस्तेदुआ करूंगा कि वह इसको बहुत गौर से देखें । मैं जानता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में कैसे काम होता है । मुझे भी कुछ सेलेक्ट कमेटीज़ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है । हम लोग तो ज़रा एक देहाती से आदमी हैं, और एक क़ायदे से अपने केस को पुट अप वहां पर नहीं कर सकते और यह कम्पनी लाज़ के बारे में हमारा ज्ञान बहुत कम है। इसके विरुद्ध जो लोग कम्पनीज़ को चलाते हैं वह अक्षर अक्षर इसके विषय में जानते हैं और हो सकता है कि वहां टेबुल पर जो भी हमारे साथी मेम्बर उस कमेटी में हैं, उनकी बात उन लोगों के मुकाबले में न चल पाये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब तक उस कम्पनी ला का आधार शुरू से ठीक नहीं रखा जायेगा तब तक हमारा काम ठीक से चलने वाला नहीं है । मैं यह जो कह रहा हूं वह इस वास्ते कह रहा हूं कि जब आप सेलेक्ट कमेटी में बैठें तो इन सब बातों पर अपनी न र रखें और अगर आप यह एप्रोच रक्खें तो हमारा काम ठीक तौर पर चलेगा । वाइंडिंग अप प्रोसेस में जो सैक्शन ४९२ है, उससे म बहुत घबड़ाता हूं । हालांकि मेरी समझ में वह पूरी तरह नहीं आता ताहम मैं पूछता हूं कि अब तो प्लानिंग का ज़माना है, इस जमाने में मैं जानना चाहता हूं कि यह जो बिल लाया गया उसमें क्या इस बात का ख्याल रक्खा गया है कि उसमें पब्लिक सेक्टर की क्या पोजीशन होगी ? आज हमारे यहां इस ला के मुताबिक और यह जो ला बन रहा है उसके मुताबिक और हमारे संविधान में जो बातें हैं उन सब को देखते हुए, कौन कस्टिट्यूशन की बातें हैं उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी मिनिस्टर को हक है कि वह एक कम्पनी दूसरे दिन बना दे और यह कि उसके दो तीन आफिसर्स जैसे कोई चेयरमैन हो जाय और कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाय और जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा कि एक सेठ जी अपने बीबी, बच्चे और भाई को लेकर एक ज्वायन्ट स्टाक कम्पनीज़ बना लेते हैं और इसी तरह पब्लिक कम्पनी से ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनीज बना ली जाती है, तो मुझे इस सम्बन्ध में बहुत शुबहा है और मैं जानना चाहता हूं कि कांसालिडेटेड फंड से रुपया ले कर वह कैसे इस तरह से खर्च हो सकता है और फिर जो रुपया खर्च होगा उसका तौर तरीका देखने और सुनने वाले कौन होंगे कम्पनी ला के अन्दर उस काम के लिये एक अलग मशीनरी प्रोवाइड की गई है, अगर वह कहें कि हम उससे बाउन्ड हैं तो यह बात तय हो जाती है । यहां पार्लियामेंट में, एस्टीमेट्स कमेटी में या बदकिस्मती से पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में अगर हम उसके लिये पूछेंगे तो वे कह देंगे कि वाह शेयर होल्डर्स ने इसको कर दिया । हम लोगों ने कुछ इसमें जबर्दस्ती की है कि आडिटर जनरल से

[श्री टी० एन० सिंह]

उनका आडिट करा लेते हैं फिर भी मैं समझता हूं कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन दोनों के लिए एक कानून न होना चाहिये, उसके लिये आपको कम्पनी ला नहीं लागू करना चाहिये । मेरी समझ में इस कम्पनी ला बिल में कोई कुल मिलाकर ६५० सेक्शन हैं, कहीं इस बात पर नजर नहीं गयी है । मैं कहूंगा कि अगर हमको प्लानिंग चलाना है और आज हमने दो एक स्टील प्लांट जैसी चीजें शुरू भी की हैं, और कौन जानता है कल इसी पार्लियामेंट में हम फाइनेंस मिनिस्टर और जितने भी लोग यहां पर हैं सब एक मत हो कर मुल्क की तरक्की के हेतु आपसी मनमुटाव और झगड़ेबाजी छोड़कर एक हो जाएं और एक आवाज से यह कहें कि यह जो इंडस्ट्रीज हैं ये नेशलाइज्ड हों और उनका स्टेट से और पब्लिक से इन्तजाम किया जाए तो उस में क्या पोजीशन होगी ? और कम्पनी ला के प्रावीजन से हमारा कोई क्लाज़ आयेगा या नहीं आयेगा, उनके एगजिसटिंग शेयर होल्डर्स को ला कोर्ट्स में आने का अख्तियार हो और रिट आफ मैनडुमस, कर्टिओरारी और न जाने क्या २ वे लफ्ज़ हैं, मैं तो उनका ठीक तरह से उच्चारण भी नहीं कर सकता। हमारे वकील लोग यहां काफ़ी बैठे हुए हैं, सेलेक्ट कमेटी में भी काफ़ी वकील लोग हैं·····

श्री सी० डी० पांडे : (ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली उत्तर): वे आपके वकील नहीं हैं उनके वकील हैं।

श्री टी० एन० सिंह : उनके वकील होते हैं तो वह लोग मिल करके उनको उस तरह पेश करते हैं·····

Shri C. D. Pande : May I explain? I did not suggest that ; I only suggested that he cannot say that he is my lawer.

श्री एन० सी० चटर्जी : यह अनुचित बात कही जा रही है। यह नहीं कहा जाना चाहिए कि प्रवर समिति का कोई भी सदस्य उद्योगपतियों का पक्षपाती है।

श्री सी० डी० पांडे : मैं तो केवल यह कह रहा था कि वह यह नहीं कह सकते कि वे मेरे वकील हैं।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जानता हूं कि यह रिमार्क उनको बुरा लगा है, मैं जानता कि काफ़ी छोटी २ बातों में हम लोग झगड़ पड़ते हैं। खैर जो असली मामला हमारे सामने पेश है उस पर आइए। इन छोटी २ बातों को भूल जाइये। मैं कहता हूं कि अगर वह स्टेट इंडस्ट्रीज़ होंगी, स्टेट अंडरटेकिंग्स बढ़ेंगी, तो उस वक़्त हमारी क्या पोज़ीशन होगी। इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। और मैं यह भी कह सकता हूं कि यह जो कम्पनीज़ बन रही हैं किसी में हमारा सौ परसेंट शेयर है तो और किसी में ६१ परसेंट है और किसी में ४७ परसेंट है, टेल्को म हमारा शेयर होल्डिंग कम है और दूसरे का ज़्यादा है तो इन सब चीज़ों की जो तरह तरह की खिचड़ियां पक रही हैं उसको हमें रोकना है। हमने बहुत सी शिकायतें देखी हैं, लड़ाई से तजुर्बा लिया है। इसके बाद इस कम्पनी ला में इन सब चीज़ों पर गौर किया जायेगा। लेकिन नहीं मेरी शिकायत सिर्फ इतनी है, मैं चाहता हूं कि यह हाउस अगर कोई इसमें स्टेटमेंट एन्ड आब्जेक्ट्स कोई

किसी तरह की रुकावट डाले तो मेरी इस्तेदुआ है कि यह संसद् कोई ऐसा तरीका निकाले कि अगर ज़रूरत समझी जाए तो उसमें ही आवश्यक तरमीम कर दी जाए या ऐसा कोई प्राविज़न डाल दिया जाए जिसमें उन सब कामों में कोई रुकावट न पड़े। यह करना बहुत ज़रूरी है, यह मेरी राय है। मैं नहीं कह सकता कि यह वकील लोग और मिल मैगनेट्स क्या बतलाएंगे क्योंकि एक्सपर्ट्स इस विषय में तो वही माने गए हैं, वह बतलायेंगे कि क्या किया जाए। लेकिन यह ज़रूरी है और उसको आपको देखना होगा कि हम पब्लिक सेक्टर में इस कम्पनी ला की वजह से कोई बाधा न पहुंचने देवें, इसको हमें देखना है।

इस वास्ते मैं इस पर काफ़ी जोर दे रहा हूं और स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में भी यह चीज है। मगर फाइनेंस मिनिस्टर खुद इसके लिए मोशन लावें तो बहुत अच्छा होगा। मेरी समझ में इसे रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को जो कि रुपया ले कर और फिर इन्डिपेन्डेंट अथारिटी का पद हासिल कर, परम स्वतन्त्र हो कर ऐसा काम करते हैं, उन को ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। यह मेरी निश्चित राय है।

इस के बाद मैं दो एक छोटी मोटी बातें कह कर, जो कि मुझे आप के सामने रखनी हैं, खत्म कर दूंगा। मैं इस बात को बहुत ज़ोरों से महसूस करता हूं कि कोई भी उद्योग का ढांचा, चाहे प्राइवेट एन्टरप्राइज़ हो चाहे पब्लिक एन्टरप्राइज हो, ऐसा होना चाहिए जिस में जनता का हित हो, और अगर यह मान लिया जाता है कि प्राइवेट एन्टरप्राइज ऐसी चीज है जिस को छोड़ देना चाहिए, हर आदमी में अलग अलग बुद्धि होती है। उस पर उस को चलने देना चाहिए, अगर यह आधार रहेगा तो फिर आप को मान लेना होगा कि हमने जितने यह कानून बनाये हैं कि हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, दखल दे सकते हैं, और वाइन्ड अप कर सकते हैं, सब नाजायज होंगे। जिस दिन आप ने इस सिद्धान्त को मान लिया कि इस पार्लियामेंट को हक है, चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, उस के काम में दखल देने का तो फिर इस में कोई आधा रास्ता नहीं चलेगा। रास्ता तो आपको बहुत पक्का और फर्म चलाना पड़ेगा। और इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस में जो भी कानून हैं जिन को हम ने बहुत ज्यादा बैलेन्स किया है, उस सब को उलट दें और ऐसा तरीका अख्तियार करें जैसा कि कान्स्टिट्यूशन बनाते वक्त हमारे दिल में वेलफेयर स्टेट बनाने के सम्बन्ध में था। जो कान्स्टिट्यूशन में हमारे डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन के मुताबिक होना चाहिए। मेरी समझ में इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कान्स्टिट्यूशन में डाइरेक्टिव प्रिंसिपुल्स के अन्दर जो बात है, जो उस का ध्येय है उस के अनुसार अगर हम काम करेंगे, अगर उस के एक एक सेक्शन को खास तौर से देख कर, उस के नुक्ते नजर से हम चलेंगे तभी ठीक होगा।

इस के बाद ज्यादा वक्त न ले कर के एक चीज मैं आखीर में कह देना चाहता हूं और वह यह है कि हमारी कम्पनियां, जिसे अंग्रेजी में टियूकी कहते हैं, ऐसी चीज है, उन के कानून का तरीका, उन की कारवाई का तरीका, भगवान की ही तरह इतने जंजाल में फंसा हुआ है कि उस को देखने के लिए, आप को एक नये नुक्ते की नजर से काम करना होगा। मैं कह सकता हूं कि इस के सेलेक्ट कमेटी में जाने

[श्री टी० एन० सिंह]

से पहले, या सेलेक्ट कमेटी के दौरान में ही, आप यह करें कि जितने यहां के मेम्बरान हैं, उन को हक हो कि जब वे चाहें तब सेलेक्ट कमेटी में बैठ कर, उस के बहस मुबाहसे में शामिल हो सकें। यह चीज बहुत जरूरी है। जो हमारे मेम्बर सेलेक्ट कमेटी में मौजूद हैं, मैं उन में से किसी का दोष नहीं निकाल रहा हूं। किसी के बारे में मुझे कोई सन्देह नहीं है, मैं सब के व्यक्तित्व पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हर एक आदमी हम में से वहां जा कर बैठ सकता है, वहां का तमाशा देख सकता है लेकिन हम को बहस में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए।

श्री सैयद अहमद (हौसंगाबाद) : टिकट लगा दिया जाये तो क्या होगा?

श्री टी० एन० सिंह : यह चीज बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूं कि अगर हम कोई तजवीज पेश करें तो उस को भी सुनाने और समझाने का मौका सब को मिलना चाहिए। इस वास्ते मैं अर्ज करूंगा कि, जैसे शेयरहोल्डर्स वाली बात है, एक ऐसा कानून तो बना दिया गया कि हम लोग वहां आयें, लेकिन फिर भी हम लोग आसानी से वहां पहुंच नहीं पाते, हम लोग इतने बड़े आदमी नहीं हैं, हमारे बूते में यह बात नहीं है कि हम स्वयं पांच छः सौ मील आ जायें। इसलिए सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग तब होनी चाहिए जब कि सेशन हो रहा हो। हम लोग दो दो तीन तीन महीने सेशन के लिए यहां ठहरते हैं। क्या वजह है कि हम पी० ए० सी० और एस्टिमेट्स कमेटी में तो बैठ सकते हैं, लेकिन वहां सेलेक्ट कमेटी में नहीं जा सकते हैं। क्या जरूरत है कि सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग इन्टर सेशन पीरियड में ही हों तभी मेम्बर्स आ सकेंगे नहीं तो नहीं आ सकेंगे? यह तरीका गलत है। इसलिए मैं आप के जरिये अपने भाइयों से अर्ज करना चाहता हूं कि मैं किसी और भाव से इस बात को नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि आप हम को सिर्फ अपने दिल का गुबार निकालने का मौका दे दीजिये तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं यह एक छोटी सी तजवीज दे रहा हूं।

मैं समझता हूं कि मैंने इस हाउस का बहुत समय ले लिया है और इस से ज्यादा समय लेना अनुचित होगा। मैं समझता हूं कि आप लोग मुझे क्षमा करेंगे कि यदि मैंने कोई बात गलत कही हो।

सभापति महोदय : अगले वक्ता को सुधारने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगी कि वित्त मंत्री जी के कल के भाषण की प्रतियां प्रकाशन काउंटर पर उपलब्ध हैं। माननीय सदस्य कृपया अपनी प्रतियां वहां से ले लें।

श्री एन० सी० चटर्जी : कोई समय-अवधि निर्धारित नहीं है, किन्तु मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगी कि हमारे नियमों के अनुसार पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अतएव उनसे मेरा निवेदन है कि विस्तार में न जाकर अपना भाषण मुख्य-मुख्य बातों तक ही सीमित रखें।

श्री सी० डी० पांडे : सभानेत्री महोदया, जब कि इस विधेयक पर विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उस समय उपाध्यक्ष जी ने यह कहा था कि लोग प्रवर समिति

में हैं उन्हें इस समय बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी

सभापति महोदय : उनका कहना ठीक था, किन्तु कुछ अपवाद होना चाहिएं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : कल मेरे माननीय मित्र श्री वल्लाथरास ने इस बात पर मेरी निश्चित राय जानना चाही थी कि ६१२ खंडों तथा १२ अनुसूचियों के इस विस्तृत समवाय विधेयक पर मेरे क्या विचार हैं । साफ बात यह है कि कानून से मेरा जितना अधिक वास्ता बढ़ता जाता है, उतना ही अधिक मैं बड़े-बड़े विधानों से उकताता जा रहा हूं। किन्तु हमारे सम्मुख जो समस्याएं मौजूद हैं उनकी दृष्टि में न तो यह वित्त मंत्री का दोष है और न मसौदाकार का। वास्तव में, श्री एन० एन० सरकार के पश्चात् समस्त विधि को संहिताबद्ध करने तथा सुदृढ़ बनाने का यह पहला प्रयत्न है। आपको विदित ही है कि इंग्लैण्ड में भी समवाय विधि की हाल में की गई संहिताबद्धी में, जिस पर कि हम एक बड़ी सीमा तक अपनी समवाय विधि आधृत कर रहे हैं, संशोधन करने का विचार किया जा रहा है और उसमें विस्तृत संशोधन करने के लिए समितियों की नियुक्ति प्रारम्भ हो चुकी है।

मैं यह मानता हूं कि ये ६१२ खंड वकीलों के तो मजे ला देंगे। विशेषकर कुछ उच्चन्यायालयों में । उच्चन्यायालयों से मेरा यह निवेदन है कि वे स्वयं अपनी व्यवस्था ठीक करें।

समवाय विधेयक हमारी बहुत बड़ी संहिता है और मैं समझता हूं कि श्री सी० डी० देशमुख संसद् द्वारा अधिनियमित सब से बड़ी संहिता के प्रणेता के रूप में याद रक्खे जायेंगे । मैं उन्हें केवल यह विश्वास दिला सकता हूं कि हम इसे वृहत के साथ साथ ज्योतिर्मय बनाने का प्रयत्न करेंगे । हमें इसे दलीय भावना से बिलकुल नहीं देखना चाहिए । इसमें दल अथवा राजनीति का कोई प्रश्न नहीं है । प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के दोषों से मैं पूर्णतया परिचित हूं । प्रबन्ध अभिकरण में कुछ धोकेंबाज़ लोग हैं जो इस प्रथा को बदनाम करने के लिए उत्तरदायी हैं । किन्तु इन कुछ लोगों के कारण हम समस्त प्रणाली पर लांच्छना नहीं लगा सकते । यह कहना बहुत अनुचित होगा कि समवाय विधि समिति किन्हीं धोकेबाज़ अथवा बेईमान लोगों को आड़ देने के प्रयोजन से प्रेरित हुई है । वास्तव में, जो भी समिति के काम से अवगत हैं यह जानता है कि समिति का कार्य मुख्यतः श्री जे० जे० कपाड़या के व्यक्तित्व, योग्यता और अनुभव से प्रचालित हुआ है जिन्होंने कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं के खिलाफ़ बराबर आवाज़ उठायी है । उनका स्थान तथा अनुभव वृहत था जिससे उन्होंने समिति के सम्मुख प्रबन्ध अभिकर्ताओं की कुरीतियां, शरारतें और बेईमानी खोली । यह दुख की बात है कि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके ज्ञान तथा अनुभव का लाभ हम आगे नहीं उठा सकेंगे। किन्तु हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और हमें आशा है कि वित्त मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि समिति ने अपना कार्य बहुत ईमानदारी से किया है ।

अपनी उपपत्तियों में समिति ने ठीक ही बताया है कि भारत में प्रबन्ध अधिकरण प्रणाली यहां के औद्योगिक विभाग का एक अद्भुत अंग रहा है । यह बिलकल सही है कि अधिकतर ईस्ट इंडिया कम्पनी का पूर्व-दृष्टान्त अनुसरित किया गया और इसलिये भारत में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली का उदय हुआ । यह प्रणाली इंग्लैंड तथा अन्य देशों

[श्री एन० सी० चटर्जी]

में नहीं पायी जातीं। आप को यह कहने से पूर्व कि इस प्रणाली को जड़ से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कुछ आधारभूत तथ्य यदि रखने चाहिए।

समिति के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि सब बातों का ध्यान रखते हुए हमारा विचार है कि देश के वर्तमान आर्थिक ढांचे में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को चालू रखना लाभप्रद होगा। किन्तु उस में साथ-साथ यह भी कहा है इसमें दो हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। इस संसद् को आज यह सोचना है : क्या आप निजी क्षेत्र को समाप्त कर देंगे और सारे उद्योगों को राष्ट्रीकृत कर देंगे ? क्या आप निजी पूंजी निर्माण को समाप्त कर देंगे अथवा निजी क्षेत्र को अपना भाग अदा करने देंगे। राष्ट्रीय योजना की कार्यान्विति में जिस में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपनाया गया है, आप निजी उद्योग को अपना भाग अदा करने में किस प्रकार वंचित कर सकते हैं ?

कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके कारण इस संसद् के लिए प्रबन्ध अधिकरण प्रणाली को समाप्त कर देना असम्भव हो जाता है ! इस देश में कोई संगठित पूंजी बाज़ार नहीं है और वास्तव में कोई विनियोग बाज़ार नहीं है। इन संगठनों की अनुपस्थिति में, बिना प्रबन्ध अभिकरण के कोई कम्पनी चालू करना असम्भव होगा। अभिकरणों द्वारा प्रारम्भिक जांच की जाती है जिसमें, विशेषकर खनिज कम्पनियों के सम्बन्ध में, कभी कभी लाखों रुपये व्यय होते हैं। लोह व इस्पात, जल-विद्युत तथा रासायनिक उद्योग वर्षों की प्रारम्भिक खोज के पश्चात् प्रारम्भ किए गये थे। कई अवसरों पर योजनाओं की जांच-पड़ताल करके उन्हें त्याग देना पड़ा और उसका व्यय प्रबन्ध अभिकरण ने वहन किया। फिर इस प्रणाली से निर्मित पूंजी का एक बड़ा प्रबन्ध अधिकरण ले लेते हैं। तथ्य यह है कि सामान्य मध्यम दर्जे का विनियोजक बहुत बाद में आता है। प्रारम्भिक पूंजी प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा दी जाती है। प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को जोखिम तथा त्याग दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह कहना ठीक नहीं होगा कि चूंकि उनमें से कुछ ने दुर्व्यवहार किया है इसलिए हम सब प्रबन्ध अभिकर्ताओं को समाप्त कर दें।

इसके साथ-साथ हमें दोषों को दूर करना चाहिए। धोकेबाज़ी और बेईमानी की चीज़ों को हमें यथासम्भव शीघ्र दूर कर देना चाहिए। किन्तु उन्हें दूर करने की प्रक्रिया में इतनी अति नहीं करनी चाहिए कि अगुआई भावना ही समाप्त हो जाए। संसद् में दिए गए कुछ सुझावों के परिणाम स्वरूप देश के औद्योगिक क्षेत्र में कुछ गलतफहमी पैदा हो गई है और जब तक कि कुछ आश्वासन नहीं देंगे तब तक किसी कम्पनी का निर्माण संतोषजनक रूप से नहीं हो सकेगी समिति की आलोचना उचित रूप से नहीं की गई है, इस पर अनुचित लांछनाएं लगाएं लगाई गयी हैं। मैं सदन का ध्यान समिति द्वारा सुझाए गये कुछ आधारभूत तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस पर कि सदन तथा प्रवर समिति को ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा सदन से निवेदन है कि समवाय विधि समिति में प्रतिवेदन को आदर की भावना से व्यवहृत किया जाए, और हमारे देश

में औद्योगिक विकास के वर्तमान क्रम पर यह कहना ठीक नहीं होगा कि कानून द्वारा प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली पर रोक लगा दी जाए।

मैं अपने पूर्व वक्ताओं की इस बात पर सहमत हूं कि भारत में प्रबंध अभिकरण पद्धति की त्रुटियों को सर्वथा दूर कर देना चाहिये ।

एक त्रुटि की ओर किसी ने निर्देश नहीं किया । भारतीय प्रबंध अभिकरण प्रायः एक परिवार की पैत्रिक सम्पत्ति बना हुआ है । अनुसूची ७ भाग २ के खण्ड (२) में यह उपबंध है कि कोई प्रबंध अभिकर्ता निदेशकों की मंजूरी के बिना किसी सम्बंधी के पदाधिकारी अथवा कर्मचारी नियुक्त नहीं कर सकता । इस बात को रोकने के लिए कि एक ही परिवार किसी विशेष समवाय पर अधिकार न जमाये रखे उपरोक्त उपबंध में कुछ और सुधार की आवश्यकता है ।

योजना आयोग ने यह बताया है कि भारत की मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का आधार सरकारी उद्योग क्षेत्र और गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र दोनों पर रहना चाहिये । राष्ट्रीय योजना में उद्योग के विकास के लिए गैर सरकारी उद्योग को अपने उत्तरदायित्व का पालन करना है। परन्तु संसद् को यह चाहिये कि वह उद्योगपतियों को स्पष्ट बना दे कि उन्हें राष्ट्र की सामाजिक नीति के उद्देश्यों को स्वीकार करना होगा । प्रबंध अभिकरण पद्धति जारी रहे अथवा न रहे परन्तु हमें उद्योगपतियों को श्रमिक अंशधारी और उपभोक्ता के प्रति दायित्व सुझाना होगा ।

योजना आयोग ने विदेशी पूंजी के आगमन के प्रोत्साहन की सिफारिश की है । परन्तु इस सम्बन्ध में हमें पर्याप्त अभिरक्षा प्रबंध करने चाहियें ताकि विदेशी पूंजी का केवल उन उद्योगों में प्रयोग हो जो राष्ट्रहित के लिए आवश्यक हैं।

मैं यहां छः बातें कहना चाहता हूं जिन का सम्बंध प्रबंध अभिकर्ताओं अथवा बड़े पूंजीपतियों की शंकाओं से नहीं वरन् साधारणतया अंशधारियों से है ।

पहली बात तो यह है कि हम इस समवाय विधेयक के अधीन अधिमानीय अंशधारियों को मतदान का अधिकार दे रहे हैं । विधान की सारी योजना तो इस प्रकार है कि दो प्रकार की पूंजी होती है एक समान अंश की पूंजी और दूसरी अधिमान अंश की पूंजी । हम जानते हैं कि समान अंश की पूंजी को मतदान का अधिकार मिलना चाहिये परन्तु क्या आपात काल में अधिमानीय अंशधारियों को अधिकार देना ठीक है । पहले उन्हें केवल ऐसे संकल्प पर मत देने का अधिकार है जो उन के अधिमान अंश पर प्रभाव डालता हो । यह तो ठीक है । अन्य देशों की विधि में भी ये उपबंध हैं। अब उपखण्ड २ (क) की व्याख्या में कहा गया है कि जब समवाय को बन्द करने अथवा अंश-पूंजी कम करने के लिए संकल्प हो तो वे मत दे सकते हैं । अधिमानीय अंशधारियों और साधारण अंशधारियों के हितों में सामान्यतः संघर्ष होता है । अधिमानीय अंशधारी समवाय के व्यापार को इस लिए बनाये रखना चाहता है कि उसका अधिनियम लाभांश बन सके। साधारण अंशधारी यह चाहता है कि खतरों के लिये तैयार रहा जाये ताकि उनके लाभांश में वृद्धि हो। उचित अधिमानीय अंशधारियों को तब मत देने का अधिकार दिया गया है जब एक वर्ष तक उनके

[श्री एन० सी० चटर्जी]

लाभांश न दिये गये हों, और अनुचित अधिमानीय अंशधारियों को तब मत देने का अधिकार दिया गया है जब लगातार दो वर्षों तक लाभांश न दिया गया हो। इन अधिकारों का प्रवर्तन उस अनुपात में होगा जो अनुपात समान अंश की पूंजी और अधिमान अंशों में है। इस का व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि माननीया वित्त मंत्री इस बात का स्पष्टीकरण करें कि क्या अधिमानीय अंशधारियों को प्रत्येक संकल्प पर मतदान का सामान्य अधिकार होगा या यह अधिकार केवल उस विशेष प्रश्न के लिए होगा जिस से अधिमानीय अंशधारियों के अंश पर प्रभाव पड़ता हो।

एकीकरण का उदाहरण लीजिये। एकीकरण में अधिमानीय अंशधारियों पर प्रभाव पड़ेगा। यदि केवल ऐसे विषय पर मतदान के अधिकार की बात हो तो अंशधारियों को कोई कठिनाई नहीं होगी।

दूसरा उलझन का प्रश्न संचालक बोर्ड के विधान के सम्बन्ध में है। इस में एक तिहाई संचालक प्रबंध अभिकर्ताओं के नाम निर्दिष्ट होंगे और दो तिहाई विशेष संकल्प द्वारा चुने जायेंगे। इस सम्बन्ध में निर्वाचन के लिए कई श्रेणियों के व्यक्तियों का निषेध कर दिया गया है जो केवल दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प से चुने जा सकते हैं इस का यह अभिप्राय हुआ कि २६ प्रतिशत अंशधारियों को ७४ प्रतिशत अंशधारियों पर निषेधाधिकार प्राप्त होगा। इस से प्रत्येक चुनाव में गतिरोध होगा। मैं इस के सर्वथा लोकतंत्रीकरण के पक्ष में नहीं हूं। परन्तु कुछ आश्वासन मिलना चाहिये। व्यापारियों की शंकाओं को दूर करने के लिए कुछ करना चाहिये।

तीसरी बात जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यह है कि इस विधेयक के खण्ड २३१ के अधीन समवाय के स्वामित्व सम्बन्धी जांच के लिए केन्द्रीय सरकार को अत्यधिक अधिकार सौंपे गये है। इंगलैंड के एक अधिनियम में इस प्रकार के अधिकारों का उपबंध है परन्तु वहां कई अभिरक्षा प्रबंध भी किये गये। यहां ऐसे प्रबंध नहीं किये गये। माननीय वित्त मंत्री को इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिये।

चौथी बात उधार लेने के अधिकारों के सम्बन्ध में संचालकों पर प्रतिबंध है। खण्ड २७२ के अधीन यह उपबंध किया गया है कि संचालक अंशों की पूंजी और मुक्त रक्षित निधि से अधिक उधार नहीं ले सकता। यह प्रतिबंध उचित नहीं है। यदि कोई उधार देने वाले समवाय की प्रगति को देख कर मुक्त रक्षित निधि और मांगों की पूंजी से अधिक धन उधार देने के लिए तैयार हो तो संचालकों के अधिकारों पर ऐसा प्रतिबंध क्यों रखा जाये। इस से तो अर्थ व्यवस्था नष्टप्राय हो जायेगी।

समवाय से ऋण लेने के लिए संचालकों और प्रबंध अभिकर्ताओं आदि को केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। इस से यह डर है कि बड़े बड़े औद्योगिक समवायों को सम्बंधित मंत्री की संरक्षता प्राप्त करनी पड़ेगी।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने समवाय निधि समिति के प्रतिवेदन को आधार बनाते हुए उसके महत्वपूर्ण भाग को छोड़ दिया है और केवल उस भाग को अपनाया है

जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार को अति विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। उदाहरणत: इन अधिकारों के अधीन वह समवाय के स्वामित्व तक का निर्णय करने के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकती है जिसका निर्णय अंशधारियों की पूंजी द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार के बहुत से आपत्तिजनक अधिकार हैं।

समिति ने इन विस्तृत अधिकारों के प्रयोग और समवाय निधि के प्रवर्तन के लिए एक केन्द्रीय संगठन बनाने की सिफारिश की है जो कि संयुक्त स्टाक समवायों के कार्यों की देख रेख करे। अमरीका में प्रतिभूति विनियम अधिनियम १९३४ के अधीन सब प्रकार के विनियमन सम्बंधी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक प्रतिभूतियां तथा विनिमय आयोग बनाया था। भारत में समवाय विधि समिति ने भी इसी प्रकार का संगठन निर्माण करने की सिफारिश की है। अन्यथा सब प्रकार का विधान निरर्थक होगा मंत्रियों की संरक्षकता तथा भ्रष्टाचार आदि के लिए दरवाजा खुल जायेगा। इसलिए समिति ने कहा है कि इस के लिए उपयुक्त केन्द्रीय प्राधिकार होना चाहिये जो प्राय: अर्द्ध-न्यायिक प्रशासनीय न्यायाधिकरण हो। उन्होंने कहा कि संयुक्त स्टाक समवायों तथा बैंक, बीमा समवाय आदि संस्थाओं के कार्य के सम्बंध में एक केन्द्रीय विभाग होना चाहिये। उन्होंने यह भी बताया कि समवाय विधि के प्रवर्तन के लिए एक अर्ध-स्वायत्त प्राधिकार उत्तरदायी हो जो निष्पक्ष हो कर औपचारिक समस्याओं की जांच कर सके।

उन्होंने एक संयुक्त विनियोग तथा प्रशासन आयोग नियुक्त करने का सुझाव दिया है। माननीय मंत्री ने अधिनियम के प्रवर्तन के लिए केन्द्रीय प्राधिकार की रचना के सम्बन्ध में समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया।

मेरा वित्त मंत्री से यह निवेदन है कि वे अपने निर्णय का संशोधन करें। संसद को ऐसी स्थिति में यथाशीघ्र कह देना चाहिये कि कार्यपालिका के हाथ में इतने स्वच्छन्दतापूर्ण तथा स्वविवेकपूर्ण अधिकार दे देना संसद और वित्त मंत्री के भी हित में नहीं है, जिन अधिकारों का वे दुरुपयोग कर सकते हैं।

आज आवश्यकता यह है कि एक केन्द्रीय अर्थव्यवस्था सेवा संगठित की जाये। भारती असैनिक सेवा के व्यक्तियों को सभी प्रकार के कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। यह बात दामोदर घाटी और अन्य परियोजनाओं में देखी जा चुकी है। इस लिए आप को आर्थिक प्रशासन सेवा के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण का प्रबंध करना चाहिये जिससे उन के पास विधि समवाय के प्रवर्तन के लिए योग्यता, कौशल, आवश्यक आंकड़े और आप के प्रभावी निदेश हो सकेंगे। अन्यथा सभी कागजी कार्यवाही होगी। यदि आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हों, सदाचारपूर्ण व्यापारिक उपक्रम में बाधा न हो, पूंजी निर्माण का विकास हो और गैर सरकारी उद्योग की प्रगति हो तो आप को उपयुक्त अभिकरण बनाना होगा।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालन्धर): सभापति जी, जो कम्पनी ला (समवाय विधि) हमारे सामने पेश है उसमें एक क्राइटीरियन (कसौटी) है जिस के ऊपर और जिसके आधार पर हमें यह निश्चय करना है कि कम्पनीज़ ला कहां तक

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

हमारी मरज़ी के मुताबिक़ हैं और कहां तक नहीं हैं । वह क्राइटीरियन यह है कि हमारा आर्थिक ढांचा जो बनने जा रहा है, जो नेशनल प्लान हमारे सामने है और जिसके अन्दर उस आर्थिक ढांचे का एक नक़शा हमारे सामने रखा गया है उसके अनुसार हम यह देखें कि कहां तक हम इस कम्पनी ला के अन्दर प्राइवेट सेक्टर में वह चेक्स और कण्ट्रोल्स रख सके हैं जो कि मैं समझता हूं कि उस ढांचे की कामयाबी के लिए मौजूद होना चाहिये । इस समय कम्पनीज़ में जो कुछ होता है उसका यहां पर काफ़ी जिक्र हो चुका है और मैं इस समय उसको दुहराना नहीं चाहता लेकिन इस बात को रोकने के लिए कि जो बात इस समय एक शिकायत आम है कि काफी रुपया इंडस्ट्रीज़ के के अन्दर और हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें नहीं मिल रहा है और वह रुपया इस वक्त कैपिटल शाई है । वह कैपिटल शाई आता जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं और जिन के पास ज्यादा पूंजी है उनका शाई है या जो जनता में और जो छोटे कैपिटल वाले हैं जिनकी छोटी पूंजी हैं उनका कैपिटल शाई है । इस समय जहां तक बड़े बड़े इनवेस्टर्स का ताल्लुक है, मैं उस में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं समझता हूं कि इस समय जो छोटी छोटी पूंजी वाले लोग हैं उनका कैपिटल शाई हो रहा है । पहले वह काफी रुपया कम्पनियों में और शेयर होल्डिंग आदि में इनवेस्ट किया करते थे, लेकिन अब बाज़ार में जाकर देखिए कि क्या हालत हो रही है ? कोई नई कम्पनी फ्लोट करने की कोशिश कीजिये तो आप देखेंगे कि छोटी पूंजी वाले कितना आप के साथ उसमें सहयोग करने को आगे आते हैं ? पहले तो कम्पनी फ्लोट करने का एक पेशा सा बन गया था जो लोग कम्पनी को फ्लोट करते थे वह काफी शेयर्स का रुपया इकट्ठा करके शेयर्स का दाम घटा दिया करते थे और फिर उनको खरीद कर छोटी छोटी पूंजी वालों के शेयर्स का रुपया हज़म कर जाते थे, छोटे छोटे शेयर होल्डर्स का रुपया जाया जाता था और उनको मुनाफा होने के बजाय घाटा होता था और उन का रुपया डूब जाता था और इस का नतीजा यह हुआ है कि जो छोटी और मध्यम श्रेणी के लोग हैं या जो निचली श्रेणी के लोग हैं आज उनका कैपिटल शाई है और वह किसी भी कम्पनी में रुपया इनवेस्ट नहीं करना चाहते । बैंकों में रुपया इनवेस्ट करने की सहूलियत नहीं जैसी कि होनी चाहिये और कम्पनीज़ का हाल यह है कि उन के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ रहा है । आज आप शेयर मार्केट्स को देखें, शेयस की क्या हालत है और छोटी छोटी कम्पनियों की क्या हालत हो रही है, लोगों का विश्वास कम्पनी के शेयर्स पर से काफी उठ गया है और यह एक इंडिकेशन है एक निशानी है इस बात की कि हमारी कम्पनीज़ का इस समय जो इन्तज़ाम है वह संतोषप्रद नहीं है और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है । जिन लोगों के हाथ में कम्पनी की बागडोर है, कम्पनीज़ के जो मैनेजिंग एजेंट्स हैं जो कम्पनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी कम्पनीज़ को जैसे चलाना चाहिये वैसे नहीं चलाया और उस अवस्था को सुधारने के लिये यह ज़रूरी था कि हम अपना कम्पनी ला ऐसे बनाते कि कम्पनीज़ के अन्दर जो रुपया इकट्ठा होता था चाहे वह छोटी पूंजी

बालों का हो या बड़ी पूंजी वालों का, वह रुपया सही तौर पर इस्तेमाल हो सके और ऐसा सुधार करना गवर्नमेंट का फर्ज़ था । इसीलिए कम्पनी ला में पहले भी और अब भी उस के अन्दर सुधार करने की जो आवश्यकता पड़ी यह इस बात की निशानी है कि गवर्नमेंट यह महसूस करती है कि मौजूदा कम्पनी ला के अन्दर काफी चेक्स का प्राविज़न नहीं है और आप ने जो इस कम्पनी ला में और ज्यादा चेक्स और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की है, तो यह इस बात की निशानी है कि जो कम्पनीज़ लाज़ हैं उन के ऊपर और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन्स और चेक्स लगाने की जरूरत है और इसी दृष्टि से हमें इस मौजूदा कम्पनी ला को देखना है और यह देखना है कि कहां तक हमने इसमें वह चेक्स लगाये हैं और कहां तक हम इस में सुधार कर पाये हैं जिससे कि अब तक जो रुपया इसमें ठीक तौर से इस्तेमाल नहीं होता था और वह रुपया जो बहुत गलत तरीकों से चला जाता था और जिसकी वजह से कम्पनीज़ के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ रहा था, इसमें कहां तक सुधार हो सकेगा जिस से कि जनता में कम्पनियों और उन के शेयर्स के प्रति पुनः विश्वास वापस आ सके ।

मैं महसूस करता हूं और इसके अन्दर जैसा पहले कहा भी गया है कि मैनेजिंग एजेंसीज़ सिस्टम की वजह से लोगों का विश्वास कम्पनियों पर से उठ गया है । मैनेजिंग एजेंसीज़ जिस तरह से शेयर्स का स्पेकुलेशन करती है, शेयर्स का सट्टा करती हैं, यह आवश्यक था कि वह अपने शेयर्स को कम से कम जो प्रमोटर्स हैं जो लोग कम्पनी को आरम्भ करते हैं वह लोग अपने शेयर्स को किस तरह से डिस्पोज आफ़ करें और किस तरह डिस्पोज आफ न करें, इसके सम्बन्ध में कोई न कोई रुकावट अथवा चेक मौजूद होना चाहिए । जब कम्पनी चलायी जाती है तो प्रमोटर्स कुछ रुपया लगाते हैं और उसके बाद वह रुपया किसी न किसी तरीके से मैनीपुलेट करके कम्पनी के शेयर्स में कमी या ज्यादती करके वह मार्केट को गिरा देते हैं या मार्केट को उठा देते हैं और फिर अपने शेयर्स का स्पेकुलेशन करते हैं, कभी बेच देते हैं और कभी खरीद लेते हैं और इस तरह सटटाबाजी करके दूसरों के रुपयों पर कब्ज़ा कर देते हैं । शेयर्स की कीमत जब बढ़ा दी जाती है तो लोग खरीद लेते हैं लेकिन जब दाम गिरने लगते हैं तो लोग घबड़ा कर अपने शेयर्स बेच डालते हैं और वे लोग उन सारे शेयर्स को खरीद लेते हैं और लोगों का पैसा डूब जाता है और वह मुनाफा कमाते हैं । इस के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह अपने शेयर्स का डिस्पोज़ल किस प्रकार करें और किस प्रकार न करें, इसके सम्बन्ध में उन पर चेक ज़रूर होना चाहिये और हम मानते हैं कि आज जो उन पर हमने चेक और रिस्ट्रिक्शंस रक्खे हुए हैं वे ढीले हैं और वे ऐसे एफेक्टिव नहीं हैं कि यह आप की जो पुरानी शिकायत है उसका सही तौर पर इलाज कर सकें, मौजूदा रिस्ट्रिक्शन्स से चूंकि कोई फ़ायदा नहीं है इसलिये मैं समझता हूं कि जब आप इस उसूल को मानते हैं कि उन पर कण्ट्रोल करना है और कुछ पाबन्दियां लगाते हैं तो आप देखें कि वह असर डालने वाली हों और जो बुराई आप दूर करना चाहते हैं वह इन से दूर हो सके । मैं चाहता हूं कि आज कम्पनीज़ के प्रमोटर्स जो शेयर्स के बेचने या खरीदने में सट्टेबाजी करते हैं उसके

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

ऊपर चेक होना चाहिये, चाहे वह मैनेजिंग एजेंसी के मेम्बर हों चाहे वह डायरेक्टर्स हों, उनके ऊपर इस तरह का रिस्ट्रिक्शन अवश्य होना चाहिये कि वह मार्केट के अन्दर इस तरह का सट्टा न कर सकें।

मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम के बारे में काफी कुछ कहा गया और अभी श्री चटर्जी ने उसकी बहुत वकालत की, लेकिन मैं समझता हूं कि आप चाहे कितनी ही मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम की वकालत कीजिये लेकिन यह बाक्या है कि अब तक जिस तरह से इनका काम होता रहा है और जो अधिकार मैनेजिंग एजेंसीज को दे रक्खे हैं वह इतने ज्यादा हैं कि जो बुराई हम उन में से दूर करना चाहते हैं, वह दूर होने वाली नहीं है। एक तिहाई डायरेक्टर्स मैनेजिंग एजेंसी में अपने आप एपायण्ट करना और उसके जरिये से वह और दूसरे डायरेक्टर्स को इनफ्लुएंस करे और इसके होते वह बड़ी आसानी के साथ कम्पनीज के अन्दर अपनी अक्सरियत पैदा कर लेंगे। तो इस तरह के अधिकार उन को दे देना और मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम को कायम करना, मेरी राय में उचित नहीं है। आप और कोई तरीका सोचिए, लेकिन इस सिस्टम को किसी न किसी तरीके से आपको बन्द कर देना चाहिये, लेकिन अगर आप इस मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम को बन्द नहीं करना चाहते और इसे कायम रखना चाहते हैं तो फिर आपको उसके ऊपर काफी कठोर प्रतिबंध लगाने चाहियें।

आडिटिंग और एकाउन्टिंग के सम्बन्ध में कुछ सुधार सुझाये गये हैं। इस समय आडिटिंग जो है वह तो एक तरह से सिर्फ रिवाज की बात देखती है, आडिटर्स सिर्फ प्रेक्टिस की बात देखते हैं, कम्पनियों के मामले को वह जानते हैं। आडिटिंग तो एक मजाक सा बन गया है। आज की आडिटिंग उस मकसद को पूरा नहीं कर रही है और जो सुधार बिल के अन्दर सुझाये गये हैं वह ऐसे नहीं हैं जो कि इस सिस्टम का पूरा सुधार करें या कि आडिटर्स की रिपोर्टस पर हम भरोसा कर सकें कि जो रिपोर्ट दे दी कि इस ऐकाउन्ट का चेक कर दिया, इस कम्पनी के जो ऐकाउन्ट हैं वह सही हैं। जो कम्पनी वाले हैं उनका सही तौर पर आडिटिंग नहीं होता है। असल में इसका क्या इलाज करें, किस तरह आडिटर्स पर प्रतिबन्ध लगायें इस का फैसला करना हमारा काम नहीं है. यह सेलेक्ट कमेटी का काम है, लेकिन मैं जानता हूं कि आडिटिंग और ऐकाउन्टिंग पर ज्यादा रेस्ट्रिक्शन्स होने चाहियें और जितने तरीके इस बिल में प्रोवाइडेड हैं उन से ज्यादा चीजें होनी चाहियें।

इन्स्पेक्टर्स के बारे में कहा गया। इन्स्पेक्टर्स की जो सोसायटीज हैं उन को बहुत पावर्स दे दी गई हैं, मैं समझता हूं कि वह बहुत वेलकम की चीज है और मैं इस बात का स्वागत करता हूं।

इन्वेस्टिगेशन के सम्बन्ध में भी काफी सुधार इस में किये गये हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि हम बात को याद रखें कि हमें इम्प्लिमेन्टेशन समय देखना पड़ेगा कि इन्स्पेक्टर्स जो हों सही तरीके पर काम करते हों। जहां तक मुझे इन्स्पेकटर्स का तजुर्बा है, फैक्ट्रियों के अन्दर जो इन्स्पेकटर्स काम करते हैं, उन

का मुझे तजुर्बा है, मुझे पता है कि बहुत दफा इन्स्पेक्टर्स अपना काम पूरी तरह से नहीं करते हैं, बहुत दफा इन्स्पेक्टर्स बड़े बिजिनेसमेन के सामने झुक जाते, हैं, वह उनके पीछे चलते हैं। इस चीज को हमें रोकना है, इसके ऊपर हम कुछ प्रतिबन्ध लगायें, इंस्पेकटर्स के ऊपर हमें कुछ चैक रख सके। हम यह नहीं चाहते कि इंस्पेक्टर्स कम्पनी वालों को परेशान करें, लेकिन इन्स्पेक्टर्स के ऊपर भी इन दोनों ही लिहाज से काफी प्रतिबन्ध होना चाहिये और काफी वाच होना चाहिये कि न तो वह कम्पनी वालों को परेशान कर सकें या कम्पनी वालों को नुक्सान पहुंचा सकें और न कम्पनी के जो मैनेजिंग डाइरेक्टर्स होते हैं उन के प्रभाव में आ कर वह उस मकसद को पूरा न करें जिस के लिये वह रक्खे गये हैं।

एक चीज मैं वोटिंग राइट्स के बारे में कहना चाहता हूं। जो एवेरेज शेयर होल्डर्स हैं वह अपने वोटिंग राइट्स पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि शेयर होल्डर्स बहुत बेफिक्र हो जाते हैं और काफी दिलचस्पी नहीं लेते कम्पनी के काम में। लेकिन इस में उन की दिलचस्पी न होने की बड़ी वजह यह है कि वह समझते हैं कि उनकी कम्पनी पर दूसरे लोगों का इतना अधिकार है कि वह उस के अन्दर कुछ कर नहीं सकते। वह अगर आवें भी तो भी उन की कोई सुनवाई नहीं होती। मैं चाहता हूं कि शेयर होल्डर्स के कुछ और ज्यादा अधिकार होने चाहियें। उन को इन्स्पेक्शन करने का और अपनी राय देने का और ज्यादा मौका मिलना चाहियें। आप इस को किस तरीके से करेंगे ? आप को देखना है कि आप शेयर होल्डर्स की पावर्स को ज्यादा बढ़ायें सेलेक्ट कमेटी के अन्दर। शेयर होल्डर्स के पास जितनी पावर्स आज हैं आपने उन को बढ़ाने की कोशिश की है और कुछ प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश की है, लेकिन शेअर होल्डर्स के हाथ में इनिशिएटिव होना चाहिये और शेयर होल्डर्स कम्पनी के मामलात को पूरी तरह से देख सकें। इस के लिये आप को शेयर होल्डर्स को ज्यादा पावर्स देनी चाहिये साथ में दूसरों की पावर्स को, जो मैनेजिंग डाइरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग एजेन्सीज हैं उन की पावर्स को हम को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिये। इस के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि श्री चेटर्जी ने क्यूमुलेटिव विजडम का जिक्र किया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जहां कम्पनी के चलाने वाले मैनेजिंग डाइरेक्टर्स हैं उन को अपनी विजडम का ख्याल रहता है वहां उनको उनकी भी विजडम का ध्यान रखना चाहिये जिन्होंने कि कम्पनी में अपना धन लगाया है, जो छोटे छोटे मध्यम श्रेणी के या निचली श्रेणी के लोग हैं, जिन का भी रुपया उसमें लगा है, जिन्होंने अपनी मेहतन की कमाई को, थोड़ी सी पूंजी को कम्पनी के अन्दर दे दिया है और उम्मीद करते हैं कि उस की आमदनी से थोड़ा बहुत उन का गुजारा चलेगा। ऐसे लोगों की क्यूमुलेटिव विजडम को भी उन को मद्दे नजर रखना चाहिये। जो ऊपर के लोग कम्पनी को चलाने वाले हैं और जिन की वजह से कम्पनियां फेल होती हैं, सिर्फ उन के तजुर्बे से ही आप को फायदा नहीं उठाना है।

एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो सेलेक्ट कमेटी बनी है उस में लेबर का काफी रिप्रेजेन्टेशन नहीं है। मैं समझता हूं कि सिर्फ खंडूभाई देसाई जी ही उस के अन्दर हैं, उसके अन्दर

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

कुछ और भी व्यक्ति होने चाहिये थे। इस कमेटी के अन्दर जो दूसरे इन्टरेस्ट हैं, जिन को वेस्टेड इन्टरेस्ट कहा जा सकता है, उन का रिप्रेजेन्टेशन जितना है, उसके मुकाबले में लेबर का रिप्रेजेन्टशन काफी नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बात का सिलेक्ट कमेटी को ख्याल रखना हगा क्योंकि कम्पनियों को चलाने वाली जो लेबर है उस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मजदूरों के इंटरेस्ट का आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो लोग इन्डस्ट्री को चलाते हैं और उस के अन्दर जो लेबर काम करती है दोनों ही कम्पनी के पार्टनर हैं। इस पार्टनर का सही तौर पर ख्याल करना है। जो पूंजी लगाता है और जो उस में लेबर काम करती है दोनों के फायदे का काम होना चाहिये। कहा जाता है कि कम्पनियों के लिये इन्सेन्टिव की जरूरत है। मैं कहता हूं कि जो पूंजी लगाता है उस को भी इन्सेन्टिव की जरूरत है और जो लेबर है उसको भी इंसेंटिव की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सेलेक्ट कमेटी इसका ख्याल रखेगी और वहां मैजारिटी से इस का फैसला नहीं होगा, बल्कि जैसा चटर्जी ने कहा, वहां क्यूमुलेटिव विजडम से काम लिया जायेगा।

तो मैं यह समझता हूं कि सेलेक्ट कमेटी इस बात का पूरा ख्याल रखेगी कि जो लेबर के इन्टरेस्ट हैं, लेबर के लिये जो बात वहां की जाय उस में सिर्फ बहुमत से ही फैसला न किया जाय, बल्कि इस बात को भी काफी वेट दिया जाय कि लेबर के इन्टरेस्ट भी सेफगार्ड हों तभी मैं समझता हूं कि सेलेक्ट कमेटी की महनत सफल हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा): यह विधेयक भारतीय समवायों के ढांचे को न बदल कर उन में कुछ सुधार मात्र कर रहा है, अतः मैं इसका ठंडे जोश से स्वागत करता हूं। प्रवर समिति के सदस्यों ने भी कहा है कि सरकार की आर्थिक नीति में हस्तक्षेप बिना किए वे संचालकों उपबंधकों और विनियोजकों के पारस्परिक संबंधों को सुधारने और कुछ बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा रहे हैं। मेरे माननीय मित्र बल्लाथरास ने कंपनियों की प्रबन्ध अभिकरण पद्धति को पिछले शासन का एक बुरा उत्तराधिकार बताते हुए उसे समाप्त करने की विधि को सरल बनाने और जनसाधारण को इस दिशा में आगे बढ़ाने पर जोर दिया था। गत वर्ष अपने आयव्ययक में उन्होंने कहा था कि यदि शासन की बागडोर उन्हें सौंपा जाय तो वह एक वर्ष में ही सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे। परन्तु यदि उन्होंने एक वर्ष में ही सर्वत्र राष्ट्रीयकरण करने का प्रसारण किया, तो भारी गड़बड़ ही फैलेगी।

श्री वल्लाथरास (पदुकोटै): व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए मैं ने केवल मशीन टूल फैक्टरी के बारे में ही यह बात कही थी कि मैं एक वर्ष में ऐसा कर दूंगा। मैं ने साधारण प्रसारण के बारे में यह बात नहीं कही थी।

श्री आल्तेकर: परन्तु विद्यमान परिस्थितियों में एक वर्ष में राष्ट्रीकरण असंभव है वह जिन सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं, उनम देश की बहुसंख्यक जनता विश्वास नहीं रखती तुलसी दास के शब्दों में मैं कहूंगा:

एक भरोसा, एक बल, एक आशा
विश्वास।
एक मार्क्स कृपानिधान खास, चातक
बल्लाथरास ॥

अर्थात दुनिया में आशा, विश्वास बल सब कुछ कृपानिधान मार्क्स हैं, और उनके प्रशंसक बल्लाथरास। वह समवाय विधि और औद्योगिक ढांचे को सरल बनाना चाहते हैं। वह गणित, विज्ञान, सब कुछ सरल बना सकते हैं, पर इससे परेशानियां ही बढ़ जाएंगी।

विद्यमान स्थिति में हम नहीं चाहते कि उपयोग वस्तुओं के उत्पादन में कुछ कमी हो। प्रगति क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए। तभी हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है। सरकार ने एक ओर बड़ी बड़ी परियोजनाएं अपने हाथ में ली हैं, दूसरी ओर वह उद्योगों पर और उनके तरीकों आदि पर नियंत्रण रखते हुए उन्हें यथेच्छ प्रगति करने देना चाहती है। पर अभी सरकार बड़े उद्योगों को अपने हाथ में नहीं ले सकती, क्योंकि न तो पर्याप्त विशेषज्ञ हैं और न संसाधन। अतः पंचवर्षीय योजना के निजी खंड में इस दिशा में कुछ वृद्धि सम्भव नहीं है।

सरकार इन उद्योगों की सहायता तभी करेगी, जब वे कार्यप्रणाली और तरीकों में सरकारी नियंत्रणों को मानेंगे। निजी खंड इस प्रकार सरकारी नियंत्रण में रह कर ही औद्योगिक विकास की दिशा में अग्रसर हो सकेगा। यह मुख्य बात है और सरकार की इस नीति के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

देश के उद्योग-व्यापार में प्रबन्ध की जो एक विशेष पद्धति विकसित हुई है, वह अंग्रेजों की नकल से नहीं बल्कि देश की परिस्थितियों के कारण भी विकसित हुई है। अब यदि हम देश के उद्योगों की और निजी खंड की प्रगति चाहते हैं, तो अभी इस ढांचे को तोड़ना उचित नहीं है। इसमें विशेष परिवर्तन नहीं किए जा सकते। पर इसे अच्छी तरह नियंत्रित रखना होगा और इसमें खूब सुधार करने होंगे, जिससे अंशधारियों और जनसाधारण में किसी को भी हानि न पहुंचे। इस बात पर ध्यान रखना होगा और समिति की सिफारिशों के अनुसार इस विधेयक को तैयार करते समय इसी बात पर ध्यान रखा गया था।

अतः प्रबन्ध अभिकरण पद्धति को समाप्त करने से पूर्व हमें इसके इतिहास पर ध्यान देना होगा कि ये उपक्रम किस प्रकार कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अपेक्षतया अधिक खतरा उठाकर शुरू किए गए उन्होंने पूंजी लगाई, संगठन किया और प्रबंध आदि चलाया। बाद में वे विकसित होकर बड़े होते गए और सार्वजनिक संयुक्त समवायों में बदल गए। ऐसी स्थिति में शुरू में प्रबंध चलाने वाले और उस उपक्रम का संचालन करने वाले लोग अधिकांश नियंत्रण वस्तुतः अपने हाथ में रखते हैं। अंश बांटते समय अधिक पूंजी लगाने के कारण उनको अधिक अंश मिल जाते हैं। साख (गुडविल) के लिए भी अंश दिए जाते हैं। इस प्रकार बहुत कुछ नियंत्रण उनके हाथ में बना रहता है। इस देश में ऐसे अनेकों उद्योग हैं, जो प्रबंध अभिकरण पद्धति के अधीन बड़े सक्षम रूप में आगे बढ़े और इन लोगों ने बड़ी सचाई से कारबार चलाया है।

[श्री आल्तेकर]

इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध में अनेकों नई कम्पनियां बनीं, जिनके बारे में जनसाधारण को बहुत शिकायतें हैं। पर जो कंपनियां देशहित में अच्छा योग देती रही हैं, उनको स्वत: विकसित होने देना चाहिए। इसके लिए प्रबंधक अभिकर्त्ताओं के प्रभाव को नियंत्रित करना होगा, जिससे वे मनमानी न कर सकें। समिति ने सुझाया है कि संचालक या संचालक बोर्ड के हाथ में पर्याप्त शक्ति रहनी चाहिये और प्रबंध-अभिकर्त्ता उस के ऊपर हावी न होने पाएं। इसी दृष्टि से विधेयक में परिवर्तन किए गए हैं। प्रबंध-अभिकर्त्ता अधिक से अधिक एक तिहाई संचालक रख सकेंगे। श्री तुषार चटर्जी ने कहा था कि शेष दो तिहाई उनके विरुद्ध जाएंगे और यह संख्या कम है, पर इस ओर से लोगों का कहना है कि उनको इतने स्थान भी नहीं देने चाहिये। यदि वे लोग सचाई से काम करेंगे तो शेष दो तिहाई का भी समर्थन प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा वे यह समर्थन प्राप्त न कर सकेंगे। अत: सरकार द्वारा अपनाया गया यह सिद्धांत ठीक है और यह एक महत्वपूर्ण सुधार है।

नीति और साधारण शक्तियां संचालन बोर्ड के हाथ में हैं, और प्रबंध-अभिकर्त्ता कुछ नहीं कर सकेंगे। इस विधेयक में यह भी बताया गया है कि संचालक-बोर्ड अवीक्षण और नीति बनाने आदि की शक्तियां प्रबंध-अभिकर्त्ताओं को हस्तांतरित नहीं कर सकेंगे। नियंत्रण की वास्तविक शक्ति संचालकों के हाथ में होना एक महत्वपूर्ण उपबन्ध है। अन्य सुझावों को मानते हुए इस विधेयक में और भी सुधार किए गए हैं, जो बड़े प्रभावी ह। अब संचालक-बोर्ड पूरे मन से काम कर सकेगा। एक यह महत्वपूर्ण सझाव भी मान लिया गया है कि संचालक-बोर्ड में फर्म या कम्पनी नहीं, केवल व्यक्ति ही हो सकते हैं। इससे उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सकेगा संचालक के दक्षतापूर्वक काम चलाने की दृष्टि में आयु की सीमा भी ६५ वर्ष की निश्चित की गई है। भारत में कुछ लोग ६५-६५ कंपनियों में संचालक हैं। और अनेक व्यक्ति ३०-३० कंपनियों में संचालक हैं। यह संख्या कम करके २० की जा रही है। इन दोनों बातों पर प्रवर-समिति में खूब चर्चा होगी। आयु के विषय में विधेयक में यह उपबंध अच्छा रखा गया है कि यदि साधारण सभा यह संकल्प पारित करे कि व्यक्ति विशेष की आयु का ध्यान न रखा जाए, तो वह छूट दे दी जाए। हम जानते हैं कि देश में ६५ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। डा० भंडारकर ने ८० वर्ष की आयु में सांख्य दर्शन पर बहुत सुन्दर लेख लिखा था और देश में अनेकों व्यक्ति ऐसे हैं, जो ७० वर्ष से अधिक की आयु में बड़ी अच्छी देश सेवा कर रहे हैं। अत: यदि साधारण सभा में व्यक्ति विशेष के संबंध में उचित समझे तो यह छूट देना उचित ही है।

बात यह है कि किसी न किसी तरह संचालक बोर्ड को निर्णायक अधिकार देने का तरीका खोजा गया है। अब प्रबंध अभिकर्त्ता मनमानी नहीं कर सकेंगे। अब संचालक बोर्ड की मंजूरी बिना ऋण नहीं लिया जा सकेगा; तथा अंशधारियों से अंशों का अवशिष्ट पैसा वसूल नहीं

किया जा सकेगा । प्रबंध अभिकर्त्ता अपने समवाय से पारिश्रामक के तौर पर १२½ प्रतिशत से अधिक नफा नहीं ले सकेंगे । संचालक बोर्ड में प्रबंध अभिकर्त्ताओं की संख्या ⅓ से अधिक नहीं रहेगी । प्रबंध अभिकर्त्ताओं की कार्याविधि पर भी सीमा लगाई गई है । मैं यह नहीं कहता कि दुनिया में एकाएक स्वर्ग उतर आयेगा । इस नये विधान के प्रवर्तन तथा विकास में कुछ समय अवश्य लगेगा और इसके परिणामों की ओर हमें ध्यान भी देना होगा । लेकिन संचालक बोर्ड को, अर्थात् अंशधारियों के प्रतिनिधियों को, निर्णायक अधिकार देने की कोशिश कर के उचित दिशा में पग उठाया गया है ।

अब मैं पूंजी लगाने वालों के बारे में कुछ कहूंगा । इनके दो प्रकार होते हैं । एक तो अंशधारी होते हैं और दूसरे होते हैं निक्षेपक । अंशधारियों की संख्या बहुत बड़ी होती है और अंशों का मूल्य अल्प होता है । यदि वे संचालकों का चुनाव अच्छी तरह कर लें तो उनकी स्थिति उनके प्रतिनिधियों के हाथों में सुरक्षित रहेगी । किन्तु जहां तक निक्षेपकों का सवाल है, मेरी राय में उनकी सुरक्षितता का पर्याप्त उपबन्ध नहीं किया गया है । बंगाल तथा महाराष्ट्र में निक्षेपकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है । किसी समवाय की सफलता तथा उसके द्वारा दिये जाने वाले ब्याज के ऊंचे दरों के विज्ञापन देख कर अनजान जनता अपने पैसे ऐसे समवाय के पास जमा कर देती हैं और बाद में जल्दी ही उस समवाय का दिवाला निकलता है । निक्षेपक चाहते हैं कि जब चाहे तब वे अपना पैसा वापस ले सकें। और अन्त में उन्हें पछताना पड़ता है ।

इसलिए निक्षेपों पर कोई सीमा लगाई जानी चाहिये । समिति ने यह बात मान ली है और सिफारिश की है कि अंशों द्वारा प्राप्त पूंजी तथा मुक्त रक्षित निधि से अधिक निक्षेप स्वीकार नहीं किये जाने चाहिये । इस चीज़ को विधेयक के खंड २७२ (घ) में भी मान लिया गया है । परन्तु इसमें एक शर्त रख दी गई है और वह यह है कि संचालक निश्चित सीमा से अधिक रुपया उधार नहीं ले सकेंगे, परन्तु यह यदि अंशधारियों की महासभा उन्हें उस सीमा को पार करने के लिये अधिकृत करती है तो वे ऐसा कर सकते हैं । अंशधारियों की दृष्टि से यह उपबन्ब लाभप्रद हो सकता है क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उनकी कम्पनी कठिनाई में है तो उनका रुपया गया तो है ही, इसलिये यदि संचालक ऋणदाताओं से कुछ ऋण ले सकते हैं तो ले लें । उनका इसमें कोई नुक़सान नहीं । परन्तु यह चीज़ बेचो । ऋणदाताओं और निक्षेपकों के हित में नहीं है । इसलिये यह ज़रूरी है कि इन निक्षेपों के लिये एक ऊपरी सीमा निश्चित की जाये । ये निक्षेप प्रार्थित पूंजी और रक्षित निधि के योग के ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहियें । यदि वे इससे आगे बढ़ना चाहें तो अपनी ज़िम्मेवारी ऐसा करें।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि यदि किसी कम्पनी के पास निक्षेप इस सीमा से २५ प्रतिशत से अधिक हों तो इन निक्षेपकों का संचालक बोर्ड में एक प्रतिनिधि ले लिया जाये । निक्षेपकों को कम्पनी के संतुलन-पत्र और अन्य अभिलेख देखने का अधिकार होना चाहिये । निक्षेपों का एक रजिस्टर होना

[श्री आल्तेकर]

चाहिये जो रजिस्ट्रार के पास रहे और जब तक वह अनुमति न दे दे तब तक संचालक कोई निक्षेप स्वीकार न करें।

महाराष्ट्र में निक्षेपकों की एक संस्था है जो एसोसियेशन आफ़ डिपोज़िटर्स (निक्षेपक) कहलाती है। इस एसोसियेशन ने कई सिफ़ारिशें की हैं। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति इस संस्था के अध्यक्ष तथा सदस्यों से सम्पर्क स्थापित करे और उनकी सिफ़ारिशों पर ध्यान दे।

समिति ने केन्द्रीय प्राधिकार के बारे में जो एक सबसे महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया था, उसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। समिति ने दो सिफ़ारिशें की थीं। उसने कहा था कि संयुक्त स्कंध समवायों के लिये एक विभाग बना दिया जाये जिसे उन पर निगरानी रखने के संबंध में विस्तृत अधिकार दे दिये जायें। वरना सरकार जो इतनी शक्ति ले रही है उसका प्रयोग किस प्रकार हो सकेगा और इस प्रकार का क़ानून बनाने से क्या लाभ होगा? माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि रजिस्ट्रार यह सब कार्य करेगा और इसमें कोई गड़बड़ नहीं रहेगी। परन्तु उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि रजिस्ट्रार किस प्रकार अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करेगा और किस प्रकार सब लोगों को सन्तुष्ट कर सकेगा। मैं तो यह चाहता हूं कि प्रवर समिति इस विषय पर अच्छी तरह ध्यान दे और इस बात की व्यवस्था करे कि यहां जो क़ानून बनें उनको उचित रूप से क्रियान्वित किया जाये।

अन्त में मैं एक और सुझाव दूंगा और वह यह कि सार्वजनिक उपयोगिता रखने वाले समवाय निजी समवाय नहीं होने चाहियें बल्कि सार्वजनिक सीमित समवाय होने चाहियें ताकि उन पर भी भारतीय समवाय अधिनियम के कल्याणकारी उपबन्ध लागू हों।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल): मैं केवल प्रबंधक अभिकरण पद्धति पर ही अपने विचार प्रगट करूंगा। यद्यपि यह विधेयक समवाय विधि समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है परन्तु फिर भी न तो समिति ने ही और न ही सरकार ने इस पद्धति के महत्व को समझा है और यह जानने का प्रयत्न किया है कि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। समिति के निर्देश्य-पदों में इसे आसानी से छोड़ दिया गया है। समिति ने इस बारे में कोई स्पष्ट राय प्रकट नहीं की है कि इस पद्धति को खत्म कर दिया जाये या जारी रखा जाये।

इस पद्धति के पक्ष में ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई किसी भी समिति ने एक शब्द भी नहीं कहा है। मेरे पास भारतीय तटकर बोर्ड की एक रिपोर्ट है जिसमें यही कहा गया है कि प्रबंध अभिकर्त्ता नये नये उपक्रमों को आरम्भ करने में ज़रूरत से ज्यादा कट्टरपंथी थे और वे उद्योगों की अपेक्षा वाणिज्य का विकास करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। बैंकिंग जांच समिति का भी यही मत था कि यदि भारत के उद्योगों का विकास करना है तो इस पद्धति पर निर्भर रहना कम कर दिया जाये। इस समिति की अल्पसंख्यक रिपोर्ट तो यह थी कि वह पद्धति अब बिल्कुल उपयोगी नहीं रही

है । मैं आपको १९३२ की बातें बता रहा हूं जब स्वयं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस पद्धति का कड़ा विरोध करते थे । श्री अनन्तशयनम् आयंगार ने भी केन्द्रीय विधान सभा में एक बहुत लम्बा भाषण देते हुए कहा था कि यह एक बहुत खराब पद्धति है । परन्तु इतने वर्षों के बाद भी सरकार इस बात का फ़ैसला नहीं कर सकी है कि इस पद्धति को जारी रखा जाये या नहीं । मुझे खेद इस बात का है कि सारी रिपोर्ट में इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि हमारे यहां के उद्योगों पर प्रबन्धक अभिकरणों का क्या प्रभाव पड़ा है । मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं । मैं ये आंकड़े सरकार से लेना चाहता था और मैंने श्री बी० आर० भगत को लिखा भी था कि वह मुझे इस बात की सूचना उपलब्ध करायें कि भारत के आद्योगिक उत्पादन के कितने प्रतिशत भाग पर प्रबन्धक अभिकरणों का नियंत्रण है और विभाजन के बाद प्रबन्धक अभिकरणों द्वारा प्रबन्धित कितनी कम्पनियों का ऐच्छिक रूप से परिसमापन हुआ ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री भगत ने मुझे यह उत्तर दिया उनके पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है । तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सरकार इतना व्यापक और महत्वपूर्ण विधेयक लाई तो है परन्तु उसके पास इन कम्पनियों से सम्बन्धित आंकड़े नहीं हैं । मेरा कहना यह है कि यह रिपोर्ट बिना प्रबन्धक अभिकरण कम्पनियों के इतिहास और विकास को जाने हुए और उनका हमारे यहां के उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभावों को आंके हुए तैयार की गई है । यदि ऐसी बात नहीं है तो फिर मैं कहूंगा कि जान बूझ कर इस चीज़ को छोड़ा गया है ।

मैं मानता हूं कि इस पद्धति का विकास कुछ विशेष परिस्थितियों में हुआ था । ईस्ट इंडिया कम्पनी का एकाधिकार खत्म हो जाने के बाद, भारतीय उद्योगपति हमारे यहां के उद्योगों को संभालने और उनका संचालन करने के लिये तैयार नहीं थे और उसी समय ब्रिटिश पूंजीपतियों को अवसर मिल गया और उन्होंने हमारे यहां के उद्योग धंधों पर अपना कब्जा जमा लिया । जो ब्रिटिश लोग यहां आये थे उन्होंने अपनी थोड़ी थोड़ी पूंजी लगा कर यहां के औद्योगिक क्षेत्र में अपने हाथ पैर फैलाने शुरू कर दिये थे और फिर धीरे धीरे अपना क्षेत्र बढ़ा कर वे आज इस हालत तक पहुंच गये हैं कि लगभग सारे बड़े उद्योग उनके हाथों में हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । भारतीय उद्योग मुख्य रुप से प्रबन्धक अभिकरणों द्वारा ही प्रबन्धित है । आज हमारे यहां ३० ब्रिटिश प्रबन्धक अभिकरण कार्य कर रहें हैं, जिनका लगभग प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र में हाथ है । १९५२ में ये लगभग ६८० कम्पनियों को नियंत्रित करते थे; और बड़ी बड़ी फर्मों जैसे एन्ड्रू यूल एंड कम्पनी और बर्ड हगलर्स ग्रुप आदि के अधीन ५८–५७ तक कम्पनियां थीं । कोयला उद्योग में लगभग ८० प्रतिशत उत्पादन विदेशियों के हाथों में है । इसी प्रकार पेट्रोलियम उद्योग, पटसन उद्योग तथा रबड़ उत्पादन का ९० प्रतिशत भाग ब्रिटिश कम्पनियों के हाथ में है ।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : पटसन के ९० प्रतिशत शेयर अंग्रेज़ों के हाथ में हैं ।

श्री बी० पी० नायर : जी हां ! यदि ठीक ठीक ही पूछना चाहते हैं तो ८९ प्रतिशत उनके हाथ में हैं । लेकिन इसे आप लगाई गई पूंजी से न मिलाइये । पूंजी लगाना और प्रबन्ध करना दो अलग अलग बातें हैं । प्रबन्धक अभिकरण भारत में पटसन का ९० प्रतिशत उत्पादन अपने हाथ में रखते हैं । यह सूचना कई समाचारपत्रों में छपी है जिसे सरकार ने गलत नहीं बताया था ।

अन्य बहुत से उद्योग हैं जिनमें हज़ारों व्यक्ति काम करते हैं । बगान उद्योग, खान उद्योग आदि । आप देखेंगे कि इन दोनों उद्योगों में कम से कम ५० प्रतिशत उत्पादन पर अंग्रेज़ों का हाथ है । ४८ से ४९ प्रतिशत बैंक और बीमा कम्पनियां उनके हाथ में हैं । प्रबन्धक अभिकरणों के रूप में अंग्रेज़ों ने एक ऐसा जाल बिछा रखा है जिससे भारतीय उद्योगों को कभी लाभ नहीं पहुंच सकता है । यही व्यवस्था रही तो भारतीय उद्योग पनप न सकेंगे । अंग्रेज़ थोड़ी सी पूंजी लगाकर सारे उद्योग को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं । कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सरोज़कुमार बसु द्वारा लिखित "इन्डस्ट्रियल फाइनेंन्स आफ इंडिया" नामक पुस्तक में बताया गया है कि मैसर्स बर्ड एंड कम्पनी की जो कि एक प्रबन्धक अभिकरण है, १९०९ में १·१ प्रतिशत पूंजी थी और १९३४ में २·४ प्रतिशत थी । यह आंकड़े आकलैंड जूट मिल्स लिमिटेड के सम्बन्ध में हैं । इस प्रकार अन्य पटसन मिलों की पूंजी में भी बर्ड एंड कम्पनी की पूंजी बहुत कम है, फिर भी, सारा का सारा उत्पादन और नियंत्रण उसी के हाथ में है ।

कपड़ा जांच कमेटी के सामने बोलते हुए श्री के० सी० महेन्द्र ने कहा था कि १९५० में आयरेन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड के २५ लाख शेयरों में से कुल १०,००० शेयर और स्टील कारपोरेशन आफ बंगाल के ३३ लाख शेयरों में से केवल एक लाख शेयर मैसर्स मार्टिन बर्न लिमिटेड के हाथ में थे । इससे पता लगता है कि यह प्रबन्धक अभिकरण किस प्रकार अपना नियंत्रण जमाये रखते हैं ।

अब मैं प्रबन्ध अभिकरण के एक दूसरे पहलू को लेता हूं । विशेषकर विभाजन के पश्चात् से इन अंग्रेज़ी प्रबन्ध अभिकरणों में एक प्रवृत्ति काम करने लगी है । वे यह दिखाना चाहते हैं कि अधिक से अधिक भारतीयों को भी इस काम में लगाया जा रहा है । मगर जब वह किसी भारतीय को अपने प्रबन्धक अभिकरण का संचालक नियुक्त करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेज़ी शासनकाल में देश के उद्योगों के विरुद्ध काम करता रहा है या उनके साथ पहले ही से मिल कर काम करता रहा है । वे ऐसे व्यक्तियों को लेना पसंद नहीं करते जो उद्योगों को भारतीय दृष्टिकोण से देखते हैं या अंग्रेज़ों द्वारा चलाई गई पद्धति में कोई हेरफेर करना चाहते हैं जो उनके हाथों में कठपुतली बने रहें । श्री अजीत द्वारा लिखित "इण्डियन मोनोपोली कैपिटल" नामक पुस्तक में बताया गया है कि मैकिलग्रोड एंड कम्पनी लिमिटेड के

अंतर्गत ६० कम्पनियां हैं और उसमें केवल एक भारतीय संचालक है। इसी प्रकार गिलान्डर्स आरबथनाट एंड, कंपनी लिमिटेड के अन्तर्गत ४८ कम्पनियां हैं लेकिन उसके संचालक बोर्ड पर केवल एक भारतीय है।

१२ मध्याह्न

अतः मेरा निवेदन है कि यह प्रबन्धक अभिकरण पद्धति शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर दी जाए। इससे कोई लाभ नहीं है। यदि आप इसे रखना ही चाहते हैं तो भारतीय प्रबन्धक अभिकर्ताओं के हाथ में रखिए। मेरा तो प्रवर समिति से यही निवेदन है कि वह विधेयक में से इस अध्याय को ही निकाल दे।

अब मैं भारतीय प्रबन्धक अभिकरणों को लेता हूं। कुछ थोड़े से अंग्रेज़ी प्रबन्धक अभिकरण छः सौ से सात सौ कम्पनियों का प्रबन्ध करते हैं। यही हाल भारतीय प्रबन्धक अभिकरणों का भी है। लेकिन उनके नियंत्रण का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। ४४ भारतीय प्रबन्धक अभिकरण ६४० कम्पनियों का नियंत्रण करते। लेकिन इनके काम करने का तरीका कुछ ऐसा होता है जिससे जनता को हानि पहुंचती है। वे जनता को धोखा देकर अपना काम चलाते हैं। चोर बाजार में कुछ पूंजीपतियों ने अपार धन कमाया है। उसका उपयोग करने के लिए ही वे इन अभिकरणों की शरण लेते हैं। होता यह है कि वे हमेशा यही प्रयत्न करते हैं कि प्रबन्धक अभिकरणों द्वारा चलाई गई कम्पनियों में लाभ न दिखाया जाए। यह काम अनेक तरीकों से किया जाता है। कम्पनी के शेयर रजिस्ट्रों में कुछ शेयर धर्मार्थ कोष में डाल दिये जाते हैं जिनका लाभ वे स्वयं उठाते हैं। कभी कभी बहुत सी कम्पनियों के एक ही से संचालक होते हैं। यह कहना तो बहुत सरल है किसी प्रबन्धक अभिकरण के संचालक को दो या तीन कम्पनियों से अधिक का संचालक नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते हैं। होता यह है कि कम्पनियों के जो उच्च अधिकारी या संचालक होते हैं वे अक्सर प्रबन्धक अभिकरणों के संचालकों के सम्बन्धी आदि होते हैं। भारत बर्मा कम्पनी का ही मामला ले लीजिये। उसके चारों संचालक या तो प्रबन्धक संचालक के सम्बन्धी हैं या उसके आश्रित हैं। १९४६ या १९४७ में एक हवाई कम्पनी का प्रबन्ध करने के लिए डालमिया जैन लिमिटेड नामक एक प्रबन्धक अभिकरण स्थापित किया गया था। लेकिन इस कम्पनी ने कभी हवाई सेवा नहीं चलाई। जैसा कि इसे करना चाहिए था। इसके विपरीत कम्पनी का धन बचा हुआ अमरीकन सामान खरीदने में लगा दिया गया। इस प्रकार देखा जाए तो जिस उद्देश्य को लेकर कम्पनियां बनाई जाती हैं वे अक्सर पूरे नहीं होते और जनता का धन प्रबन्धक अभिकरण जिस प्रकार चाहता है खर्च करता है। तो मैं यह चाहता हूं कि समवाय खोले जाते हैं, जनता उन के लिए चंदा देती है, और तत्पश्चात् समवाय का कार्य उस ढंग से नहीं किया जाना जिस के आधार पर चंदा एकत्र किया गया था। एक विमान समवाय के प्रबन्धक विदेशक के कथनानुसार अमरीका की पुरानी मोटर गाड़ियां खरीद कर उन्हें बेचा जाता है और उन पर २५ प्रतिशत लाभ प्राप्त किया जाता है। परन्तु आरंभ में समवाय के अभिलेखों में यह नहीं दिखाया जाता। जो उपबन्ध आप ने प्रस्तुत किये हैं उन के द्वारा आप इसे कैसे रोकना चाहते हैं?

[श्री वी० पी० नायर]

प्रबन्धक अभिकरण सार्थ प्रायः उद्योगों पर एकाधिकार जमा रखते हैं। वस्तुतः ऐसे सार्थों को व्यापार का प्रबन्ध करना होता है। परन्तु वे उद्योग के लेखों का हेर फेर कर के कुप्रबन्ध करते हैं। यह सार्थ एक प्रकार की ऐसी संस्था है जो एक के बाद दूसरे उद्योग को हथियाने का प्रयास करती है। मैं समझता हूं कि तथा कथित एकाधिकारी प्रबन्धक अभिकरण सार्थों द्वारा जनता के धन की इस लूट को रोकने के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया।

मैं श्री देशमुख से पूछता हूं कि क्या प्रतिवेदन में भ्रष्टाचार प्रणाली का पूरा विवरण दिया गया है जिसके द्वारा लेखों में गड़बड़ करके प्रबन्धक अभिकरण जनता को धोखा देते हैं। इसके बिना वे नियम कैसे बना सकते हैं? वे कैसे प्रबन्धक अभिकरण के भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर सकते हैं? प्रबन्धक अभिकरण क्रेता और विक्रेता अभिकर्ताओं की नियुक्ति स्वयं करते हैं। कुल उत्पादन का ६० या ४० प्रतिशत अभिलेखों में लिखा जाता है। वे सारा उत्पादन बेच कर चोर बाजारी का धन एकत्र करते हैं। इस की रोक के लिए क्या उपबन्ध है?

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री को नाम द्वारा निर्देशित किया जा सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्रियों का निर्देश जन के मंत्रालयों द्वारा किया जाना चाहिये।

श्री वी० पी० नायर : तो मैं प्रबंध अभिकर्त्ताओं द्वारा भ्रष्टाचार की बात कह रहा था। इस का एक निश्चित उदाहरण इंडस्ट्रीज़ का है। इस समवाय के विक्रेता अभिकर्त्ताओं ने उत्पादन का ६० प्रतिशत अभिलेखों में दर्ज़ किया था। जब आयकर जांच आयोग ने जांच आरंभ की तो वे भयभीत हो गये और उन्होंने इस समवाय को आठ भागों में बांट दिया उद्देश्य यह था कि यदि आठ समवाय हुए तो किसी समवाय के अभिलेख कश्मीर में होंगे और किसी के राख कुफ़ारो में। अतः जांच आयोग इन के अभिलेख प्राप्त नहीं कर सकेगा। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ब्रिटिश प्रबन्धक अभिकरण ने एकाधिकर प्राप्त कर लिया है। वह भारतीय उद्योगों के विकास के लिए भयानक है। भारतीय अभिकरण भी बहुत बड़े हो चुके हैं। ये सब अभिकरण कई ढंगों से समवायों के साथ धोखा करते हैं। श्री अल्तेकर ने यह कहा है कि क्योंकि हमारी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है इस लिए प्रबंधक अभिकरण प्रणाली रहनी चाहिये। मिश्रित अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में यह आश्चर्यजनक धारणा है मैं सरकार और सदन को यह बताना चाहता हूं कि एकाधिकारी प्रबन्धक अभिकरण संगठन की नाशकारी बुराई को दूर करने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। कहा जाता है कि उद्योगों में पूंजी नहीं लगाई जा रही है। इस का एक मुख्य कारण प्रबंधक अभिकरण पद्धति है क्योंकि जो कुछ भी पूंजी लगाई जाती है उस का एक बड़ा भाग प्रबन्धक अभिकर्ताओं के जेबों में जाता है:

वित्त मंत्री से मेरा यह निवेदन है कि वे देश हित को ध्यान में रखते हुए

प्रबन्धक अभिकरण के प्रश्न को सुलझाने के सम्बन्ध में विचार करें। यह तो निश्चित है कि औद्योगिक उत्पादन के अधिकांश भाग पर प्रबन्धक अभिकरणों का नियंत्रण है। और यह बात निर्विवाद कही जा सकती है कि ब्रिटिश और भारतीय अभिकरण लाभ का बड़ा भाग हथिया लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मेरा प्रवर समिति से अनुरोध है कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या प्रबंधक अभिकरण पद्धति को समाप्त किया जा सकता है अथवा नहीं। इस से सारे गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र को हानि हो रही है। इसलिए सरकार को स्थिति का पुनर्विलोकन करना चाहिये और यह समझना चाहिये कि प्रबंधक अभिकरण का देश की पद्धति अर्थव्यवस्था पर, प्रभाव पड़ता है। यदि यह भयानक पद्धति जारी रही तो देश की अर्थव्यवस्था नष्टभ्रष्ट हो जायेगी।

श्री ए० एम० टामस : मेरा विचार था कि यह माननीय सदस्य उन बातों का उत्तर देंगे जो श्री एन० सी० चटर्जी ने प्रबंधक अभिकरण पद्धति जारी रखने का समर्थन करते हुए कही थी। इस सदन के प्रत्येक सदस्य और देश के प्रत्येक जन साधारण को विदित है कि प्रबंधक अभिकरण पद्धति में क्या बुराइयां हैं। परन्तु अच्छा होता यदि माननीय सदस्य श्री चटर्जी की बातों का उत्तर देते। उनमें एक बात तो यह है कि क्या वर्तमान औद्योगिक विकास की स्थिति में इस पद्धति को सर्वथा समाप्त किया जा सकता है। सभी लोग जानते हैं कि इस देश में उद्योगों में बहुत कम पूंजी लगाई जा रही है। कारण यह है कि लोगों में उद्योग आरम्भ करने के लिए अपेक्षित संगठन शक्ति नहीं है। श्री चटर्जी ने बताया है कि कपड़ा, पटसन, चाय इत्यादि सुस्थापित उद्योगों को इसी प्रबन्धक अभिकरण पद्धति ने स्थापित किया है जिस के प्रति इतनी द्वेषपूर्ण भावना है। प्रारम्भिक जांच के प्रश्न के सम्बन्ध में हम जानते हैं कि प्रबन्धक अभिकरण पद्धति ने कितना कार्य किया है। श्री चटर्जी ने प्रबन्धक अभिकर्ताओं द्वारा लाई गई पूंजी की ओर निर्देश किया है। यह सब जानते हैं कि इन अभिकरणों में कितने विशेषज्ञ और प्रशासक हैं जिन की सेवाओं का उपयोग सरकार ने भी किया है। वस्तुतः हम जानते हैं कि संयुक्त स्कन्ध समवायों में से ८० प्रतिशत का प्रबन्ध प्रबन्धक अभिकरण करते हैं।

इस कारण हमें इस पद्धति की बुराइयों का पता है और इसीलिए हम ने इसे समाप्त करने के लिए नहीं वरन् इस को ठीक करने के लिए अधिनियम बनाया है। ऐसी परिस्थितियों में जैसा श्री अल्तेकर ने बताया है, इस पद्धति को समाप्त करने से देश और औद्योगिक विकास का भला नहीं होगा समवाय कानून समिति के समय दिये गये साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा गया है कि साक्षियों का बहुमत पद्धति को समाप्त करने की बजाय इस की त्रुटियां दूर करने के पक्ष में है। योजना आयोग ने भी इसी प्रकार की इच्छा प्रकट की है। यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि योजना आयोग में निहित स्वार्थ कम कर रहे हैं। अतः इस पद्धति में यथासम्भव बुराइयों को दूर करने के लिये समवाय कानून समिति ने कार्य किया है।

[श्री ए० एम० टामस]

तिरुवेल्ला के मेरे माननीय मित्र ने पूछा कि क्या मैं कुछ ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिन में प्रबन्धक अभिकरण पद्धति ठीक रूप से चली हो। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिनसे यह पता चलता है कि प्रबंधक अभिकर्ता शोषण नहीं करते। कुछ बड़े समवायों के संतुलन-पत्र देखने से पता चलेगा कि स्थिति क्या है। टाटा लोहा तथा इस्पात समवाय को लीजिये। कुल आय में से ४१ प्रतिशत कच्चे माल, विद्युत आदि पर व्यय होता है; ३० प्रतिशत मजूरी, वेतन भत्ते आदि पर व्यय होता है, १६ प्रतिशत कर के रूप में दिया जाता है; अवक्षयण तथा रक्षित निधियों के लिये ६ १/४ तथा १ १/४ प्रतिशत जाता है। इस प्रकार कुल आय का ९४ प्रतिशत से अधिक भाग चला जाता है और शेष ५ १/२ प्रतिशत में से ४ १/२ प्रति शत लाभांश के रूप में चला जाता है और प्रबन्धक अभिकर्त्ताओं का कमीशन केवल १ प्रतिशत रहता है। यही हाल बम्बई के रंजन अथवा बड़े बड़े वस्त्र समवायों का है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक प्रतिशत कितना बनता है ?

श्री ए० एम० टामस : हमें यह बात भूलनी नहीं चाहिये कि देश में इस्पात उद्योग चलाने के सम्बन्ध में टेकनिकल प्रवीणता तथा अधीक्षण के लिये भी हम तीन प्रतिशत देने को तैयार हैं। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि यह एक प्रतिशत, जो मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी रकम भी हो सकती है, उस श्रम, टेकनीकल प्रवीणता अथवा प्रशासनिक कार्यकुशलता बहुत ज्यादा हैं जो प्रबंधक अभिकरण उद्योगों में लाते हैं।

अन्य कई समवायों के संतुलन-पत्रों से पता चलता है कि प्रबंधक अभिकर्ता कुल आय का १ से २ प्रतिशत तक प्राप्त करते हैं। इन समवायों में वस्त्र, कपास, पटसन रेशम, छपाई, सीमेंट, कागज दियासलाई आदि के उद्योग शामिल हैं।

मुझे प्रबन्धक अभिकरण पद्धति के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। मुझे किसी समवाय के प्रबन्धक अभिकर्त्ताओं म व्यावसायिक अथवा अन्य कोई रुचि नहीं। मैं केवल देश हित के लिये यह कह रहा हूं कि हमें इस पद्धति की त्रुटियां दूर करनी चाहियें।

अगली पंच वर्षीय योजना में हमें औद्योगीकरण पर ज्यादा ज़ोर देना है। हमें बड़े शहरों में ही नहीं अपितु व्यापक रूप से देश भर में छोटे छोटे उद्योग खड़े करने हैं। क्या सरकार यह उद्योग आरम्भ कर सकती है और बढ़ती हुई जनसंख्या को रोज़गार दे सकती है ? इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मामले के प्रति हमें एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या वर्तमान प्रबन्धक अभिकर्त्ता ऐसा करने को तैयार हैं ?

श्री ए० एम० टामस : वे तैयार न भी हों, हमें तो आवश्यक वातावरण स्थापित करना है। हम ने हस्तक्षेप तथा जांच पड़ताल की व्यवस्था को और विस्तृत कर दिया है। वर्तमान विधान में जो प्रबन्धक अभिकरण पद्धति के नियंत्रण सम्बन्धी ९ धारायें हैं उन के स्थान पर इस विधेयक में ५१ खंड हैं। इससे स्पष्ट है कि विधेयक रखने वाले इस समस्या की

गम्भीरता की ओर जागरूक हैं। इसीलिये इस विधेयक की मुख्य बात यही है कि प्रबन्धक अभिकरण पद्धति पर किस रूप से प्रतिबंध रखे जायें।

कई माननीय सदस्यों ने विधेयक को अति विस्तृत बताया है। श्री वल्लाथरास की तरह मैं भी अनुभव करता हूं कि विधेयक के कई उपबन्ध समझने में कठिन हैं। मुझे आशा थी कि उद्देश्यों तथा कारणों के बहुत ही संक्षिप्त विवरण तथा खंडों की अपर्याप्त टिप्पणियों की बजाय हमें एक पुस्तिका मिलेगी जिस में यह लिखा होगा कि विधेयक का क्षेत्र कितना है तथा यह किस रूप में वर्तमान कानून से भिन्न है। इस पुस्तिका के न होते हुये इस विधेयक पर जो चर्चा हो रही है उस में केवल वकील सदस्य ही भाग ले सकते हैं और उन में भी समवाय विधान के विशेषज्ञ ही। सामाजिक तथा आर्थिक महत्व के इस विधेयक पर सदन के प्रत्येक भाग की पूरी राय ली जानी चाहिये थी।

मैं श्री वल्लाथरास की इस राय से सहमत नहीं कि विधेयक पर लोकमत जानने के लिये इसको परिचालित किया जाये। हमें यह बात याद रखनी चाहिये कि इस विधेयक को शीघ्रता से पारित करने की आवश्यकता है। परिचालित करने से हमें विलम्ब हो जायेगा।

इस देश में समवायों की कुल संख्या लगभग ३०,००० है परन्तु परिसमापन भी तेजी से होता है। १९४९–५३ में ७,४७७ समवाय बनाये गये परन्तु इन में से ३,४८७ का, जिनकी परिदत्त पूंजी २५,५२,९२,००० रुपये थी, परिसमापन हुआ। यह बहुत ही असंतोषजनक स्थिति है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि एक व्यापक विधेयक यथाशीघ्र संभव पारित करें जिस से स्थिति सुधर जाये।

मेरे मित्र, श्री वल्लाथरास, ने कहा कि विधेयक इसलिये परिचालित किया जाना चाहिये क्योंकि हमें उस समय भिन्न राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों की राय प्राप्त नहीं हुई है जब कि उन में इस विधेयक सम्बन्धी कुछ सुझाव परिचालित किये गये थे। परन्तु हमें यह याद रखना चाहिये कि समवाय कानून कोई नई चीज नहीं है। १८५० से हम इस विषय सम्बन्धी विधान बनाते रहे हैं। अब सरकार ने एक संशोधक विधेयक की बजाय एक पूरा ही नया विधेयक रखने का अच्छा निश्चय किया है। परन्तु इस से यह अभिप्राय नहीं कि इसको परिचालित करने की कोई आवश्यकता है। समवाय कानून समिति के प्रतिवेदन में उन सब बातों का निर्देश है जो श्री वल्लाथरास ने उठाई हैं। समिति ने प्रत्येक व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों की राय ली है। इसलिये अब विधेयक परिचालित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जब हम इस विधेयक पर की गई आलोचना को देखें, तो हमें याद रखना चाहिये कि हम ने एक "मिश्रित अर्थ-व्यवस्था" अपनाई है और इसमें गैर-सरकारी क्षेत्र का स्थान बना हुआ है। इसलिये एक साथ ही गैर-सरकारी क्षेत्र रखना और उसका गला घोंटना ठीक नहीं। १९४८ में औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प में गैर-सरकारी उद्यम को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक विशेष अंग माना गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : गैर-सरकारी उद्योग का तो किसी ने विवाद नहीं किया

[उपाध्यक्ष महोदय]

है, परन्तु गैर-सरकारी उद्योग का मतलब प्रबन्धक अभिकरण ही नहीं है केवल इतना ही कहा गया है ।

श्री ए० एम० टामस : मैंने पहले ही कहा है कि वर्तमान स्थिति में कुछ समय के लिये इस पद्धति को जारी रखना आवश्यक है और इस पर कुछ प्रभावी रोक रखना है । वह रोक रखने के उपबन्ध तो इस विधेयक में हैं ।

मेरे कहने का मतलब यही है कि इस प्रकार का कानून प्रतिबन्धात्मक नहीं, रचनात्मक होना चाहिये । दूसरी यही धारणा होनी चाहिये । इस देश में समवाय बनाना एक सामान्य सा कृत्य नहीं रहा ह । दो या तीन वर्ष पूर्व के आंकड़ों से पता चलना है कि इंगलिस्तान जैसे छोटे से देश में ९९,००० संयुक्त संघ समवाय हैं परन्तु हमारे बड़े देश में केवल ३०,००० के लगभग हैं । उद्योग-पतियों, प्रबंधक अभिकरणों तथा व्यापारियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किये जाने के फलस्वरूप बुराइयां होती हैं। पर इस के लिये अंशधारी भी जिम्मेवार हैं क्योंकि वे जागरूक नहीं रहते और विद्यमान कानून उपबन्धों का भी प्रयोग नहीं करते ।

श्रीमान्, मैं इस अवस्था में विधेयक की बातों पर विस्तृत चर्चा करके सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता, परन्तु मैं एक बात और कहना चाहता हूं । माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि वह इस विधेयक में एक पृथक् अध्याय रखने की संम्भावनाओं पर विचार करेंगे जो राज्य द्वारा स्थापित किये गये संयुक्त स्कंध समवायों से सम्बन्धित होगी । मैं मानता हूं कि यह कानून मुख्यतः गैर-सरकारी क्षेत्र से सम्बान्धत है । परन्तु सरकार द्वारा स्थापित किये गये समवायों के बारे में इस विधेयक के उपबन्ध कैसे लागू होंगे, यह कहना कठिन है । हम आशा करेंगे कि विधेयक के उपबन्ध सरकारी उद्यमों पर भी लागू होंगे जब वे समवाय बनाये जायें । परन्तु, इन समवायों के सरकार द्वारा स्थापित किये जाने और इनके ज्ञापनों तथा संथा-अनुच्छेदों को देखते हुए यह कहना सम्भव नहीं कि यह समवाय विधेयक इन पर लागू होगा या नहीं । मुझे आशा है कि सरकार इस बात की ओर जागरूक है इसीलिए वित्त मंत्री एक पृथक् अध्याय लिखने की सम्भावना पर विचार करने की बात सोच रहे हैं । मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह स्पष्ट रूप से कहें कि राज्य उपक्रमों के बारे में, जिन्हें संयुक्त स्कंध समवाय बनाया गया है, सरकार की क्या धारणा है ।

मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी द्वारा उठाई गई एक महत्वपूर्ण बात पर मैं कुछ कहना चाहता हूं । यही बात श्री वर्मन ने भी दुहराई । उन्होंने कहा कि समवाय विधि के प्रवर्तन के लिए एक पृथक् स्वायत्त केन्द्रीय संगठन स्थापित करने का सुझाव स्वीकार किया जाना चाहिये। समिति ने भी इस की आवश्यकता प्रकट की है । माननीय वित्त मंत्री ने स्वायत्त संविहित निकाय की बजाय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों सम्बन्धी विभाग के अन्तर्गत एक पृथक् संगठन स्थापित करने के पक्ष में जो तर्क दिए उन से विश्वास नहीं होता । सरकार कोई खंडों के अधीन बहुत अधिकार प्राप्त

हैं। इन अधिकारों का दुरुपयोग भी हो सकता है। इस दुरुपयोग को रोकने का एक अच्छा साधन यही है कि स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापित किया जाये।

श्री बर्मन ने सुझाव दिया कि संचालक बोर्ड में अंशधारियों में से अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व रखना वांछनीय है। यह एक खतरनाक सुझाव है। इससे झगड़ा पैदा होगा, मुकदमेबाजी होगी और समवाय का काम ठीक ढंग से नहीं चलेगा। विधेयक में बचाव के बहुत उपबंध हैं और अंशधारी अपनी शिकायतें दूर करने के लिये न्यायालय के सामने जा सकता है।

मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सी० डी० पांडे : कल के भाषण के दौरान में माननीय वित्त मंत्री ने इंगलैंड के श्री कोहेन का एक सुन्दर उद्धरण प्रस्तुत किया था। मेरी इच्छा है कि देश में हमारे यहां भी इतनी ही योग्य और ईमानदार सेवा होती। उन्होंने कहा कि व्यापक समवाय विधि के लिये योग्य नागरिक सेवा अपेक्षित है।

सम्पूर्ण विधान की ओर मेरा दूसरा ही दृष्टिकोण है। पिछले पन्द्रह वर्षों के अनुभव में हमें यह बताया है कि अधिकाधिक नियंत्रण होने से जनता के रोजमर्रा के जीवन पर अधिकार बढ़ता गया और परिणामस्वरूप वह पदाधिकारियों के सम्पर्क में आई। यहीं से दुष्टता का सूत्रपात होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पदाधिकारियों और रुपया लेने वालों में बहुत कम सम्पर्क होना चाहियें। वे समवाय चलाने के लिए आप के पास अनुमति पत्र लेने आते हैं। आप पदाधिकारी हैं और समवाय को चलाने अथवा न चलाने देने का अधिकार आप के हाथों में है। उस व्यक्ति के पास आपको वशीभूत करने के अनेक साधन हैं। मुझे लगता है कि सम्पूर्ण सचिवालय बड़े बड़े व्यापारियों अथवा उन के अभिकर्ताओं से घिरा हुआ है।

जिस व्यक्ति के हाथ में यह बृहद् अधिकार होगा वह वित्त मंत्री से भी अधिक शक्तिवान् होगा। उस व्यक्ति की उद्दण्डता पर नियंत्रण करने में वह सशक्त संसद् भी समर्थ न होगी। यह जानकर मैं कांप उठता हूं। यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि प्रबंध अभिकर्ता समस्त प्रकार की दुष्टता करते हैं, वही जनता के धन से गुलछर्रे उड़ाते हैं। प्रश्न यह है कि आप असरकारी प्रोत्साहन चाहते हैं अथवा नहीं।

देश का समूचा नैतिक स्तर उसके व्यापारी वर्ग में प्रतिच्छायित होता है। किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि प्रबंध अभिकर्ता का विकल्प क्या हैं। यदि निजी क्षेत्र का प्रबंध करना है तो किसी अधिकरण की आवश्यकता है। अन्ततः व्यापार स्वाभाविक प्रस्फुरण है। कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो धन-उत्पत्ति के लिये पूंजी, श्रम, मशीन और दूसरी वस्तुओं को जुटायेगा। प्रबंध अभिकर्ता का वैकल्पिक प्रबंध निदेशक है। प्रबंध अभिकरण के बजाय अकेला प्रबंध निदेशक अधिक ईमानदारी का उपयोग कर व्यापारी वग की अधिक अंशो में हितवृद्धि करेगा। इस सम्बन्ध में मुझे भ्रम नहीं है। अधिकांश माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि आज भी विधि में एक उपबन्ध है जिस के अनुसार किसी भी बीमा समवाय की

[श्री सी० डी० पांडे]

प्रबंध अभिकरण द्वारा व्यवस्था करने से इंकार किया गया है । बीमा समवाय और बैंक किसी भी देश की दो प्रमुख वित्तीय इंस्टीट्यूशन्ज़ हैं । इन में काटन कम्पनी (कपास समवाय), सूती वस्त्र के उद्योग अथवा कपास उद्योग से कहीं अधिक दुष्टता हो सकती है । मैं आपको ऐसे उदाहरण बता सकता हूं जबकि प्रबंध निदेशकों ने बैंक के धन का दुरुपयोग किसी प्रबंध अभिकरण सार्थ से कहीं अधिक परिमाण में किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि बैंकों और बीमा समवायों में भी प्रबंध अभिकर्त्ता होना चाहिये ?

श्री सी० डी० देशमुख : नहीं । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रबंध अभिकरण की समाप्ति ही इसकी औषधि नहीं है । यदि काम चला सकते हैं तो आप को न तो प्रबंध निदेशक रखना चाहिये और न प्रबंध अभिकर्ता ही । आप निजी उद्योग की सहज समुन्नति में हस्तक्षेप करने के स्थान पर उसे समाप्त कर दें तो अच्छा होगा । मैं अनुभव करता हूं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिये यह आवश्यक है ।

श्री वी० पी० नायर ने कहा कि एक प्रबंध अभिकरण ५०, ६० या ७० से से भी अधिक उद्योगों का प्रबंध करता है । वस्तुतः यह सच है । कदाचित अकेले प्रबंध निदेशक के लिये ४ लाख रुपये व्यय करना पड़ेंगे । क्या आप इसके लिये प्रस्तुत हैं जब कि एक समवाय प्रति उद्योग एक लाख रुपये के व्यय से ६० उद्योगों का प्रबंध कर सकता है । जैसा श्री टामस ने कहा निजी क्षेत्र को भयांकित न कीजिये । उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में ७,००० समवायों का प्रादुर्भाव हुआ जिन में से २५ करोड़ रुपये की पूंजी वाले ३,००० समवायों का दिवाला निकल गया । इस प्रकार के नवीन अभिकरणों की सृष्टि करना कठिन है जिसे जनता का विश्वास प्राप्त हो और जो वस्तुतः व्यापार करे । मान लीजिय टाटा आज एक समवाय चलाते है तो एक निर्धन व्यक्ति भी १० देकर एक शेयर खरीदने के लिये तैयार हो जावेगा । लेकिन यदि मैं, सी० डी० पांडे, एक समवाय आरम्भ करूं तो एक रुपया भी नहीं आयेगा ।

कतिपय माननीय सदस्य : नहीं, नहीं :

श्री सी० डी० पांडे : मेरा तात्पर्य यह है कि देश में एक हज़ार या दो हज़ार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वयं को इस कार्य में विशेषज्ञ बना लिया है । आप विधान निर्माण की सहायता से उन पर नियंत्रण कर सकते हैं मैं विधेयक के मुख्य उपबंधों का हार्दिक समर्थन करता हूं । पिछले तीन चार वर्षों में देश में एक भी बृहद् आयोग का प्रादुर्भाव नहीं हुआ । कोई प्रमुख प्रबन्ध अभिकर्त्ता सामने नहीं आ रहे हैं । यदि आप इस स्थिति को बढ़ावा देना चाहें तो दीजिए । लेकिन इस बात के लिए तैयार हो जाइये कि भविष्य में कोई निजी उद्योग किसी भी कार्य को अपने हाथ में नहीं लेगा । यदि वे अकर्मण्य बैठे रहें तो यह देश के लिए और पंचवर्षीय योजना के लिए घातक सिद्ध होगा ।

आयकर वापस करने का उदाहरण लीजिए। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को तीन लाख रुपये की रकम का आयकर वापस मिला है। यदि वह मुझे यह आश्वासन दिला दें कि यह रुपया जिसे वापस लौटाना है उसके पास एक भी पत्र डाले बगैर वापस पहुंच जायेगा तो यह बड़े संतोष की बात है। मैं आपसे कह दूं कि किसी भी दशा में इधर उधर चक्कर लगाये बिना रुपया वापस नहीं मिलता है। उसे यहां वहां दौड़ना पड़ता है और सब प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : उसे एक प्रार्थनापत्र देना पड़ता है।

पंडित के० सी० शर्मा : (मेरठ जिला—दक्षिण) : यह शुरुआत है।

श्री सी० डी० पांडे : यदि डाक द्वारा प्रार्थनापत्र भेजा जाय तो मेरा विश्वास है कि रुपया वापस मिलना तो दूर, उसकी पहुंच भी नहीं मिलेगी। हमें दूसरा आश्वासन यह चाहिये कि बिना किसी दौड़धूप के आयात अनुज्ञप्ति मिल जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आयात अनुज्ञप्ति समवाय विधि का एक भाग है।

श्री सी० डी० पांडे : मैं उद्योग संचालकों की ओर पदाधिकारियों की निपुणता, सहानुभूति और मनोवृत्ति का निर्देश कर रहा हूं। यदि वह इस आशय का आश्वासन दे सकें कि कोई भी व्यवसायी पदाधिकारियों के जगत में आये बिना अपना व्यापार चला सकेगा तो वस्तुतः यह बड़ा खुशी का दिन होगा और उस दिन से भ्रष्टाचार और चोरबाजारी समाप्त हो जायेंगे।

श्री सी० डी० देशमुख : तृतीय क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह सुझाव रखना चाहिए कि भारत सरकार एक निजी मर्यादित समवाय में परिवर्तित हो जाय।

श्री सी० डी० पांडे : आपने इसे सुन्दर रूप में व्यक्त कर दिया है। भारत सरकार को स्वयं समस्त व्यापार कार्यों का प्रबन्ध करना है क्योंकि दूसरों को इस में कठिनाई अनुभव होती है और वे भ्रष्ट साधनों का आश्रय लिये बगैर इसका प्रबन्ध नहीं कर सकते।

सच कहा जाय तो हम धनीवर्ग के प्रति अपनी एकपक्षीय भावना और नापसन्दगी में यह भूल जाते हैं कि देश में एक व्यवसायी वर्ग है जो कहता है : "एक व्यापारी का सचिवालय में आने से क्या लाभ है ?" उन्हें अपना रुपया बर्बाद करने का शौक नहीं है। यदि उन्हें आवश्यकता से अधिक रुपया खर्च करना पड़ता है तो इसका कारण है कि उन्हें कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

श्री टी० एन० सिंह : क्या धन की वृद्धि के साथ साथ विधि के प्रति अनाज्ञाकारिता स्वाभाविक है।

श्री सी० डी० पांडे : कोई व्यक्ति स्वभावतः विधि के प्रति आज्ञाकारी नहीं होता ।

कतिपय माननीय सदस्य : समय हो गया है ।

श्री सी० डी० पांडे : तब मैं अपना भाषण कल जारी रखूंगा ।

इसके पश्चात सभा, शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हुई ।